लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

[पांचवा सत्र]

[खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

23 LSS/78—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 19 जुलाई, 1978/28 आषाढ़, 1900 (शक)
No. 3, Wednesday, July 19, 1978/Asadha 28, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCE : .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 45	*Starred Questions Nos. 41 to 45 .	2—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 46 से 60	Starred Questions Nos. 46 to 60	12—19
अतारांकित प्रश्न संख्या 401,403 से 412, 414 से 478, 480 से 508 और 510 से 600.	Unstarred Questions Nos. 401, 403 to 412, 414 to 478, 480 to 508 and 510 to 600	19—12
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re-Adjournment Motion . . .	127—128
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re Point of Order	128—131
विशेष अधिकार के प्रश्न के बारे में	Re Question of Privilege . . .	131—132
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	132—135
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	135—138
टिड्डी दल के हमले के फलस्वरूप फसलों को हुई क्षति का समाचार	Reported damage to crops by locust invasion.	135
श्री मणिराम बागडी	Shri Mani Ram Bagri.	135
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	135
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu.	137
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh.	138
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	138
20वां प्रतिवेदन	Twentieth Report	138
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee . . .	138—139
राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिये केन्द्रीय परामर्श समिति	Central Advisory Committee for the National Cadet Corps. . .	138

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under rule 377	139—140
(एक) थोक व्यापारियों को किसानों द्वारा गेहूं की मजबूरन बिक्री के समाचार	(i) Reported distress sale of wheat by farmers to wholesale traders	139
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	139
(दो) राज्य व्यापार निगम द्वारा मूंगफली के ऐसे तेल के आयात का समाचार जो अब मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रह गया है	(ii) Ground-nut oil imported by S.T.C. having become unfit for human consumption . . .	139
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	139
(तीन) दिल्ली में स्कूटर ड्राईवरों के दुर्व्यवहार और इस सम्बन्ध में पुलिस के असहयोग पूर्ण रवैये का मामला	(iii) Misbehaviour of scooter drivers in Delhi and unhelpful attitude of the Police	139
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	139
(चार) दिल्ली में तीस हजारी स्थित न्यायालयों के वकीलों द्वारा हड़ताल का समाचार	(iv) Reported strike by lawyers of Tis Hazari Courts, Delhi. .	140
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	140
आंतरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक	Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill	140—149
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	140
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	140
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathever	140
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan	141
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	141
श्री पबित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan	142
श्री डी० जी० गवई	Shri D.G. Gawai	142
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhury Balbir Singh	142
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	142
श्री राम जेठमलानी	Shri Ram Jethmalani	144
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	145
श्री ऐ० वी० पी० असाइथाम्बी	Shri A.V.P. Asaithambi	146
श्री बलवन्त सिंह रामूवलिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	147
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	147
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	148
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	148
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	148
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	148
श्री के० ऐ० राजन	Shri K.A. Rajan.	149

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 19 जुलाई, 1978/28 आषाढ़, 1900 (शक)

Wednesday, July 19, 1978/Asadha 28, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने पुराने सहयोगी श्री मोहन स्वरूप के दुःखद निधन की सूचना देनी है जिनकी मृत्यु 15 जून 1978 को 60 वर्ष की आयु में बरेली में हुई ।

श्री मोहन स्वरूप उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957—77 के दौरान दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य रहे।

श्री मोहन स्वरूप ने एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के नाते बरेली के लोगों की बड़ी सेवा की और वे अपने जिले की अनेक संस्थाओं और संगठनों से संबंधित थे। 20 वर्ष तक लगातार लोक सभा का सदस्य रहते हुए उन्होंने लोक सभा की कार्यवाही में, विशेष कर किसानों से संबंधित मामलों में विशेष रुचि ली। वह लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे ।

वह वर्ष 1964—66 के दौरान नैशनल रेलवे यूसर्स कन्सलटेटिव कमेटी के तथा वर्ष 1965 के दौरान घाना, लारबेटिया, सियेरा, लियोन गथा नाइजेरिया जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्य रहे ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं। मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सदन मेरे साथ शरीक होगा ।

सदस्यगण दुःख प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़े हों ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण

*41. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए रखे गये आरक्षण के नियम को केन्द्रीय सरकार से किसी रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी उपक्रमों, संस्थाओं संगठनों में लागू करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब तक उठाये गये व्यावहारिक कदम क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने निजी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों के लिए रोजगार में कुछ प्रतिशत पदों का आरक्षण करने के प्रस्ताव पर विचार किया था तथा यह महसूस किया गया कि इस प्रकार के आरक्षण के लिए वैधानिक अथवा अन्य अभ्युणय करना उपयुक्त नहीं होगा । यह विचार किया गया था । रोजगार में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त हकदारी के सुनिश्चय के लिए कदम उठाने हेतु मजदूर संगठनों से ही कहा जा सकता है । इस निर्णय के अनुसरण में उद्योग निदेशकों, तकनीकी प्राधिकरणों और वाणिज्य एवम् उद्योग मण्डलों की तरफ से दिसम्बर, 1975 में निजी क्षेत्र के सभी औद्योगिक उपक्रमों के लिए एक अपील जारी की गई थी जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने घटकों पर इस बात का दबाव डालें कि निजी क्षेत्र में रोजगार में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों को उचित हकदारी दी जाए ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं यह जानना चाहता हूं अनुसूचीत जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं दूर करने के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है। यह प्रश्न सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित है । यह एक निर्विवाद बात है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर हैं । जब तक इन अवसरों का एक हिस्सा इन जातियों के लिए आरक्षित नहीं रखा जाता तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । विवरण में कहा गया है कि सरकार ने इस समस्या पर काफी विचार किया है । फिर भी देश के 4 लाख गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों में इन जातियों का एक भी नियमित कर्मचारी नहीं है। माननीय एवं गतिशील मंत्री महोदय समाज की स्थिर स्थिति में किस प्रकार सुधार करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। यह देखने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किए गए कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इन जातियों के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आरक्षण किए जांए। 1964 में गैर-सरकारी उद्योगों एवं उनके सहयोगियों से आम अपील की गई थी कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1971 में भी एक अपील की गई। इस आशय का पत्र उद्योग निदेशकों को भेजा गया था ताकि वे गैर-सरकारी क्षेत्र को इसके लिए राजी कर सकें।वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी अपील की गई। सरकार का अभी तक यह दृष्टिकोण रहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में हम आरक्षण के बारे में ऐसा कोई कानून लागू नहीं कर सकते।

हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करके इसका अच्छा से अच्छा समाधान निकालना चाहते हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति: देखने में आया है कि नौकरशाहों ने संविधान के अनुच्छेद 16,17 और 335 के आवश्यक उपबन्धों का उल्लंघन किया है। लोक सेवा आयोग 15% के आरक्षण पर 4% आरक्षण भी नहीं कर सका। एकतरफ तो सरकार आरक्षण के नियमों को गैर-सरकारी उपक्रमों पर लागू करना चाहती है और दूसरी ओर उन्होंने देश के आर्थिक विकास की समस्या को हल करने के लिए गैर सरकारी उपक्रमों हेतु कोई नियम नहीं बनाए। दुर्भाग्य है कि संवैधानिक उपायों के अभाव में सामाजिक न्याय को धक्का पहुंचा है। सरकार ने इस समस्या के महत्व को समझते हुए नवम्बर 1976 में उच्चस्तरीय समिति गठित की जिसने यह महसूस किया कि संवैधानिक उपबन्धों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इसके लिए विशिष्ट प्रस्ताव लाएं ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र पर इन विनियमों को क्रियान्वित करने के लिए दवाव डाला जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह तो सच है कि आरक्षण के प्रश्न पर हम मौन रहे परन्तु जहां तक नियमों के क्रियान्वयन का प्रश्न है कुछ प्रगति हुई है। जहां तक भंगियों का प्रश्न है, 100 प्रतिशत नौकरियां अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई हैं। संवैधानिक गारन्टी के संदर्भ में भी आरक्षण किए गए हैं और इन्हें क्रियान्वित करना सम्बन्धित संस्थाओं का कार्य है। इस कारण से सरकार के सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई है। सरकार इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।

Shri Chhabi Ram Argal: Reservaiton quota is not filled up while making appointments is private institutions. Not only that recruitments are made directly without calling names from employment exchanges. Will the Government make such an arrangement that recruitments are made in private institutions only through employment exchanges and circulars issued by the Government in regard to reservations are strictly followed ?

Shri George Fernandes : There has not yet been any statutory reservation as far as the private sector is concerned.

Shri Ram Deni Ram : After assuring power the present Government accepted that reservation of posts should be made in private and Government sector for Harijans and Adivasis. But 15 months have passed and nothing has been done. I would like to know when the policy of reservation would be implemented ?

Shri George Fernandes: This question should be asked to hon. Home Minister. Ministry of Industry have been writing letters since 1964. But so far as the basic question of reservation is concerned, the question has to be asked to the Ministry of Home Affairs.

श्री एल०के० डोले : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उद्योग मंत्री गृह मंत्री की ओर से उत्तर क्यों दे रहे हैं जबकि प्रश्न संख्या 41 गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है।

श्री जार्ज फर्नानडीस : प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के बारे में है। वर्ष 1964 से उद्योग मंत्रालय गैर सरकारी क्षेत्रों को अपील करता रहा है। इसलिए गृह मंत्रालय ने यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया था। ऐसा ही एक प्रश्न पहले भी आया था और उसका उत्तर उद्योग मंत्रालय ने दिया था। जो प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर पूछा जाएगा उसका उत्तर गृह मंत्रालय देगा।

श्री एल०के० गोले : ऐसी कई शैक्षाणिक संस्थाएं हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है। क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान बनाया गया है।

श्री जार्ज फर्नाडीस : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

Shri R.L. Kureel: Janta Party declared in its menifesto that reservation will also be made in the private sector. What action is being taken in this regard and whether stringertsteps will be taken to implement the rules ?

अध्यक्ष महोदय : : मंत्री महोदय ने इसका उत्तर पहिले ही दे दिया है

Shortage and Adulteration of Cement and detection of a bogus cement Factory in Madhya Pradesh

*42. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Central Government's attention has been drawn to the shortage of cement in Madhya Pradesh;

(b) whether any bogus cement factory has been unearthed in Madhya Pradesh recently;

(c) whether some complaints about adulteration in cement have been received from other States also; and

(d) if so, the measures taken by Government to meet this shortage ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) (a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Due to reports of shortage of cement in the State, the allocation of cement to the State for the quarter April to June, 1978 had been increased from 1.80 lakh tonnes to 2.30 lakh tonnes.

(b) No, Sir.

(c) Complaints are received from time to time about adulteration of cement. The Cement (Quality Control) Order 1962 has been issued under the Essential Commodities Act 1955. The cement produced by the various manufacturers has to conform to the provisions of this Quality Control Order. Adequate powers have been delegated under the Essential Commodities Act to the State Governments to deal with the contraventions of the provisions of the Act.

(d) Shortage of cement in the State of Madhya Pradesh is part of an overall shortage of cement in the country as a whole. Government have taken the following steps to increase the availability of cement :—

(i) The export of cement outside the country has been totally banned;

(ii) A quantity of 7.28 lakh tonnes of cement has been imported into the country during the period January to June 1978 and the import of a further quantity of one million tonnes has been contracted;

(iii) A cash incentive of Rs.30 per tonne for every tonne of additional production over the best production of each unit during the last three financial years or 85% of its licensed capacity, whichever is higher, has been announced;

(iv) Existing rules relating to freight reimbursement for road movements have been liberalised;

(v) Government have also a proposal to assist the cement industry for use of captive power for production of cement during the periods of power cuts;

(vi) Government are also examining a proposal to assist the cement industry for the use of furnace oil for production of cement due to inadequate supplies of coal;

(vii) The production of the existing units is also closely monitored to see that the industry maintains an overall capacity utilisation of 100%.

(viii) The import of pre-calcinated technology has been permitted to enable the increase of production;

(ix) The construction of on-going projects is being expedited;

(x) Government have also decided to encourage the setting up of cement plants at the site of or near steel plants to utilise the slag;

(xi) Government have decided to encourage the setting up of a large number of mini cement plants;

(xii) Government have also appointed a High Level Committee to make a comprehensive study of the cement industry with a view to removing the constraints in the way of optimum production.

Shri Sukendra Singh : There is shortage of Cement not only in Madhya Pradesh but throughout the country due to which petty consumers are facing great difficulties resulting in its black marketing. May I know whether this shortage is due to less production of cement in the country or due to our corrupt distribution system ? Or is it due to the increased quota being demanded by the State Governments ? Whether Government have conducted any study and laid down any policy in this regard so that the difficulties being faced by the consumers can be removed ?

Shri George Fernandes : Mr Speaker, Sir, the main reason for shortage of cement is that no new investment has been made during the last 4 or 5 years either in public sector or private sector for production of cement in the country. In 1975-76, the total production capacity in the country was 2 crore 11 lakh tonnes; in 1976-77, it was 2 crore 16 lakh tonnes and in 1977-78, it was 2 crore 18 lakh tonnes. Thus during the last 3 years, cement production capacity has increased hardly by 4 lakh tonnes against the total requirement of 60 lakh tonnes. Therefore, it is but natural that we are facing this problem. We have undertake many measures to solve it. Firstly, we have banned the export of cement to foreign countries. Secondly, every effort has been made to utilise the existing capacity to produce cement in the country as a result of which we have been able to increase the production by about 10 lakh tonnes during the last year. Besides, we have imported about 8 lakh tonnes of cement from abroad.

There is one more reason for shortage of cement. During the last year, pace of development work in the country was so rapid that we are facing this problem on a big scale Various measures taken to solve this problem have been detailed in the reply laid by me on the Table of the House.

Shri Sukhendra Singh : The hon. Minister has given information about increasing the production and to remove shortage. Today, petty traders are challaned under the Essential Commodities Act on the charge of adulteration and for not maintaining stock properly. I would like to say that action should be taken under the Essential Commodities Act against those who indulge in such malpractices. West Bengal Government have decided to take over the entire distribution system in their hands and they got success to a great extent. You had recently called a conference of producers and State Governments' representatives

and threatened that if no improvement is brought about within a period of 3 months, action will be initiated against them. There is corruption in distribution system. Either you take legal against them or take steps to take the distribution system in your hand as has been done by the West Bengal Govt.

Shri George Fernandes : The West Bengal Govt. have sent us a proposal that they want to take it into their hands. They have not yet taken it over. Their proposal will come into effect on 1st October. We have accepted their proposal. Situation in West Bengal will improve from 1st October when the State Government will take over the distribution system.

We have told the State Chief Ministers that we will be happy if they implemented the West Bengal Govt. scheme which we have sent to them.

Besides, we had convened a meeting of manufacturers and State Governments' representatives in Delhi in which the distribution scheme and the steps to check black marketing in cement were discussed. The Association of Manufacturers made a proposal of their own to check black marketing in it. We have told them that they have got a period of 3 months. They should do something, otherwise the scheme proposed to be implemented in West Bengal will be implemented by State Governments throughout the country. They have to control themsleves and check black marketing; otherwise we are going to take over this work.

So far as implementation of essential commodities Act is concerned, we have requested all the State Governments to implement it with full vigour. As for the question of summary trial we hope that State Governments will take positive and strong steps in this matter.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है । इसलिए प्रत्येक सदस्य यह जिद नहीं कर सकता वह हर मामले पर प्रश्न पूछ सकता है ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी है और क्या मंत्री जी को पता है कि मांग पूरी करने के लिए हजारों टन सीमेंट आयात किया गया है जो बम्बई में उतारा नहीं गया है । उसे उतारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : माननीय सदस्य को पता नहीं । हमने 7.28 लाख टन सीमेंट आयात किया है । दूसरे यह टीक नहीं कि बम्बई बन्दरगाह पर सीमेंट जहाज से भरा खड़ा है । वर्षा के मौसम के कारण बम्बई बन्दरगाह पर सीमेंट उतारना सम्भव नहीं । हम कांडला में सीमेंट उतरवा रहे हैं जहां काम नियमित रूप से चल रहा है ।

Shri Anant Dave : May I know from the hon. Minister the extent of loss suffered due to damage of large quantity of cement on account of paper packing of cement being unloaded at Kandla ?

Do Government propose to make some arrangements to pack the other one million tonnes of cement, likely to be received, in bags other than paper bags ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस प्रकार के किसी नुकसान के कारण इतना सीमेंट बेकार गया हो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं ।

Shri Anant Dave : I have just come after seeing it lying there.

श्री जार्ज फर्नांडिस : चूंकि माननीय सदस्य ने विवरण दिया है इसलिए मैं इसकी तत्काल जांच करूंगा । अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली । जहां तक कागज के थैलों का प्रश्न है, वे मजबूत हैं, समुद्र पार से आये हैं, उनके बारे में कोई शिकायत नहीं ।

अल्प-संख्यक आयोग

*43. **डा० बसंत कुमार पंडित :**
श्री एफ०एच० मोहसिन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अल्प-संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री एम० आर० मसानी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक अन्य सदस्य श्री वी० वी० जान ने भी आयोग के साथ किए गए व्यवहार के बारे में सरकार को पत्र लिखा था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा श्री मसानी द्वारा दिए गए त्यागपत्र और श्री वी वी जान द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र में क्या आरोप लगाये गये थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) श्री एम० आर० मसानी और वी० बी० जौन ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये गये। आपने 9 मई के एक पत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को उस समय चल रहे सत्र के समाप्त होने से पहले पुरःस्थापित करने के बारे में शिक्षा मंत्री द्वारा 4 मई को संसद में की गई घोषणा का उल्लेख किया था और आयोग के इस अनुरोध के बाद भी कि संसद में विधान पेश करने से पहले उन्हें सरकार को अपनी सिफारिशें देने का अवसर दिया जाए, इस संबंध में उनकी अवहेलना किये जाने और परवाह न किये जाने पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया था । उन्होंने आयोग के पास कार्यालय परिसर न होने, आवश्यक कर्मचारी न होने और गृह मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में उसके कार्य करने के बारे में आयोग के अध्यक्ष के 27 अप्रैल के पहले के पत्र का भी उल्लेख किया था । परन्तु उसी दिन आयोग के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में काफी विचार-विमर्श किया था । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक जो इस बीच संसद में पेश कर दिया गया था, की प्रतियां आयोग को भी भेज दी गई थी । सरकार का यह सुविचारित दृष्टिकोण था कि इस संबंध में उनके विधायी प्रस्तावों को उन अन्य सभी परिस्थितियों के आधार पर संसद में पेश करने से और अधिक रोका नहीं जा सकता जो कि इस विषय में सरकार का दृष्टिकोण बनने से पहले मौजूद थी । फिर भी विधेयक पर आयोग के सुझावों का स्वागत किया गया था । आवास, स्टाफ इत्यादि जैसे अन्य मामलों के बारे में आयोग की जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे थे । इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए श्री वी वी जौन ने त्यागपत्र न देने का निर्णय किया । परन्तु श्री एम० आर० मसानी ने अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया । सरकार को इन परिस्थितियों पर खेद है । सरकार को विश्वास है कि अल्पसंख्यक आयोग को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और श्री मसानी की गलतफहमी से आयोग के प्रति उनके दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि श्री मसानी और सरकार के बीच हुए पत्र व्यवहार में जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है विवरण में बातई गई बातों के अतिरिक्त सरकार पर बार-बार विश्वास को तोड़ने, नौकर शाहों के असहयोगपूर्ण रवैये, आयोग के साथ सौतेला व्यवहार करने, सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन कर आयोग को स्वतंत्र बनाने के आश्वासन को पूरा न करने,

वित्त मंत्री और गृह मंत्री जो उसे अपने विभाग से समबद्ध बनाना चाहते हैं, सहयोग न देने और अन्त में आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के केन्द्रीय पूल के अधिकारी को नियुक्त न करके श्री शंकरन नायर उन पर थोपने का आरोप लगाया है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : माननीय सदस्य ने श्री मसानी के वक्तव्य पत्र और चर्चा संबंधी जो बातें कहीं हैं जिनके कारण श्री मसानी को अल्प संख्यक आयोग से त्याग पत्र देना पड़ा, मेरा आग्रह यह है कि सरकार का आयोग के प्रति रवैया सहानुभूति पूर्ण है। आयोग ने सभा-पति समेत 93 व्यक्तियों का अनुरोध किया था और पहले में 38 कार्मचारी चाहते थे । इसकी मंजूरी दे दी गई । इसके अतिरिक्त आयोग को बताया गया कि भाषायी अल्पसंख्यक के आयुक्त के पास 63 कर्मचारी हैं जिनका लाभ वह उठा सकता है । आयोग ने उनका लाभ उठाया भी है । अधिकारियों द्वारा दैनिक और यात्रा भत्ते का 10,000 रुपया लिया गया है। बजट में 4 लाख रुपये आयोग के लिए रखे गये थे । इसके अतिरिक्त भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के कार्यालय को दिए गए सात लाख रुपये भी उन्हें दिए गए । यह भी माना गया कि और भी रुपया दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह एक-एक बात का उत्तर दे रहे हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल : जहां तक कार्यालय के लिए जगह का संबंध है इसे उपलब्ध कराना आवास मंत्रालय का काम है । निःसंदेह गृह मंत्रालय भी इस संबंध में मदद करता है । आरम्भ में सम्पदा निदेशालय ने बताया था कि कोई स्थान उपलब्ध नहीं है । लेकिन अब फिरोजशाह रोड पर एक मकान मिल गया है (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : पता नहीं विस्तृत उत्तर देने पर सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं । इसमें तथ्य ही दिये जा रहे हैं । यदि धैर्य न हो तो क्या किया जा सकता है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न पूछे जाएगें तो उन्हें उनका उत्तर देना ही पड़ेगा । यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर इस प्रकार दिया जाए (**व्यवधान**)

श्री धनिक लाल मण्डल 'एच' ब्लाक में आयोग को एक हटमेंट दिया गया था, लेकिन आयोग ने उसे पसन्द नहीं किया और उसने फिरोजशाहाँ रोड पर एक मकान पसंद किया जिसकी आवास मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी । अब विलिंगडन क्रिसेंन्ट में आयोग को दो बंगले देने की पेशकश है ।

संविधान संशोधन विधेयक द्वारा आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्तशासी निकाय बनाने में कुछ विलम्ब हुया है लेकिन हम इसी सत्र में इसे ला रहे हैं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में जिसे शिक्षा मंत्री ने संसद् में पेश किया है आयोग की अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । शिक्षा मंत्री और आयोग में चर्चा हुई ही थी और शिक्षा मंत्रालय ने विधेयक का प्रारूप आयोग को दिखाया था, लेकिन आयोग चाहता था कि मामला आयोग के पास है अतः सरकार संसद में विधेयक को पेश न करे । यह बात सरकार को मान्य नहीं हुई ।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या आयोग ने अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय पूल में से चुना था, जो सरकार ने नहीं दिया और श्री शंकरन को थोप दिया ।

श्री मोरारजी देसाई : किसी सचिव को थोपने का प्रश्न नहीं है और आयोग को आरम्भ में ही यह कहने का अधिकार नहीं कि कौन सा सचिव दिया जाए । बाद में यदि कोई कठिनाई होती है तो हम बदल देंगे । लेकिन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता चाहता है जो संभव नहीं । मैंने उन्हें मिलने पर विश्वास

दिलाया था कि वे गृह मंत्रालय से सबद्ध नहीं होंगें बल्कि पूर्णतया स्वतंत्र होंगे । गृह मंत्री ने मुझे यह नहीं बताया था । लेकिन श्री मसानी को संतुष्ट कर पाना कठिन था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया ।

श्री बसन्त साठे : क्या वे मंत्रिमंडलीय स्तर चाहते थे ।

श्री मोरार जी देसाई : पता नहीं ? यदि वे ऐसा चहते तो भी ऐसा नहीं हो सकता था । हर किसी को मांगने पर मंत्रीमंडलीय स्तर नहीं दिया जा सकता । उन्होंने बाद में ऐसा कहा होगा, मुझे नहीं बताया मैंने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था, लेकिन कहा था कि उन्हे गृह मंत्रालय के माध्यम से कार्य करना होगा । संसद में प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्रालय को ही देना होगा । अतः मैंने स्पष्ट किया था कि इसका अर्थ गृह मंत्रालय के अधीन होना नहीं है।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या आयोग ने सरकार को अंतरिम प्रतिवेदन दे दिया है । और क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय विधेयक पर भी प्रतिवेदन दे दिया है और क्या सरकार उन्हें सभा पटल पर रखेगी ।

श्री मोरार जी देसाई : इसे सभा बटल पर रखा जाएगा ।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The manner in which Government had set up the Minority Commission and managed its affairs clearly shows that Government's intention was not good. This Commission was appointed to throw dust in the eyes of minorities. The resignation submitted by Shri Masani clearly shows that from the very beginning the Minority Commission had neither been provided with office accommodation nor given Ministerial Status. Neither it has been made a Statutory Commission nor funds have been given to it to run its office. What is most important is the Aligarh Muslim University Bill, which is going to be introduced in this House. It is also a trick of the Janata Party. It is being brought here with a view to throwing dust in the eyes of the minorities. Now, when Government have agreed to present its report to the House, I would like to know from the hon. Minister by what time the new Chairman is likley to be nominated or appointed whether this Commission will be given statutory powers and whether it will be free from clutches of the Ministry of Home Affairs ? The Prime Minister himself has said that they will not allow this Commission to function unless it functions under their control..... **(interruption)**—.

Shri Kanwar Lal Gupta : He has not said so.

Shri Morarji Desai : The Chairman of the Commission will be nominated within one week and the vacant posts will also be filled up. A Bill to provide for stsutory arrangement for it is going to be introduced in this very Session and necessry action will be taken soon. The Commission has got an independent status. It is not functioning under anybody. I want to make this point clear.

Shri Arjun Singh Bhadoria : In his resignation letter, Mr. Masani had made a complaint against the Home Minister. Will the Ministry of Home Affairs again request him to withdraw his resignation.....**(interruption)**.....Since the Home Minister has not been changed, he may perhaps be willing to withdraw his resignation now.

Shri Morarji Desai : I do not want to give that opportunity.

श्री वेदव्रत बरुआ : प्रश्न केवल फर्नीचर या आवास का नहीं है । आरोप यह है कि श्री मसानी के मामले में अल्प संख्यक आयोग को उचित सम्मान नहीं मिला । प्रश्न अल्प संख्यक आयोग के सरकार से स्वतंत्र होने का ही नहीं वरन् सरकार का अल्प संख्यक आयोग से स्वतंत्र होने का भी है । अल्प संख्यकों संबंधी सभी कार्य आयोग की सलाह से होने चाहिए । फिर सरकार जरूरी मामलों पर आयोग से सलाह क्यों नहीं करती ? क्या सरकार आयोग का सम्मान कर उससे सलाह लेगी ? मैं सभी आयोगों और समितियों, जिन्हें सरकार ने कभी सौंपा है, की बात कर रहा हूं ।

श्री मोरार जी देसाई: प्रश्न अधिकारियों का आयोग से वर्ताव का नहीं है। निःसंदेह अधिकारियों के माध्यम से पत्राचार होता रहता है लेकिन निर्णय मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। आप अधिकारियों को अनावश्यक रूप से बीच में क्यों लाते हैं। इस मामले में आयोग के सम्मान का कोई प्रश्न नहीं है। आयोग की नियुक्ति से पूर्व ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अतः आयोग को यह मामला नहीं सौंपा गया। हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। जिन्हें सभा पटल पर रखा जाएगा।

श्री बसन्त सिंह खालसा: अधिकांश अल्प संख्यकों को आयोग में शामिल किया गया है जिसके सभापति ने त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समुदाय सिक्खों का इसमें शामिल नहीं किया गया है पंजाब के मुख्य मंत्री और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान ने इसके विरोध में प्रधान मंत्री को लिखा है। प्रधान मंत्री ने उत्तर में लिखा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्या भविष्य में आयोग के पुनर्गठन के समय सिक्खों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ?

श्री मोरार जी देसाई: यह विचाराधीन है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्विलोकन

44. **श्री डी० अमत**:

श्री निहार लास्कर:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बारीकी से पुनर्विलोकन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में इससे योजना में कहां तक मदद मिलेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) जी हां।

(ख) आयोग प्रमुख क्षेत्रों के हाल के आंकड़ों और स्थिति रिपोर्टों के आधार पर मुख्य सविष्ट आर्थिक परिवर्तों के संचालनों के वास्तविक पूर्वानुमान करने का प्रयत्न कर रहा है। इससे हम यह अनुमान लगा सकेंगे कि हम अपने 5 वर्षीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि हमारा निष्पादन 5 वर्षीय योजना को तैयार करने के समय की गई परिकल्पना से अधिक अच्छा होगा तो हम अपने लक्ष्यों को परिशोधित करके बढ़ा सकेंगे। यदि हम अपने प्रत्याशित स्तरों से नीचे जा रहे होंगे तो हम ऐसी नीतियां आरम्भ करेंगे जिनसे हम अपने लक्ष्यों के निकट पहुंच सकें।

(ग) नई अनवरत योजना प्रणाली का सार यह है कि ध्यानपूर्वक प्रबोधन करने के बाद प्रेक्षित क्षमता और मांग की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हुआ तो वार्षिक लक्ष्यों को समायोजित किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मांग के अनुमान हर वर्ष एक अतिरिक्त वर्ष के लिए लगाए जाएंगे। इन संक्रियांओं से आयोजना प्रक्रिया में और अधिक वास्तविकता और लचीलापन आ जाएगा तथा लक्ष्यों और उपलब्धियों में जो पहले दीर्घकालिक अंतर दिखाई दिए हैं वे कम हो जाएंगे। यह नई प्रणाली उतार-चढ़ाव और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए भी अधिक अनुकूल होगी।

परन्तु बार-बार लक्ष्यों का परिशोधन करके धीमे निष्पादन को छिपाने का कोई इरादा नहीं है कभी-कभी लक्ष्यों को परिशोधित करके बढ़ाया भी जा सकेगा। इसके अलावा, वार्षिक लक्ष्यों को पंच वर्षीय लक्ष्यों और भावी अनेमानों के अनुरूप रखा जाएका।

श्री डी० अमत: समष्टि विकास दर से शीघ्र विकास के फलस्वरुप देश की भारी जनसंख्या को रोजगार देने में उपभोक्ता सामान की सप्लाई बढ़ाने में तथा सामाजिक न्याय हासिल करने में बहुत अधिक समय लगेगा। श्री टी० एस० शंकरन श्रम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के अनुसार भारत में श्रमिकों की संख्या 200 मिलियन से काफी ऊपर है और डा० आर० कृष्णन, सदस्य, योजना आयोग के अनुसार यह 250 मिलियन है। यह केवल अनुमान ही है। सरकार के पास भी सही आंकड़े नहीं हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है : क्या सरकार इस धीमी प्रक्रिया अर्थात् माइक्रोसेटिंग प्रक्रिया को अपना कर 10 वर्ष के भीतर बेरोजगारी की समस्या जो एक ज्वलंत समस्या है और प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है का सामाधान कर पायेगी ?

श्री मोरार जी देसाई: प्रथम वर्ष में सभी को रोजगार देना सम्भव नहीं होगा, परन्तु उन सभी को 10 वर्ष के भीतर रोजगार दे दिया जायेगा, जैसाकि कहा गया है। अब यह अवधि 15 महीने कम हो गई है।

श्री डी० आमत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या समीक्षा में कोई त्रुटि पाई गई है और यदि हां, तो वे त्रुटियां क्या हैं और उनके लिए कौन उत्तरदायी है।

श्री मोरार जी देसाई: पहला वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः पहले वर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि के पता चलने का प्रश्न ही नहीं है। यह अप्रैल से शुरू हुआ है और अगले अप्रैल में समाप्त होगा। भूत में हुई त्रुटियों का पता चला है और इसी कारण हमने परिवर्तन किए हैं। यह पाया गया कि लक्ष्यों तथा निष्पत्ति में अन्तर है और इसी कारण हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा पुनः न हो।

श्री निहार लास्कर: जहां तक योजना आयोग द्वारा लागू किये मार्गदर्शी सिद्धांतों का संबंध है बहुत सी राज्य सरकारों के अपने विचार हैं यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने इन सिद्धांतों की पूर्णतः उपेक्षा की है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा? वे कौन सी एजेंसियां हैं जो यह देखेंगी कि लक्ष्यों की पूर्ति हो? क्या आपने अभी तक कोई समिति नियुक्त की है?

श्री मोरार जी देसाई: किसी सरकार ने मुझे यह नहीं कहा कि वे इन सिद्धांतों की उपेक्षा करेंगी।

Shri Vinayak Prasad Yadav: May I know the number of unemployed persons provided with employment during the last one year and 3 months?

Shri Morarji Desai: We have not yet received census in this respect, but many people get employment. In Rajasthan 79 thousand families have been provided with jobs during this very month.

महाराष्ट्र—कर्नाटक सीमा-विवाद

*45. **श्री डी० वी० पाटिल**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा-विवाद को सुलझाने के लिए नए सिरे से प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): (क) और (ख) सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि वास्तव में विवाद का स्थायी हल दोनों सरकारों के बीच पारिस्परिक सहयोग तथा सहमति के जरिये ही निकल सकता है। परन्तु दोनों सरकारों के साथ इस प्रश्न पर अभी तक आगे विचार विमर्श नहीं हुआ है।

श्री बी०डी० पाटिल: सरकार के रवैये से प्रतीत होता है कि वास्तव में विवाद का स्थायी हल दोनों सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग तथा सहमति के जरिए ही निकल सकता है। परन्तु इस रवैये को अपना कर केन्द्रीय सरकार इस मामले के प्रति निष्पक्ष नहीं है। इसके विपरीत यह कर्नाटक राज्य के प्रति पक्षपात कर रही है क्योंकि कर्नाटक राज्य यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। गत 22 वर्षों से इस क्षेत्र के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए चार सिद्धान्तों का सुझाव दिया है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए इन सिद्धांतों को लागू करने में क्या कठिनाई है?

श्री मोरार जी देसाई : यह आरोप के केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, गलत है । इसीलिए मैंने कहा कि दोनों सरकारें स्वयं इसका समाधान करें और यदि मुझे वे मध्यस्थ बनाना चाहें तो मैं तैयार हूं । मैं उन्हें निदेश नहीं देना चाहता ।

श्री डी० बी० पाटिल : क्या सरकार का ध्यान 8-6-78 को पूना में अपने अधिवेशन में जनता पार्टी द्वारा स्वीकृत इस संकल्प की ओर दिलाया गया है कि इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए ।

श्री मोरार जी देसाई : महाराष्ट्र में यह एक संकल्प स्वीकृत करेगी तो कर्नाटक में यह दूसरा संकल्प स्वीकार करेगी । यह बात सभी राजनीतिक दलों के साथ है न केवल जनता पार्टी के साथ है । अतः मेरे लिए कोई निर्णय लेना कठिन है ।

श्री बी० रचैया : महाजन आयोग की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं । महाजन आयोग की सिफारिशों के बारे में सरकार क्या कर रही है ।

श्री मोरार जी देसाई : महाजन आयोग दोनों राज्यों के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था । दुर्भाग्यवश यह दोनों को मान्य नहीं है । इसमें मैं क्या कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का विस्तार

*46. **श्री बयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री को लिखे पत्र में गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में "हिन्दी के अपरिहार्य विस्तार" के बारे में विचार व्यक्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों द्वारा उन राज्यों के लोगों को दिये गये पवित्र आश्वासन के विरुद्ध है ; और

(ग) क्या उक्त भाषा नीति का भारत की राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) भारत सरकार की भाषा नीति और इसके कार्यान्वयन के बारे में श्री के० मनोहरन, वित्त मंत्री तमिलनाडु से प्राप्त एक पत्र के उत्तर में प्रधानमंत्री ने श्री मनोहरन को सूचित किया है कि पंडित नेहरू और बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को 1967 में राजभाषा अधिनियम, 1963 का उचित संशोधन करके पहले ही पूरा कर दिया गया है । प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 तब तक लागू रहेगा जब तक यह संशोधित नहीं किया जाता है और उन्हें भविष्य में इस अधिनियम के संशोधन की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है ।

जहां तक कार्यान्वयन का संबंध है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिस्थितियां स्थिर नहीं रह सकतीं और जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा संघ के सरकारी प्रयोजन के लिये हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि होना आवश्यक है । फिर भी उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी का प्रयोग आरोपित नहीं किया गया है और वास्तव में इस अधिनियम के अधीन जो नियम जारी किये गए हैं उनके प्रवर्तन से तमिलनाडु को विशेष रूप से अलग रखा गया है ।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका द्वारा भारत को यूरेनियम की सप्लाई

*47. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को यूरेनियम सप्लाई करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे किन शर्तों पर स्वीकार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों ने हाल ही में निर्यात लाइसेंस संबंधी एक ऐसी विचाराधीन अर्जी को मंजूर किया है जिसके अंतर्गत तारापुर परमाणु बिजलीघर केलिए 7.6 मीटरीटन समृद्ध यूरेनियम दिया जायेगा।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति की शर्तें भारत और अमरीका की सरकारों के बीच अगस्त, 1963 में हुए सहयोग करार में तथा उसके बाद ईंधन की आपूर्ति के संबंध में सन् 1966 में सम्पन्न संविदा में पहले ही शामिल हैं।

विदेशी शक्तियों द्वारा सिक्किम में अदा की गई भूमिका

*48. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी०एम० बनतवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 जून, 1978 के "पैट्रीयट" में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि संदिग्ध तरीकों और राजनीतिक गतिविधियों में हेर-फेर करके पुनः सत्ता प्राप्त करने में सिक्किम के भूतपूर्व चोग्याल की राज्य शासन के उच्च अधिकारियों द्वारा सहायता की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ विदेशी शक्तियां राज्य के कार्य में हस्ताक्षेप कर रही हैं; और

(ग) भारत सरकार ने उक्त राज्य में ऐसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है। ऐसी कोई गतिविधि ध्यान में नहीं आई है।

(ख) हमारी जानकारी में बिल्कुल नही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आटो-ट्रैक्टरों के कारखाने की स्थापना

*49. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में क्या प्रगिति हुई है ;

(ख) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में और अधिक ट्रैक्टर कारखाने लगाने के बारे में सरकार की समूची नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीस): (क) आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक उपक्रम है, को वहां के पिछड़े जिले प्रतापगढ़ में कृषि के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए एक औद्योगिक

लाइसेंस दिया गया है। विदेशी सहयोग की मंजूरी दे दी गई है। स्थापना स्थल का विकास, प्लान्ट ले-आउट विक्रेता विकास तथा इंजीनियरी प्रक्रिया संबंधी प्रारम्भिक कार्य वस्तुतः पूरा कर लिया गया है। परियोजना की जीव्यता के संबंध में किये गये फिर से अध्ययन को योजना आयोग तथा राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने पर परियोजना को आगे कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) ट्रैक्टर बनाने की अनुमोदित क्षमता 1,37,000 है। पिछले वर्ष का उत्पादन 41,000 ट्रैक्टर है। फिलहाल अनुमोदित क्षमता मांग को पूरा करने के लिए काफी हैं। योजना आयोग द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जो रोजगार, उत्पादन तथा लागत के मामले में फार्म यांत्रिकी के साथ-साथ कम्बाईंड हारवेस्टरों तथा ट्रैक्टरों के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार करेगा।

जम्मू और कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली चलाया जाना

*50 **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने 20 जून, 1978 को भारतीय सुरक्षा बल पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में पाकिस्तानी और भारतीय अधिकारियों के बीच कोई बैठक हुई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) जी हां, 20 जून 1978 को 9 बज कर 45 मिनट पर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से 2 सिविलियनों ने हमारे जवानों की बार बार मौखिक चेतावनी देने के बावजूद भी नियन्त्रण रेखा को पार किया। हमारी रीति के अनुसार हमारी सेना ने चेतावनी देने के लिए 4 बार गोली चलाई। इसके परिणामास्वरुप, वे 10 बज कर 45 मिनट पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वापस चले गए। उसके बाद पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारी सेनाओं पर आकरण गोली चलाई जिसका हमारी सेनाओं ने तत्काल जवाब दिया। हमारी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

भारत द्वारा न्यूक्लीय विस्फोटों पर रोक

*51. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा रूस के कहने पर नवम्बर 1977 में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ किये गय करार के अनुसार भारत पर यह रोक लगा दी गई है कि वह राणा प्रताप सागर न्यूक्लीय ऊर्जा केन्द्र से उत्पादित न्यूक्लीय खंडनीय सामग्री का उपयोग करते हुए शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी न्यूक्लीय विस्फोट न कर सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) सोवियत संघ से भारी पानी खरीदने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ 17 नवम्बर, 1977 को किये गये 'सुरक्षात्मक करार' के अंतर्गत भारत सरकार ने वचन दिया है कि वह राजस्थान परमाणु बिजलीघर में उत्पन्न सामग्री का प्रयोग किसी भी प्रकार के न्यूक्लीय अस्त्र या किसी प्रकार की न्यूक्लीय विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने में नहीं करेगी।

19 जुलाई, 1978 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दक्षिण क्षेत्र में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

*52. **श्री ए० के० कोत्राशट्टी :**

श्री वी० राजगोपाल नायडू :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि में दक्षिण क्षेत्र में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) क्या दक्षिण क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए उपयुक्त स्थल खोजने के लिए कोई दल बनाया गया था और यदि हां तो कब और उसका प्रतिवेदन क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परमाणु बिजलीघर लगाने के लिये उपयुक्त स्थलों का चयन करने के वास्ते सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में अनेक स्थलों की जांच की है । समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

शाह आयोग के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

*53. **डा० बलदेव प्रकाश :**

श्री सी० आर० महाटा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाह आयोग द्वारा प्रस्तुत दो अन्तरिम प्रतिवेदनों पर विचार किया है ?

(ख) क्या सत्ता और अधिकारों के दुरूपयोग के लिए आयोग द्वारा दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) आयोग के निष्कर्षों से अनेक मामलों में जहां अपराध किये गये प्रतीत होते हैं कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये और जहां सरकारी कर्मचारियों के अनियमित तथा अनुचित व्यवहार ने आयोग का आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया है विभागीय कार्यवाही करने के लिये आधार मालूम होते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ; प्रधानमंत्री के भूतपूर्व अतिरिक्त निजी सचिव श्री आर० के० धवन, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बंशीलाल, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जैलसिंह, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेठी, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी दिल्ली भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री किशन चन्द्र, सूचना तथा प्रसारण के भूतपूर्व मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री संजय गांधी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जगमोहन, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक श्री डी सेन, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भूतपूर्व संयुक्त निदेशक श्री ए बी० चौधरी दिल्ली, पुलिस के भूतपूर्व उपमहानिरीक्षक श्री पी० एस० भिन्डर तथा अन्यों के विरुद्ध छः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं ।

निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई के संबंध में मामले चलाए जा रहे हैं:—

सर्वश्री नवीन चावला, दिल्ली के उपराज्यपाल के भूतपूर्व सचिव; बी० आर० टमटा, दिल्ली नगर निगम के भूतपूर्व आयुक्त ; बी० ए० ऐलाबादी, नई दिल्ली नगर पालिक के भूतपूर्व सदस्य सचिव ; डी० सेन केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक ; पी० एस० भिंडर दिल्ली पुलिस के भूतपूर्व उप-महानिरीक्षक; के एस० बाजवा, दिल्ली अपराध जांच प्रभाग विशेष शाखा के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक; जगमोहन भूतपूर्व उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ; एस० आर० मेहता भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एस०; बी० जैन, भूतपूर्व निदेशक प्रवर्तन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारी ।

Missing Parts from DTC Buses

*54, **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published ine the "The Indian Express" dated 7th June, 1978 that parts worth lakhs of rupees were found missing from hundreds of DTC buses in February, 1975;

(b) whether it is a fact that orders were issued for conducting an inquiry into th matter;

(c) whether Government are aware that the file relating to this case has been misplaced;

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard; and

(e) the legal action to be taken against the persons found guilty ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a), (b), (c), (d) and (e) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(a) Yes, Sir. Certain discrepancies in regard to spare parts of buses sent by various depots of the DTC for repairs first to the Pratap Nagar Yard and thereafter to the Central Workshop were detected. A number of parts have since been duly accounted for by the Depot Managers. In some cases, the dicrepancies are under correspondence and have still to be reconciled.

(b) It is not possible to state whether any inquiry was ordered, in view of the reply to part (c) below.

(c) Yes, Sir. The file relating to this case is reported to have been misplaced and is not readily traceable.

(d) The Chairman-cum-General Manager, D.T.C. has issued orders to the concerned officers to search out the relevant file.

(e) The question of taking legal action or departmental proceedings, against the persons who may be found guilty or at fault, can be considered after the missing file is traced and full facts of the case are available or the responsibility for loss of the file is fixed and the remaining discrepancies in regard to spare parts are reconciled.

सशस्त्र सेनाओं के सेनाध्यक्षों का पूर्ववर्तिताक्रम

*55. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या गृह मंत्री सशस्त्र सेनाओं के सेनाध्यक्षों के पूर्ववर्तिताक्रम के बारे में 1 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : 1-3-1978 को उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 142 से संबंधित तथ्य इस प्रकार है :—

2. सशस्त्र सेनाओं अथवा सेनाध्यक्षों के पदों को जिन्हें हमारे राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान प्राप्त हैं, कम करने, किसी तरह बदनाम करने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठा है । अन्तरिम सरकार बनने और देश की स्वाधीनता के परिणामस्वरूप बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पहले पहल 1947-48 में पूर्ववर्तिताक्रम की सारणी तैयार करने की ओर ध्यान दिया । तत्कालीन उप-प्रधान मंत्री सरदार पटेल के अनुरोध पर ही अधिकारियों की एक अनौपचारिक समिति को सिफारिशें करने के लिए कहा गया । तत्कालीन उप प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा अधिकारियों की संवैधानिक और राजनयिक स्थिति तथा उनके द्वारा लिए जा रहे वेतन के आधार पर अक्तूबर, 1948

में सापेक्ष पूर्ववर्तिता क्रम का अनुमोदन किया गया था । इस प्रकार ऐतिहासिक तथा संवैधानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, सेनाध्यक्षों को, प्रधान मंत्री भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों, राजदूतों विशिष्ट सिविल कर्मचारियों और फैडरल कोर्ट के न्यायाधीशों जैसे व्यक्तियों से ठीक नीचे का स्थान दिया गया था ।

3. प्रश्न के भाग (ख) में दिये गये किसी वक्तव्य के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं है । 1951 अथवा 1965 में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किये गये थे, जिनके कारण सेनाध्यक्षों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा हो।

4. जब कभी विशेष पहलू सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो पूर्ववर्तिताक्रम की सारणी में निर्धारित स्थिति का पुनरीक्षण किया जाना है । विदेश मंत्रालय में महासचिव के लिए निर्धारित उच्चतर स्थान केवल पहले की प्रथा को जारी रखना था । उसी वर्ष मंत्रिमंडल सचिव की भी उसी प्रविष्टि में जोड़ा गया था । महान्यायवादी को भी 1968 में मंत्रिमंडल सचिव की तरह वही स्थान दिया गया था । पूर्ववर्तिता क्रम की सारणी में सापेक्ष पदों में ये सभी परिवर्तन सरकार में सर्वोच्च स्तर पर किये जाते हैं और निश्चित ही ये प्रस्ताव गृह मंत्री, प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं । राज्यों के मुख्य सचिवों की वर्तमान सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करने में उनकी परिलब्धियों तथा पदों में परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया था ।

5. सारणी अपने आप में समारोहों में केवल बैठने के उचित प्रबंध करने के लिए ही है और इसका अन्य कोई महत्व नहीं है और इसलिए सशस्त्र सेनाओं अथवा सिविल सेवाओं के मनोबल अथवा कामकाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये। सरकार का विशेष रूप से यूनिफार्म्ड फोर्सिज के गौरव को बनाये रखने का यही प्रयास रहेगा।

हरिजनों के प्रति अपराधों के लिए विशेष न्यायालय

*56. **श्री एस० जो० मुरुगयन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों के प्रति अपराधों की जांच के लिये विशेष न्यायालय गठित करने के बारे में केन्द्र सरकार के निदेश के संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया, उत्साहजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल): (क) और (ख) सरकार ने ऐसा कोई निदेश नहीं दिया है, इसलिये राज्यों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Incentives for Development of Small Scale Industries in Rural Areas

*57. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps for developing small industries in the field of rural development and the details of the incentive given by Government to such industries in 1977 ;

(b) whether villagers are given free technical training by Government for the development of industries and if so, the extent to which importance is given to villagers therein ; and

(c) how many years Government will take in developing small industries in rural areas ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) & (b) Yes, Sir. The Government has taken steps for developing small industries in rural areas through the Rural Industries projects programme and Rural Artisans programmes. During the year 1977-78, Government provided central assistance of Rs. 231.25 lakhs as grant and Rs. 357.00 lakhs as loan to various States/Union Territories for the implementation of the various schemes in the Rural Industries projects districts. This includes provision of credit facilities to the entrepreneurs at a very low rate of interest of 5½% per annum for starting industries in the rural areas. A training programme of artisans was launched through Rural Artisans programme and stipends were paid to the entrepreneurs. Ex-trainees were also given a subsidy of 33⅓% for purchase of improved tools and equipments. With the Government's decision of setting up of District Industries Centres all over the country in a phased manner, however, it has been decided to merge the Rural Industries Project activities in the District Industries Centres. The existing Rural Artisans Programmes/Rural Industries Projects schemes for assistance to entrepreneurs will now function under the District Industries Centres.

(c) The Government of India is very keen to develop small scale industries in rural areas as early as possible. To accelerate this process, Government have launched during the current year a national programme for the establishment of District Industries Centres of which 212 have already been sanctioned.

Centre-State Relations

***58. Shri Keshavrao Dhondge :**

Shri Arjan Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of States which have sent proposals to the Central Government to have a discussion on Centre-State relations;

(b) the outlines of these proposals; and

(c) the Central Government's policy and reaction in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) and (b) Three States, namely, West Bengal, Kerala and Tripura had made proposals in this regard. As regards West Bengal, reference is invited to the answer furnished in reply to Unstarred Question No. 325 dated the 22nd February, 1978, along with which a coypy of the memorandum from the Government of West Bengal and a letter on the subject from the Chief Minister, West Bengal, had been laid on the Table of the House. Copies of resolutions adopted on the subject by the Kerala and Tripura Legislative Assemblies are now laid on the Tableof the House.

[Placed in Library See No. L.T. 2407/78]

(c) It may be recalled that the subject of Centre-State relations was specifically included by the Government of India as separate item in the terms of reference of the Administrative Reforms Commission (ARC). The ARC studied the subject in great depth and in their Report (June 1969) on "Centre-State Relationships" they recommended that in view of the paramount importance of the unity of India, no Constitutional amendment was necessary for ensuring proper and harmonious relations between the Centre and the States, inasmuch as the provisions of the Constitution governing the Centre-State relations were adequate for the purpose of meeting any situation or resolving any problems that might arise in this field. The Central Government, after consulting the States, had agreed with the general approach recommended by the ARC.

Appointment of Station Directors in Commercial Centres of A.I.R.

*59. **Shri Ram Murti** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have recently examined the matter whether Station Directors should be posted at Commercial Centres or not;

(b) whether there is no production work at Commercial Centres and the work can be done by an Assistant Director;

(c) if so, whether Government are considering a proposal to merge Commercial Service Centres with the main Stations in such places where there is a Station Director with main Station; and

(d) if so, the time by which it will be done and Station Directors posted to other places ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a), (b), (c) and (d) The entire question of the level at which the Commercial Broadcasting Centres should be manned is under examination, keeping in view of volume of work relating to production, sale and other relevant considerations. A decision on this will be taken as soon as possible. The question of transferring the existing Station Directors does not therefore arise at this stage.

आपातकालीन में की गई ज्यादतियों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाने हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना

*60. **डा० मुरली मनोहर जोशी** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शाह आयोग के निष्कर्षों के संदर्भ में आपात काल में की गई ज्यादतियों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाने हेतु एक विशेष न्यायालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा न्यायालय कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे न्यायालय की स्थापना न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनूसिंह पाटील) : (क) से (ग) सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । ऐसे एक विधान की वैधता के बारे में कुछ आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन वैधता के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने का निर्णय किया है।

राजधानी में प्रादेशिक फिल्मों का प्रदर्शन

401. **श्री अहमद हुसेन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में प्रादेशिक फिल्मों के प्रदर्शन का कोई प्रबन्ध किया है चूंकि इनका प्रदर्शन राजधानी में फिल्मोत्सव के सिवा अन्य किसी समय नहीं किया जाता ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रति रविवार अपने स्वयं के आडीटोरियम में प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के कम से कम एक अथवा दो शो "बिना लाभ-हानि आधार पर" करने का है; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) फिल्मों का प्रदर्शन निजी क्षेत्र में है और इसका विनियमन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है । एक लघु पूर्वदर्शन (प्रिव्यू) थियेटर के सिवाय, केन्द्रीय सरकार की राजधानी में अपनी कोई प्रदर्शन व्यवस्था नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयोजना के अंग के रूप में न्याय का प्रशासन

403. **श्री ओमप्रकाश त्यागी** : क्या **योजना** मंत्री केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा न्याय के प्रशासन को आयोजना का अंग बनाने का अनुरोध करने के बारे में दिनांक 26 मई, 1978 के 'ट्रिब्यून' में पृष्ठ 7 पर प्रकाशित समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की इस सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या इसे छठी योजना में एक अलग अध्याय के रूप में रखा जायेगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोराराजी देसाई) : (क) और (ख) 1978-83 की पंच वर्षीय योजना में न्यायिक प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रावधानों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया है । आयोग का यह विचार है कि विकास से इतर कार्यकलापों के लिए कार्मिकों और आकस्मिक व्ययों पर किए जाने वाले व्यय को योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । जहां तक भवनों के लिए प्रावधान का संबंध है, 1978-83 की योजना के प्रारूप में, राज्यों में लोक निर्माण कार्यों के लिए 250 करोड़ रु० के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । इसमें सरकारी भवनों के विस्तार के लिए राशि सम्मिलित की जा सकती है, और राज्य सरकारों से इस काम के लिए अपनी पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों में अपनी आवश्यकताएं सम्मिलित करने के लिए कहा जा रहा है । पंच वर्षीय योजना में "न्याय का प्रशासन" नाम से अलग अध्याय सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

हल्दिया/कलकत्ता और फरक्खा के बीच जल परिवहन

404. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप मामले का नियमित रूप से अकलन करने के लिए हल्दिया/कलकत्ता और फरक्खा के बीच शक्तिचालित जहाजों द्वारा वाणिज्यिक और पर्यटन के लिये जल परिवहन की सरकार ने परीक्षण के तौर पर व्यवस्था की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता भारतीय तेल निगम के तेल को लाने ले जाने के लिए दिसम्बर 1975 से बिजली द्वारा चलाये जा रहे जहाजों से नियमित आधार पर हल्दिया और कलकत्ता के बीच पहले ही सेवाएं चला रहा है । निगम 1978 के शुरू में कलकत्ता और फरक्खा के बीच प्रयोगात्मक फेरे भी चला रहा है, मई 1978 से निगम द्वारा पाकुर/धुलिया से मुख्यतः पत्थर के टुकड़े ले जाने वाले नियमित बिजली से चलायी जा रही माल सेवा शुरू की गई है । इस मंत्रालय या भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कोई यात्री/पर्यटन सेवा नहीं चलाई जा रही है ।

हंगरी एवं भारत के बीच औद्योगिक एवं आर्थिक समझौता

405. **श्री एफ०पी० गायकवाड़** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी के बीच किसी नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग के नये क्षेत्र आते हैं ;

(ख) क्या इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों में व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो मदवार कितने मूल्य, रुपयों में, की वृद्धि की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार समझौते को सभा पटल पर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) 25 मई, 1978 को हस्ताक्षर किये गये प्रोटोकोल में आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारत और हंगरी के संयुक्त आयोग के तीसरे अधिवेशन की सिफारिशें और निष्कर्ष समाविष्ट है, जिनमें दोनों देशों के बीच अलौह धातुओं, इंजीनियरी उत्पादों, औषधि तथा भेषजीय, चमड़ा, वस्त्र तथा तीसरे देशों की परियोजनाओं के बारे में सहयोग करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है । ट्रेड, व्यापार पण्यावर्त बढ़ाने के उपायों के मामले में नए व्यापार तथा भुगतान करार के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया था जिसके अनुसार 1 जनवरी, 1978 से रुपया व्यापार प्रणाली से निर्बाध विदेशी विनिमय की बहुपक्षीय प्रणाली में परिवर्तन किया गया है । दोनों देशों के मध्य विचार-विमर्श के दौरान यह सहमति थी कि औद्योगिक सहयोग से काफी मात्रा में व्यापार बढ़ेगा । रुपये मूल्य में मदवार व्यापार की बढ़ोतरी को बताना संभव नहीं है क्योंकि इसके परिणाम दीर्घ काल के पश्चात् ही मिलने की आशा है।

(घ) जी, नहीं

भारतीय नौ सेना के लिए द्रुत गति वाले जहाज

406 **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विशेषज्ञों ने भारतीय नौ सेना के लिए बड़े जहाजों के बजाय द्रुत गति वाले जहाजों के लिए सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार द्रुत गति से चलने वाले ऐसे जहाजों की खरीद करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (घ) रक्षा संबंधी मामलों में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों ने भारतीय नौसेना में अधिकतम आकार और गठन के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं । सरकार नौसेना संबंधी नीति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और हमारी नीति संतुलित नौसेना का निर्माण करने की है जिसमें ऐसे जहाज रखे जाएं जो उन्हें दी गई विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने के लिए उपयुक्त हों । नौसेना ने जो जहाज प्राप्त किए गए हैं वे कार्य के अनुसार विभिन्न किस्मों व आकार तथा जाति के हैं । नये जहाजों को प्राप्त करते समय छोटे आकार के जहाजों और तेज रफ्तार से चलने वाले जहाजों से मिलने वाले लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है ।

विदेशी जलपोत "अंगे लाइन"

407. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के बावजूद कि बम्बई बन्दरगाह में जहाजों के आवागमन पर नौ सेना, रक्षा विभाग, बन्दरगाह विभाग तथा सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का नियंत्रण है और आने जाने वाले जलपोतों पर नजर रखी जाती है फिर भी एक विदेशी जलपोत "अंगेलाईन" बन्दरगाह तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों की जानकारी के बिना बन्दरगाह से कूच कर गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्राधिकारियों की जानकारी के बिना एक विदेशी जलपोत भारतीय समुद्र में से किस प्रकार कूच कर सका;

(ग) क्या उक्त जलपोत को रोकने के संबंध में उच्च न्यायालय का कोई आदेश था और जलपोत के कूच कर जाने के लिये कौन उत्तरदायी है;

(घ) क्या अधिकारी अपनी स्वयं की असावधानी तथा गलत काम के लिये दूसरों पर दोष डाल रहे हैं और निर्यातकों एवं अन्य को परेशान कर रहे हैं; और

(ङ) इन बातों का चूंकि देश की सुरक्षा से संबंध है, सरकार का अधिकारियों के विरुद्ध तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) से (ङ) जहाज एम० वी० अंजलीना बम्बई पत्तन में 1-9-77 को पहुंचा । इस जहाज का धारा में 7 अक्तूबर, 1977 को लंगर डाला गया। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों पर यह जहाज जप्त कर लिया गया था अतः पत्तन को जारी किया गया आदेश वापिस ले लिया गया । बाद में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश रद्द कर दिए गए । कलकत्ता उच्च न्यायालय से फिर से जप्त आदेश प्राप्त हुए । यह देखा गया कि जहाज ने धारा में लंगर डाल दिया । बिना चालक के चुपचाप चला गया (जो कि अनिवार्य है तथा बिना पत्तन की आज्ञा प्राप्त किए यदि वह उनके पत्तनों पर आए, भारत के सभी अन्य पत्तनों को जहाज को रोकने को कहा गया। सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 41 तथा 42 के अन्तर्गत स्टीमर एजेन्टों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत स्टीमर एजेंटों पर जुर्माना लगाया गया है । पार्टी ने बिना जुर्माने की अदायगी के जुर्माने के विरुद्ध अपील दायर की है । अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास पड़ी है ।

जहाजों का पत्तन से बिना आज्ञा तथा बिना चालक के लापता हो जाना एक अत्यन्त विचित्र घटना है । जबकि शक के मामलों में नौ सेना की सहायता प्राप्त की जा सकती है । इस मामले में जहाज के संभावित लापता होने की कोई अग्रिम सूचना अथवा संदेह नहीं था, अतः जहाज के भागने को रोकने के लिए नौ सेना की सहायता नहीं मांगी गई ।

केरल में सालेंट बेलो परियोजना

408. **श्री बी० एम० सुधीरन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में प्रस्तावित परियोजना के बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) उसको स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी,हां ।

(ख) साइलेंट वैली परियोजना (पारेषण कार्यों सहित) 2,448 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मूलतः फरवरी, 1973 में मंजूर की गई थी । बाद में, केरल सरकार ने इस योजना में संशोधन किया और अक्तूबर, 1977 में उसने (पारेषण कार्यों को छोड़कर) 4,080 लाख रुपए की लागत के संशोधित अनुमान भेजे हैं । संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके की जा रही है।

वातावरण की दृष्टि से सुरक्षण प्रदान किए जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है ।

Demand from Maharashtra for Setting up Military College and School

409. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of new places in Maharashtra from where demand has been received for Military schools and colleges ;

(b) whether the Central Government has received any proposal from the State Government for setting up a Military school and college near Raigarh, if so, the reaction of the Government thereto; and

(c) whether it is a fact that a demand for the said Military school and college was made to him when he visited Raigarh on the anniversary of Shivaji Maharaj and that he had given an assurance for the same ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c) Proposals have been received by the Govt. for opening of a Military School at Sondale, in Dhulia district of Maharashtra. No proposal has been received from the State Government for setting up a Military i.e. Sainik School near Raigarh.

On a suggestion that a Sanik School be established at Raigarh it was explained that such a school can be established on the recommendation of the State Government. Assurance was given that the Central Government will grant the usual assistance to such a school when approached by State Government.

विभिन्न मिलों के लिए श्रमिक क्षेत्र

410. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक श्रमिक क्षेत्र की स्थापना करने का है जिसे (1) नगर परिवहन, (2) गृह निर्माण, (3) चावल मिलें, (4) चीनी मिलें, (5) तेल मिलें, (6) कपड़ा मिलें, (7) कागज मिलें, (8) ईट उद्योग, (9) आटा मिलें, (10) चमड़ा उद्योग से संबंधित विस्तार का कार्य सौंपा जायें ; और

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारें एवं केन्द्र सरकार द्वारा गठित संस्थाओं से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करके श्रमिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) संसद के समक्ष 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण के पैरा 33 में श्रमिकों के भाग लेने सम्बन्धी सरकार की नीति स्पष्ट की गई है । जो निम्न प्रकार है :—

"33 किसी देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण एक मात्र स्रोत इसकी जनता की कार्यकुशलता और परिश्रम है । हमारे भारतवर्ष में मजदूर पर्याप्त मात्रा में हैं जो शीघ्र ही नवीन, प्रवीणता प्राप्त करने में सक्षम है तथा तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों का भंडार है । इन स्रोतों का ऐसे परिवेश में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है जिसमें कारीगरों और प्रबन्धकों में उपक्रम के काम में अपनेपन की भावना हो । व्यापार पर परिवारों का नियंत्रण विशष रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों में एक कालदोष है, सरकार की यह नीति रहेगी कि वह प्रबन्ध में व्यावसायिकता पर जोर देगी । साथ ही सरकारी और

गैर सरकारी क्षेत्र के कारीगर अपने एकक को सफलतापूर्वक चलाने में पूर्ण दम लगा दें । इस भावना का उनमें निर्माण करने के लिए साधन और उपाय ढूंढ़ने होंगे ।"

Broadcasting of 20-Point Programme by Various Centres of A.I.R.

411. **Shri T.S. Negi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to USQ No.2080 on 8-3-78 and state :

(a) whether detailed report in regard to "Chintan" programme broadcast on 9th January, 1978 has been received; and

(b) if so, the action taken against the officers of those commercial service centres from where this programme was broadcast ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Yes, Sir.

(b) The Programme Executive and Transmission Executive concerned have been awarded penalties of "censure" and "witholding of increments" for two years respectively. The Production Assistant and the Announcer have been warned.

No action was considered necessary to be taken against officers working at various commercial service centres, as they were not held responsible for the lapse.

Production of Newsprint and setting up of new Mills

412. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of mills producing newsprint in the country at present with annual production capacity of each mill and the extent to which their capacity is being utilized; and

(b) the present domestic consumption of the newsprint and whether Government have any plan to set up new mills to cover the gap in consumption and production ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) There is only one unit in the country viz., M/s. The National Newsprint and Paper Mills Ltd., Nepanagar which is producing newsprint at present. The Mill is in the process of expanding its capacity from 30,000 tonnes to 75,000 tonnes per annum. However the installed capacity at the amount moment is estimated to be 67,500 tonnes against which the mill is expected to attain production of a level of 60,000 tonnes in the current year.

(b) The present demand of newsprint is about 2 lakhs tonnes per annum. The Hindustan Paper Corporation, a Government of India Undertaking is setting up a newsprint project in Kerala State for a capacity of 80,000 tonnes per annum. The project is expected to be commissioned in the third quarter of 1979. M/s. Mysore Paper Mills have been granted an Industrial Licence for undertaking substantial expansion for the manufacture of 75,000 tonnes newsprint per annum. This scheme is under active implementation and is likely to be commissioned during 1980-81.

Criteria for giving promotion to the posts of Station Directors

414. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the proposal of connecting commercial broadcasting centres with main broadcasting centre and posting an Assistant Station Director there in place of Station Director ;

(b) if so, whether Government propose to put a ban on the appointments of the Station Directors who were given departmental promotions until such process is completed ;

(c) whether according to the Verghese Committee report a Station Director may come from any Cadre ; and

(d) if so, the reasons for giving promotions to the persons of only one cadre ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) The entire question of the level at which the commercial broadcasting centres should be manned is under examination.

(b) It will not be in public interest to keep senior administrative posts unfilled.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government is yet to take decision on the recommendations of the Verghese Committee. Under the existing Recruitment Rules only Assistant Station Directors and Programmes Executives are eligible for promotion to the rank of Station Director.

Number of Industrial Licences given in Gujarat

415. **Shri Dharmasinh Bhai Patel** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total number of licences given by Government of India in Gujarat during 1977-78 and the names of industries as well as the names of places for which these were given and the names of the industries whose applications were pending as on 31st March, 1978 and the reasons therefor ;

(b) out of the pending applications for 1977-78 the names of industries whose licences have been sanctioned so far and since when they have been sanctioned ; the number of applications pending at present out of 1977-78 applications and the time by which they will be sanctioned ; and

(c) the names of places and industries in Gujarat for which applications have been received for 1978-79 and the names of applicants ; the action taken or proposed to be taken in this regard and when ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) During the period April, 1977-March 1978-79 letters of intent and 46 industrial licences were issued for Gujarat State under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. The details of letters of intent and industrial licences including names of the applicants, items of manufacture, capacity, location of the project etc. are published in "Weekly Bulletin of industrial Licences, Import Licences and Export Licences" and "Monthly List of Letters of Intent and Industrial Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library. Licensing applications pertaining to Metallurgical industries, Electrical equipment Industrial machinery, Chemicals, Dye-Stuffs, Drugs & Pharmaceuticals etc. were pending as on 31.3.78.

(b) Approvals for Metallurgical industries, Industrial Machinery, Chemicals, Electrical equipment, Drugs & Pharmaceuticals, Dye-Stuffs etc. have been issued so far. Out of 1977-78 applications, 25 cases are at various stages of consideration and efforts are being made to clear these as expeditiously as possible.

(c) During the period April-June 1978, licensing applications for Metallurgical industries, Electrical equipment, Chemicals, Fertilisers, Drugs & Pharmaceuticals, Food processing industries, Leather & leather goods & Glass etc. for Broach, Baroda, Surat, Ahmedabad, Panchmahals, Rajkot, Kaira and other districts in Gujarat have been received from various applicants. These applications are at various stages of consideration.

आपात काल के दौरान अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार

416. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री 8 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में आपात काल के दौरान सेवावधि से पूर्व सेवा निवृत्त किये गये सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अद्यतन परिणाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) तथा (ख) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, आपात काल के दौरान समय-पूर्व सेवानिवृत्त किए गए 3721 कर्मचारियों को सेवा में बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं । विभिन्न मंत्रालयों को स्मरण-पत्र भेजा जाएगा कि वे पुनरीक्षा कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में निदेशक बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाना

417. **श्री के०ए० रजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में केवल दो तीन ही निदेशक रहे हैं ;

(ख) क्या बोर्ड की कुछ बैठकों में केवल एक निदेशक का चैयरमैन-कम-प्रबन्ध निदेशक की उपस्थिति और उनमें महत्वपूर्ण नीति/वित्त संबंधी निर्णय किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो निदेशक बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

इन बैठकों की कार्यसूची में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विषय शामिल हैं ।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

निगम के निदेशक मंडल की 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1978 की अवधि के दौरान हुई बैठकें

बैठक की तिथि	निदेशक मंडल की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
1975-76		
15 अप्रैल, 1975	4	2 (उपस्थित निदेशकों से बैठक का कार्य संचालन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति हो गई)

बैठक की तिथि	निदेशक मण्डल की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की संख्या
26 जुलाई, 1975	4	2 (उपस्थित निदेशकों से बैठक का कार्य संचालन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति हो गई)
22 अगस्त, 1975	4	4
11 सितम्बर, 1975	4	3
26 नवम्बर, 1975	4	3
27 जनवरी, 1976	4	2 (उपस्थित निदेशकों से बैठक का कार्य संचालन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति हो गई)
11 फरवरी, 1976	4	4
5 मार्च, 1976	4	3
1976-77		
8 अप्रैल, 1976	5	4
12 मई, 1976	5	3
9 अगस्त, 1976	4	3
13 सितम्बर, 1976	4	4
9 नवम्बर, 1976	4	2 (उपस्थित निदेशकों से बैठक का कार्य संचालन करने के लिये आवश्यक गणपूर्ति हो गई)
14 जनवरी, 1977	6	4
23 मार्च, 1977	6	3
1977-78		
8 जून, 1977	6	4
26 अगस्त, 1977	4	3
2 सितम्बर, 1977	4	4
30 सितम्बर, 1977	4	3
26 दिसम्बर, 1977	3	2 (उपस्थित निदेशकों से बैठक का कार्य संचालन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति हो गई)
27 मार्च, 1978	3	2 (उपस्थित निदेशकों से बैठक का कार्य संचलान करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति हो गई)

Bridge Over Yamuna Near I.S.B.T. Delhi

† 418. **Shri Ramanand Tiwari**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the funds allocated for the construction of the Yamuna bridge near I.S.B.T. ; and

(b) the present stage of construction of the bridge and when the same is likely to be completed?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Delhi Administration have provided Rs. 15 lakhs in the budget estimate for 1978-79 for this work.

(b) Delhi Administration prepared a preliminary estimate covering the bridge guide bunds, approach roads and a fly-over on the Ring Road near I.S.B.T. This estimate, however, required recasting and was, therefore, returned to the Delhi Administration who have sinee resubmitted a modified estimate on 21-6-78. About five years are likely to be required for completion of this project after its commencement.

जनजाति क्षेत्रों में योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाना

419. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई निदेश जारी किये हैं जिसमें उनसे जनजाति क्षेत्रों में योजनाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्यों में क्रियान्वित की जा रही जनजाति संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जनजाति क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए राज्यों से कहा गया है कि 50% और इससे अधिक आबादी वाले जनजाति क्षेत्रों के लिए जनजाति उपयोजनाएं तैयार की जाएं । ऐसी जनजाति उपयोजनाएं आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा गोआ, दमन और दीव के लिए तैयार कर दी गई हैं ।

(ख) इन कार्यक्रमों में विकास के सभी क्षेत्र अर्थात् कृषि, बागवानी, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि शामिल हैं ।

जिला उद्योग केन्द्रों में कर्मचारी नियुक्त करने की पद्धति

420. **श्री के० मायातेवर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिये कितने विकास केन्द्र खोले गये हैं अथवा खोलने का विचार है ;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच इन केन्द्रों के वित्त पोषण की क्या पद्धति है;

(ग) एक जिला केन्द्र की मानक-पद्धति क्या है तथा वहां कम से कम तथा अधिक से अधिक कितने कर्मचारी होते हैं और उनकी तकनीकी एवम् अन्य प्रकार की अर्हतायें क्या हैं ; और

(घ) क्या अब तक खोले गये जिला केन्द्रों के बारे में अध्ययन करने के पश्चात् सरकार इस बारे में संतुष्ट है कि वे वस्तुतः इस व्यय के अनुरूप हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) अब तक सारे देश में 212 जिला उद्योग केन्द्रों के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(ख) भारत सरकार प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र को जिला उद्योग केन्द्र की इमारत बनाने, फर्नीचर खरीदने, उपकरण, वाहनों आदि के लिए 5.00 लाख रु० तक की अनावर्ती मंजूरी की भी व्यवस्था करेगी । प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र के व्यवस्था कार्यों के लिए भारत सरकार एक वार्षिक आवर्ती अनुदान भी देगी जो वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत होगा किन्तु उसकी अधिकतम सीमा 3.75 लाख रुपये होगी । वार्षिक आवर्ती व्यय में राज्य संघ शासित क्षेत्रों का हिस्सा खर्च हुए वास्तविक आवर्ती व्यय का 25 प्रतिशत तक होगा ।

(ग) प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र एक महाप्रबंधक के अधीन होगा जिसकी सहायता के लिए 7 कार्यकारी प्रबंधक और अन्य सहायक स्टाफ होगा । कार्यकारी प्रबंधक निम्नलिखित विषय देखेंगे :—

(1) आर्थिक अन्वेषण,
(2) मशीनें और उपकरण,
(3) अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण,
(4) कच्चा माल,
(5) ऋण,
(6) विपणन, और
(7) कुटीर उद्योग ।

प्रमाणित योग्यता और पर्याप्त अनुभव सहित नेतृत्व करने का गुण, संगठन संबंधी योग्यता एवं कार्यकारी कार्यक्षमता रखने वाले व्यक्तियों को चुना जा रहा है ।

(घ) जी, हां । फिर भी, योजना के प्रभाव का अनुमान लगा पाना अभी समय से पूर्व होगा ।

"वाईटिल पी०एस०आई०आर० पेपर्स डिस्पोज्ड आफ एज रद्दी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

421. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 22 जून, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "वाइटल पी० एस० आई० आर० पैपर्स डिस्पोज्ड आफ एज रद्दी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार का पता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) संबंधित समाचार की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2408/78]

(ग) से (ङ) ऊपर निर्दिष्ट समाचार के प्रकाशन से गलतफहमी शायद जो इस वर्ष मार्च-अप्रैल के मध्य आयोजित विस्तृत सफाई कार्यक्रम की वजह से हुई है । उक्त विषय से सम्बन्धित वर्तमान नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि रिकार्ड न तो समय से पूर्व नष्ट किये जाये न हो उनको निर्धारित समय से ज्यादा लम्बे समय के लिये रखा जाये । इस सफाई अभियान के दौरान वही गोपनीय और व्यक्तिगत फाईलें नष्ट की गई थी जिनका निर्धारित समय पूरा हो चुका था । अन्य रिकार्ड रद्दी के रूप में नीलामी द्वारा बेचे गये थे ।

राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के उप-निदेशकों के चयन सम्बन्धी कागजात गायब हो जाने या पता न लगने का प्रश्न पूर्णतः एक अलग मामला है, जिसकी जांच अधिकारियों के एक दल द्वारा की जा रही है और इस सम्बन्ध में जल्दी ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

Promotion of S.C. and S.T. in Dadra and Nagar Haveli.

422. **Shri Chhitubhai Gamit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Dadra and Nagar Haveli are not given promotions and if so, the reasons therefor;

(b) the number of employees in class I, II, III and IV given promotion from 1972 tos 1977 and the number of members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe among them and what was the reservation quota for them ; and

(c) who is responsible for not giving promotions to the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per their reserved quota in this regard and whether any action will be taken against them and if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a), (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जनसंख्या ब्यूरो

423. **श्री सरत कार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय और राज्य स्तर पर जनसंख्या ब्यूरो की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रायलय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता

Withdrawal of Criminal Cases Against V.I.Ps.

424. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **HOME AFFAIRS** be pleased to state :

(a) the names of the VIPs and their near relations against whom the criminal cases were withdrawn during the last 15 months of Janata Party rule, the dates on which these cases were withdrawn, the nature of the cases against them and the reasons for withdrawing such cases ; and

(b) the number of cases relating to the student and public agitations filed before and during emergency which were withdrawn, the number of such cases still pending in the courts and the number of students and political workers who have to appear in court as defendant in that connection ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) & (b) It is difficult for the Government to collect material for answering this question for the following reasons :—

(i) The expression VIP does not have a legal connotation and therefore, it is not possible to segregate cases of VIPs and their near relations ;

(ii) apart from the fact that 'Public Order' is a State List subject, the Broad Spectrum of activities covered by the expression 'student and public agitations' makes it difficult to gather and furnish information specially when the exact period before emergency for which the information is sought, has not been specified.

It may, however, be stated that the Central Government had, immediately after the revocation of Emergency issued instructions to all State Governments and Union Territories Administrations to withdraw all those cases instituted under the DISIR, which did not involve acts of violence or economic offences.

जांच आयोगों द्वारा बनाये गये मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालयों को गठित करने के लिए कानून

425. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध दीवानी अथवा फौजदारी मामलों के बारे में, 19 महीने तक लागू रहने वाली आपात स्थिति के दौरान जिनके आचरण और कार्यों अथवा काले कारनामों के बारे में विशेष रूप से गठित जांच आयोगों द्वारा जांच की गई थी, कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालयों और/ अथवा अन्य न्यायिक निकायों के गठन और कार्यकरण की व्यवस्था करने के लिए निकट भविष्य में कोई विधेयक पेश करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील): (क) से (ग) सरकार को विधान के लिए कुछ विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार श्रीमती गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायलय स्थापित करने के प्रश्न पर सक्रिय रुप से विचार कर रही है, एक विधान की वैधता के बारे में कुछ आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन वैधता के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने का निर्णय किया है

एलूरू कृषि बाजार

426. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान सितम्बर 1976 में एलूरू कृषि बजार समिति ने अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के 14 छोटे किसानों की लगभग 16 एकड़ भूमि में खड़ी धान की फसल को नष्ट कर दिया था ; और

(ख) नष्ट की गई सम्पत्ति कितने मूल्य की थी और कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को भेजे गये केन्द्र के परिपत्र को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Atomic Power

427. Shri Yuvraj : Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether despite expenditure of millions of rupees, it has not been possible to generate sufficient power out of atomic energy ; and

(b) the total investment made by India in the field of nuclear technology and space science and the problems of the country solved thereby as also the broad gains that have accrued to the people ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Government have so far invested Rs. 914 crores in the capital programme for Atomic Energy and Rs. 208 crores in Space Reasearch Programme. Nuclear Power Generation, improvements in agricultural production and pest control, application of radiation in the field of medicine, use of radio isotopes in industry, development of technology and industrial self-reliance within the country are among the major gains from the investment made in the field of nuclear technology. The investment in Space Research Programme comprising Space Technology, Space application and Space Science have made it possible to lay down a firm foundation for space communications, application of satellites for survey and management of natural resources and meteorology which are expected to be immensely beneficial to the country in general.

रूई की आयात नीति में परिवर्तन

428. **श्री अमर सिंह वि० राठवा :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रूई सम्बन्धी आयात नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत देश में रूई उत्पादन-कर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए रूई का आयात बन्द कर दिया जायेगा,

(ख) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा, और

(ग) सरकार ने रूई का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सरकार की यह नीति है कि वह स्वदेशी रूई उत्पादनों के अहित में रूई का आयात नहीं करेगी, इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) रुई का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी किस्म में सुधार करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई जा रही है :—

(i) सिचाई की सुविधा प्राप्त और अप्राप्त क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर रूई की उत्पादिता . . तथा और अधिक उपज देने वाली संकर रूई को प्रचलित करना।

(ii) नई सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में उनका लाभ उठाकर रुई उत्पादन सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना।

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड का कार्यकरण

429. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान इस बीच हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उपक्रम के कार्यकरण में सुधार करने और अनुत्पादक तथा फालतु व्यय कम करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) एक समिति द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप जिसने इस एकक के कार्यकलाप और प्रबन्ध में कई कमियां पाईं, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार ने मार्च 1973 में हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। उपक्रम का प्रबन्ध करने के लिए गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कापोरेशन को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था। उनके लगभग पांच वर्ष के प्रबन्ध की अवधि में ट्रैक्टरों के उत्पादन में सुधार हुआ था तथा रोजगार की स्थिति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। एकक की उत्पादकता और जीव्यता में सुधार बनाये रखने की दृष्टि से संसद के एक अधिनियम द्वारा, 1 अप्रेल, 1978 से राष्ट्रीयकरण करके केन्द्रीय सरकार ने उपक्रम को अपने अधिकार में ले लिया। एक नई कम्पनी, गुजरात ट्रैक्टर कारपोरेशन लिमिटेड स्थापित कर दी गई है। उत्पादन में बराबर वृद्धि हो रही है।

जे०सी०बी० लैटर प्रेस के प्रूफ रीडरों से अभ्यावेदन

430 **श्री महीलाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जे०सी०बी० लैटर प्रैस में काम करने वाले कुछ वरिष्ठतम रीडर ग्रेड I/हैड कापीहोल्डर और अकाउंटेंट अप्रैल 1977 से अपनी लम्बी सेवा के आधार पर एस, आर ओ. 95-96 के परन्तुक के अन्तर्गत तकनीकी सहायक के पदों पर तदर्थ पदोन्नति करने एवं उच्च वेतनमान दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन दे रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन ग्रेड I के रीडरों/हैड कापीहोल्डरों तथा अकाउंटेन्टों से बहुत कनिष्ठ कुछ व्यक्तियों को तकनीकी सहायक (जी.डी) के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ग) यदि हां तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में ब्यौरा क्या है, उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं, उनके वर्गों में पदोन्नति के विभिन्न अवसर क्या हैं और उस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन वरिष्ठतम कर्मचारियों को कब तक पदोन्नत किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। प्रश्न के इस भाग में जिन अभ्यावेदनों का उल्लेख किया गया है वे प्राप्त हुए थे। साथ ही, इस आशय के अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे कि पदोन्नयन कोटे को बढ़ाने और विभागीय लिखित परीक्षा को समाप्त करने के लिए दिनांक 2-3-77 को एस० आर ओ० 95-96 में अधिसूचित संशोधित भर्ती नियमों में आगे और संशोधन किया जाना चाहिए।

इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इन अभ्यावेदनों पर निर्णय हो जाने तक, 1977 के भर्ती नियमों को कार्यान्वित न किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श कर भर्ती नियमों में आगे और संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) भर्ती नियम, 1969 के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्र वरिष्ठतम कर्मचारियों को 1972 से 1977 की अवधि में तकनीकी सहायक के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था क्योंकि कर्मचारियों से अभ्यावेदनों के कारण उक्त नियमों को कार्यान्वयन रोक लिया गया था। 1967 में संशोधित भर्ती नियमों में प्रवर्तन के पश्चात् जो कुछ कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हो गए हैं, वे उन कुछ कर्मचारियों से वरिष्ठ हैं जो तदर्थ आधार पर तकनीकी सहायक के पद पर हैं।

(ग) जिन कर्मचारियों को 1969 के भर्ती नियमों के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया था उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि वे वरिष्ठतम कर्मचारी थे इसलिए 1969 के भर्ती नियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया।

(घ) भर्ती नियमों में आगे और संशोधन करने के बारे में निर्णय हो जाने के बाद संशोधित नियमों के अन्तर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित आधार पर तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नत करने के बारे में विचार किया जाएगा।

विवरण

1969 में विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार तदर्थ आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायकों के ब्यौरे

क्रम सं०	नाम	ग्रेड में नियुक्ति की तारीख	तदर्थ आधार पर ग्रेड में नियुक्ति की तारीख	शैक्षिक अर्हताएं
1.	श्री सी. वी. जोनेजा	3-10-1966 (रीडर ग्रेड-1)	1-5-72	एम० ए० (इन्गलिस)
2.	श्री राजपाल सिंह	27-12-66 (रीडर ग्रेड-1)	14-5-72	एम० ए० (हिन्दी)
3.	कुमारी आर. डी. आनन्द	3-5-68 (तकनीकी कलर्क उच्च श्रेणी)	26-5-72	एम ए. वी. एड
4.	श्रीमती निर्मल कान्ता	13-7-64 (तकनीकी क्लर्क उच्च श्रेणी)	24-4-76	बी.ए.
5.	श्रीमती एस० के० चौहान	3-5-68 (तकनीकी कलर्क उच्च श्रेणी)	8-4-76	बी.ए.
6.	श्री ई. मिन्ज	18-11-69 (तकनीकी कलर्क उच्च श्रेणी)	2-4-76	बी.ए.
7.	श्री एन. एस. यादव	1-12-69 (तकनीकी कलर्क उच्च श्रेणी)	1-5-76	बी.ए.
8.	श्रीमती पी. बी. पोपली	24-11-69 (तकनीकी कलर्क उच्च श्रेणी)	13-12-76	एम० ए० (इन्गलिश)
9.	श्री शीश राम	18-11-79 (तकनीकी क्लर्क उच्च श्रेणी)	11-4-77	बी.ए

जूट लाइसेंसिंग आदेश को लागू करना

431. **श्रीमती अहिल्या पी० संगनेकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी व्यापारियों के कार्य में अनुशासन लाने उद्देश्य से "जूट लाइसेंसिंग आदेश" जारी किया है जिसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा और जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) पटसन (लाइसेंस और नियंत्रण) आदेश, 1961 के अधीन अधिसूचित कच्चा पटसन व्यापार की लाइसेंसीकरण की योजना 1-5-78 से लागू की गई है। इस आदेश के उपबन्धों के सख्ती से लागू होने का सुनिश्चिय नहीं किया जा सका है क्योंकि कलकत्ता के कुछ कच्ची पटसन के व्यवसायियों की एसोशिएशनों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में आदेश की वैधता को चुनौती दी है तथा न्यायालय से प्रार्थना की है कि मामले के निपटने तक एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी की जाए अतः मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन पड़ा है।

केरल तथा दिल्ली में विद्युत् के मामले में तोड़फोड़ की कार्यवाही

432. **श्री के० मालप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर केरल तथा दिल्ली में विद्युत् के मामले में तोड़-फोड़ के कुछ मामलों की जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो केरल तथा दिल्ली में इन तथाकथित तोड़ फोड़ के कारण विद्युत् केन्द्रों और ट्रांस्मोशन लाइनों को कितनी क्षति पहुंची है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के कुछ वर्ग जिस समय हड़ताल पर थे उस अवधि के दौरान मुख्यतः पारेषण और वितरण प्रणाली में तोड़फोड़ के कुछ तथाकथित कार्य हुए थे। मुख्य ट्रंक लाइनों के दो टावर (इदिक्की-पल्लोम-सबरोगिरि 220 के० वी० लाइन का एक टावर तथा इदिक्की मैसूर-220 के० वी० लाइन का एक अन्य टावर) प्रभावित हुए थे जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु और कर्नाटक को सप्लाई में बाधा आई थी।

दिल्ली :—नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि जून, 1978 में जब बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे उस अवधि के दौरान यह देखा गया था कि उपकेन्द्रों को कई प्रतिष्ठापनाओं से छेड़छाड़ की ई थी और इनका काम करना बन्द कर दिया था। एक मामले में जब ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा था तब ट्रांसफार्मर के तेल को बहा देने की कोशिश की गई थी, एक अन्य मामले में उच्च वोल्टता वाली केबल को काटने की कोशिश की गई। उच्च वोल्टता तथा मध्यम वोल्टता वाले कई स्विचबोर्डों की नाम-प्लेटों को तोड़ दिया गया था तथा उनके प्रचलन हैंडिल भी उतार दिए गए थे। कई फटडह पिलरों को पूर्णतः डिफ्यूज कर दिया गया था तथा फीडर पिलरों तथा सड़क को प्रकाश व्यवस्था के बक्सों में कृत्रिम शार्ट सर्किट किए गए थे।

संबंधित प्राधिकारी तोड़फोड़ के मामलों की रोकथाम करने के लिए तथा तोड़फोड़ के परिणाम-स्वरूप विद्युत सप्लाई में आने वाली रुकावटों को न्यूनतम कर के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। नई दल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि तोड़फोड़ को कार्रवाई के मामलों को रिपोर्ट उपयुक्त पुलिस प्राधिकारियों से की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट विधिवत दर्ज कराई गई थीं तथा पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की थीं। मामलों को जांच चल रही है।

433. **श्री सौगत राय: क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई० सी० आई० द्वारा वाणिज्यिक आदान-प्रदान के लिए सुविधाओं हेतु केन्द्रीय सरकार से गत वर्ष से अनुरोध किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या आई० सी० आई० के प्रबंध निदेशक ने निराश होकर त्यागपत्र देने की पेशकश की है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) आई० सी० आई० (जो अब क्रिसेंट डाइज एण्ड केमिकल्स लि० के नाम से जानी जाती है) ने न तो गत वर्ष से वाणिज्यिक सौदे लेन-देन करने की सुविधा के लिए सरकार से अनुरोध किया है और न आई० सी० आई० जैसी कंपनी को वाणिज्यिक लेनदेन करने की सुविधा देने का सरकार से कोई संबंध ही है। कम्पनी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2) (क) के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन भारत में अपने विद्यमान कार्यकलाप चालू रखने की अनुमति दी गयी थी कि वह दो वर्षों के अन्दर अर्थात् 17 नवम्बर, 1978 तक कंपनी की इक्विटी पूंजी में अनिवार्य हित को 100 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर देगी।

पूंजी निर्गम में नियंत्रक ने 8 जून, 1978 को भिन्न प्रकार कंपना को 80,000 रुपये के मूल्य की पूंजी जारी करने की मिलीजुली सहमति भी दी है:—

(i) कम्पनी के मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डरों को 10-10 रु० के 80,000 रु० तक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर बोनस शेयर के रूप में जारी किये जायेंगे जिसमें इसी राशि तक आरक्षित अंश पूंजी का एक निर्धारित राशि में विनियोग करने के लिए चुकता किये गये दो इक्विटी शेयरों पर एक बोनस शेयर का अनुपात होगा।

(ii) कम्पनी अपनी अनिकासी शेयरपंजी में से 144 लाख रुपए अंकित मूल्य के 14,40000 इक्विटी शेयरों को ,10 रुपए प्रति शेयर पर 2 रुपये लाभ देकर, तथा उन्हें बेचने का प्रस्ताव करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन जारी किये गये निदेशों के अनुसार अनिवासी शेयर पूंजी को भी 40 प्रतिशत के स्तर तक घटा देगी।

ऊपर (2) में बताये गये के अनुसार भारतीय निवासियों को आबंटित शेयर नीचे बताये गये हैं:—

(i) भारत में आई० सी० आई० ग्रुप की कम्पनियों के कर्मचारी (भारतीय निदेशकों को शामिल कर)	24.00
(ii) व्यापार में सप्रभावी	20.00
(iii) प्रास्पेक्टस के द्वारा जनता	118.00
	144.00

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Hindi Teaching Scheme

434. **Shri Madan Tiwari** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Hindi Teaching Scheme is functioning under the Ministry for the promotion, propagation and use of Hindi in Government offices at national level;

(b) if so, the year since when the scheme is functioning and the composition thereof; and

(c) whether Hindi is taught and training is given in Hindi typewriting and shorthand under this scheme; if so, the level of nominations for the past three years (1975, 1976 and 1977) ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) A Hindi Teaching Scheme is functioning under the Ministry of Home Affairs, Deparment of Official Languages for teaching Hindi to the employees of Central Government.

(b) This scheme has been in operation since 1955. Keeping in view the number of non-Hindi knowing employees, about 147 full time and part time Hindi Teaching Centres are functioning under the Scheme all over the country and there are 18 Hindi Typing and Hindi Stenography Centres Regional Offices have been established in New Delhi, Madras, Calcutta, Bombay and Jabalpur for smooth functioning of the scheme. Deputy Directors have been appointed in these five places who look after the administrative and financial aspect of the scheme. At other places, Senior Officers of other Departments have been appointed as officers in overall charge who look after both organisational and administrative work. An Office of the joint Director has been created in New Delhi for examination, organisation and educational work of the Hindi Teaching Scheme.

(c) Yes, Sir. Training in Hindi, Hindi Typewriting and Hindi Shorthand is imported under the Hindi Teaching Scheme, During the last three years after nomination about 59,100 employees have passed various Hindi examinations and 4560 employees have been trained in Hindi typewriting and 809 employees in Hindi Shorthand.

दिल्ली में नार्थ ब्लाक मालवीय नगर से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन बस सेवा

435. **श्री बी०जी० हाण्डे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नार्थ ब्लाक मालवीय नगर कार्नर, पंचशील पार्क, स्वामी नगर, सावित्री नगर से, केन्द्रीय सचिवालय काम्पलेक्स तक कोई सीधी बस सेवा नहीं है तथा इन बस्तियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मालवीय नगर के अन्तिम किनारे के एक ब्लाक से चलने वाली बस रुट संख्या 520 में इन बस्तियों तक पहुंचते-पहुंचते भारी भीड़ हो जाती है ;

(ख) क्या सरकार इन बस्तियों से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन की सीधी सेवा प्रदान करने में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कर्मचारियों को राहत देने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) जी, नहीं । ये सभी बस्तियां केन्द्रीय सचिवालय काम्पलेक्स से दो रुटों पर सीधी बस सेवाओं से जुड़ी हुई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) उक्त (क) में सूचित स्थिति की दृष्टि से इन बस्तियों से केन्द्रीय सचिवालय को अन्य सीधी सेवा चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में 40 करोड़ रुपये का गबन

436. **श्री एस०बी० पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मई, 1978 के ब्लिट्ज़ में छपे समाचार के अनुसार कलकत्ता में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एक सहायक कंपनी ने लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि का गबन किया है जो उसे दिल्ली की सेंट्रल होल्डिंग कंपनी ने प्रदान की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सहायक कंपनी के पास अभी श्रमिकों की मज़री तथा भविष्य निधि अंशदान की अदायगी करने तक के लिए धन नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । कुछ भविष्य निधि अंशदानों की अदायगी करना शेष हैं । इसका भुगतान करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटसन के लिए नई ग्रेडिंग पद्धति

437. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान द्वारा वर्ष 1976 77 के पटसन के लिए नियत की गई नई ग्रेडिंग पद्धति तथा विभिन्न ग्रेड के लिए न्यूनतम संवैधानिक मूल्य पटसन उत्पादकों के लिए सर्वथा अलाभकारी सिद्ध हुए हैं तथा उन से केवल मिल मालिकों को ही लाभ पहुंचा है, और

(ख) यदि हां, तो इस शरारत को खत्म करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) भारतीय मानक संस्थान द्वारा विभिन्न किस्मों की कच्ची पटसन को आठ ग्रेडों में करने की ग्रेडिंग पद्धति विभिन्न सम्बन्धित पार्टियों की सलाह से विकसित की गई थी ।

सरकार द्वारा प्रति वर्ष विभिन्न ग्रेडों व किस्मों की कच्ची पटसन के न्यूनतम मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निश्चित किये जाते हैं ताकि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य उपलब्ध कराये जा सकें । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समिति ने भारतीय पटसन निगम पर दी गई अपनी तृतीय रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ग्रेडों को घटाकर कम से कम करने के उद्देश्य से पटसन की विद्यमान ग्रेडिंग पद्धति पर पुनर्विचार किया जाये । सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है ।

Cheating in the name of Institute of Sanitary Inspectors

438. **Shri Ramdhari Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing on the front page of the 'Navbharat Times' dated the 10th June, 1978 under the caption 'Safai daroga Sansthan Ke nam par dhokha' (cheating in the name of Institute of Sanitary Inspectors);

(b) if so, the steps being taken by Government to check such bogus institutes; and

(c) names of the persons who are associated with this institute and the action taken against them so far ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Government have seen the news-item.

(b) & (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बहु-राष्ट्रीय निगमों/बड़े गृहों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति

439. **श्री ज्योतिमय बसु**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि उनका मंत्रालय बहु-राष्ट्रीय निगमों/बड़े गृहों को केवल-मात्र लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि मंत्रालय ने हाल में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में 100 टन मैन्थोल का उत्पादन करने के लिये एक अमरीकी एम० एन० सी० की सहायक कम्पनी, कोलगेट पालमोलिव इंडिया लिमिटेड का एक आशय-पत्र जारी किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और;

(घ) इस विशेष बहु-राष्ट्रीय निगम के साथ इस बारे में पक्षपात करने के क्या कारण हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) पिपरमेंट एक ऐसी वस्तु है जो बढ़िया रसायन की श्रेणी में आता है और जिसे सरकार द्वारा फरवरी, 1973 में घोषित उद्योग नीति के परिशिष्ट में शामिल किया गया है । वह वस्तु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत आने वाले बड़े गृह और कंपनियां इस श्रेणी के उद्योगों में भाग लेने के हकदार हैं । मैसर्स कोलगेट पालमोलिव इंडिया लि० को जम्मू काश्मीर राज्य में 100 मी० टन पिपरमेंट का निर्माण करने के लिए एक आशयपत्र जारी किया गया था । उपक्रम को 10 वर्षों की अवधि के लिए जिसकी अवधि सरकार की इच्छा से 5 और वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है वार्षिक उत्पादन के 60 प्रतिशत तक का निर्यात दायित्व की शर्त रखकर एक आशय-पत्र जारी किया गया था इस आशयपत्र की मंजूरी देने में इस उपक्रम के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया गया हैं ।

Names of Motor Car Factories, their production and Applications for Licences

440. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of factories producing motor cars in the country with production capacity of each of them;

(b) the number of motor cars produced by them annually;

(c) whether Government have under consideration a proposal to manufacture motor cars in public sector; if so, the progress made so far in this direction and target set therefor; and

(d) the number of organisations which have submitted applications for letters of intent for manufacturing cars, which are pending consideration ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) The details of units engaged in the manufacture of passenger cars with their installed capacity and the production during the last 3 years are given below :—

Sl. No.	Name of the unit	Installed Capacity	Production during		
			1975-76	1976-77	1977-78
1.	M/s. Hindustan Motors Limited	30,000 Nos.	9,225	19,551	20,440
2.	M/s. Premier Automobiles Limited	18,000 Nos.	12,412	16,809	13,630
3.	M/s. Standard Motor Products of India Ltd.	3,400 Nos.	140	89	157
4.	M/s. Sunrise Auto Industries Ltd.	3,000 Nos.	—	—	211

(c) The manufacture of motor cars in the public sector is under examination. Setting up of targets etc., for the such manufacture do not arise at this stage.

(d) There are no pending applications for letters of intent for the manufacture of passenger cars.

दिल्ली पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण

441. **श्री मनोहर लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपातकाल के दौरान दिल्ली में नियुक्त कितने वरिष्ठ राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को (डी० एस० पी० तथा ऊपर के ओहदे के) पिछली सरकार द्वारा "गैर-कानूनी आदेशों" का कथित पालन न करने के आरोप में सजा के रूप में स्थानान्तरित किया गया/पदावनत किया गया ;

(ख) वर्तमान सरकार द्वारा उनमें से कितने अधिकारियों को उनकी पुरानी स्थिति पर बहाल कर दिया गया है अथवा दिल्ली में पुनः स्थानान्तरित कर दिया है ; और

(ग) क्या ऐसे कोई मामले लम्बित हैं जिसमें आपातकाल में चलाए गए ऐसे अधिकारियों ने (डी० एस० पी० तथा ऊपर के ओहदे के) जो पहले दिल्ली में नियुक्त थे, अपील कर रखी है और वर्तमान सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) गैर-कानूनी आदेशों का कथित अनुपालन न करने के कारण किसी भी अधिकारी को आपातकाल के दौरान पदावनत करके दंडित नहीं किया गया था । कई अधिकारी दिल्ली पुलिस से बाहर स्थानांतरित किए गए थे परन्तु रिकार्ड में ऐसा कुछ संकेत नहीं है कि उनका स्थानान्तरण सजा के तौर पर किया गया था ।

हरिजनों के कल्याण विषयक कार्यदल की सिफारिशें

322. **श्रीमती मोहसिना किदवई** :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त कार्यदल ने हरिजनों के कल्याण के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को पेश कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) कार्य दल को अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ।

कच्चे पटसन के व्यापार में निजी व्यापारियों का एकाधिकार

443. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975-76 में पटसन उत्पादकों की सहकारी समितियों और भारतीय पटसन निगम के माध्यम से पटसन की खरीद क्रमशः 3.55 प्रतिशत और 6.27 प्रतिशत रही और कच्चे पटसन का 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में चला आ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो निजी व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) यह सही है कि कच्ची पटसन का व्यापार मुख्यतः निजी क्षेत्र के हाथों में है । कच्ची पटसन के व्यापार को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों के अलावा भारतीय पटसन निगम के कार्यों को वर्ष 1978-79 के मौसम से और अधिक बढ़ाने का निश्चय किया गया है ताकि पटसन उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित प्रतिफल दिलाने का सुनिश्चय किया जा सके ।

पब्लिक स्कूलों में बढ़े अधिकारी

444. **श्री भगत राम** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० ए० एस०, आई० सी० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की कुल संख्या क्या है, और

(ख) इनमें से कितने अधिकारी भारत में और विदेशों में पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु पाटील) : (क) 1-1-1978 की स्थिति के अनुसार सूचना निम्न प्रकार है :—

भारतीय प्रशासन सेवा	. 3535
भारतीय सिविल सेवा	. 3
ारतीय वन सेवा	1194
भारतीय पुलिस सेवा	. 1977
"अन्य प्रशासनिक अधिकारी"	. सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Cars Stolen in Delhi

445. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cars stolen in Delhi during the period from 1st June to 30th June, 1978; and

(b) whether any concret steps are being taken to smash the active gang ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) 115 cars were stolen in Delhi during the period 1st June to 30 June, 1978.

(b) The following steps are being taken to check the incidence of car thefts and trace out the gangs :—

(i) Strict watch is kept on the activities of known auto lifters and intelligence is being collected about the gangs.

(ii) Traps are laid to capture the auto thieves red handed.

(iii) The local bodies are being requested to increase the number of attended car parks.

(iv) Wide publicity is being given through hand bills to use extra locking devices in the car.

(v) Verification of antecedents is being done of persons working in motor workshops suspected to be involved in the crime.

जे०सी०बी० में तकनीकी सहायकों के पद भरा जाना

446. **श्री चतुर्भज**: क्या **रक्षा** मंत्री जे० सी० बी० में विभागेतर तकनीकी सहायकों के बारे में 10 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9932 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे० सी० बी०, रक्षा मंत्रालय में तकनीकी सहायकों (जी० डी०) के पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार बैठे और भरती के लिए कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की ;

(ख) क्या यह सच है कि पास होने वाले किसी भी उम्मीदवार को जे० सी० बी० में नियुक्त नहीं किया गया और संघ लोक सेवा आयोग ने उन मामलों की सिफारिश की जिनमें उम्मीदवार न तो परीक्षा में बैठे थे और न ही उन्होंने परीक्षा पास की थी और न परीक्षा के लिए उम्मीदवारी का फार्म भरा था उन्हें जे० सी० बी० में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिन आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया ; 774

(2) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई; 53*

*इनमें वे 12 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं जिन्हें तदर्थ आधार पर तकनीकी सहायक नियुक्त किया गया था और जिन्हें 10-5-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9932 के उत्तर में बताए गए तरीके के अनुसार बाद में नियमित कर दिया गया था ।

(ख) और (घ) 60 तकनीकी सहायकों के पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की मांग भेजी गई थी । इनमें से 37 पद अनारक्षित थे जबकि 12 पद अनुसूचित जातियों और 11 अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे । आयोग ने अनारक्षित रिक्त स्थानों के लिए 37 सामान्य अभ्यर्थियों को और 4 अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी । अनुसूचित जन जाति के किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया । इनके अतिरिक्त, आयोग ने 12 तदर्थ विभागीय तकनीकी सहायकों को सीधी भर्ती कोटा में

नियमित किए जाने की सिफारिश की थी जैसा कि 10-5-78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9932 के उत्तर में बताया गया था ।

उपर्युक्त बताई गई स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभागीय कोटे को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिए जाने के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है, यह निर्णय किया गया है कि जिन 12 तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों को नियमित किया गया है उनके अतिरिक्त 24 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाए जिनमें 4 अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के लिपिक-संवर्ग में सहायकों का अनुपात

447. **श्री दयाराम शाक्य**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय के लिपिक-संवर्ग में सहायकों का क्या अनुपात है;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय अथवा मंत्रालयों में सहायकों का क्या अनुपात है;

(ग) क्या अन्य मंत्रालयों की तुलना में कोई असंगति है; और

(घ) यदि हां, तो सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों के अनुपात को अन्य मंत्रालयों के बराबर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तर-सेवा संगठनों में सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों में वर्तमान अनुपात क्रमशः 25 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं है । सहायकों का अनुपात हर मंत्रालय में भिन्न-भिन्न है । मई 1977 में, केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों का अनुपात 31 प्रतिशत था ।

(ग) और (घ) समस्त केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के 31 प्रतिशत के अनुपात के मुकाबले में सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तर-सेवा संगठनों में सहायकों का अनुपात 25 प्रतिशत है । सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तर-सेवा संगठनों में सहायकों का प्रतिशत बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है ।

बड़े औद्योगिक गृहों को मंजूर किये गये लाइसेंस

448. श्री विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1977 से 31 जून, 1978 तक बड़े औद्योगिक गृहों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने लाइसेंस छोटे उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों के लिए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाए किये गये हैं कि बड़े उद्योग छोटे उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण न करें ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा माईति) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों को 1-7-77 से 30-6-78 की अवधि में 55 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ।

(ख) 1 (एक)

(ग) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन को बड़े क्षेत्र में निम्नलिखित ढंग से नियमित किया जाता है :—

(1) पहले से लाइसेंसीकृत एककों को क्षमता में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(2) यदि वस्तु को औद्योगिक लाइसेंसीकरण पद्धति से छुट मिली हुई है और वह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है तथा उद्यमी ने आरक्षण की तिथि से पूर्व प्रभावी कदम उठा लिये है । उत्पादन शुरू कर दिया है तो कार्य चालू रखने का लाइसेंस दिया जाता है ।

(3) अब सभी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट धारक औद्योगिक उपक्रमों को कहा गया है कि वे अपने सर्टीफिकेट उत्पादन क्षमता पृष्ठांकित करने के लिए भेजें ।

(4) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के लिए लाइसेंसीकृत क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बढ़ाने की सुविधा नहीं दी जाती है ।

(5) लघु उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं को बनाने के लिए नये औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं जब तक कि प्रस्ताव निरन्तर आधार पर शत प्रतिशत निर्यात करने के लिए न हो ।

आकाशवाणी औरंगाबाद से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण

449. **डा० बापू कालदाते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेडियो स्टेशन से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) महाराष्ट्र में तीन प्रादेशिक समाचार यूनिटें (बम्बई, नागपुर, और पुणे में) हैं । किसी भी राज्य में प्रादेशिक समाचार यूनिटों की वह सबसे बड़ी संख्या है । महाराष्ट्र में प्रादेशिक समाचार यूनिटों की संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, बम्बई और पुणे की प्रादेशिक यूनिटों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने समाचार बुलेटिनों में मराठवाड़ा क्षेत्र के अधिक समाचार शामिल करें । आकाशवाणी का औरंगाबाद में एक पूर्णकालिक संवाददाता है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की समन्वय समिति की नई दिल्ली में आयोजित बैठक

450. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की पांच सदस्यीय समन्वय समिति ने हाल में सहयोग करने के क्षेत्र निर्धारित करने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के लिए समान दृष्टिकोण अपनाने हेतु नई दिल्ली में अपनी बैठक आयोजित की थी, और

(ख) यदि हां, तो उसमें हुए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) जी हां, सन् 1976 में कोलम्बो में गुटनिरपेक्ष तथा दूसरे विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए अंगीकृत किए गए क्रियात्मक कार्यक्रम के अनुसरण में, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्रों में समन्वयकारी देशों की एक बैठक 22 से 24 जून, 1978 तक नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) बैठक में इस बात की सिफारिश की गई कि 'विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' पर 1979 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उठाये जाने वाले सम्भावित मुख्य (स्थायी) विषयों पर एक समान दृष्टिकोण का विकास करने के लिए क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्तरों पर गुट-निरपेक्ष तथा दूसरे विकासशील राष्ट्रों के बीच आपसी सलाह मशवरे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । बैठक में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय नीतियों के विकास, संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों, तकनीकी तथा परामर्शदात्री योग्यताओं के विकास, सूचना प्रणालियों के विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बारे में जनसामान्य में बोधगम्यता का विकास करने आदि सहित विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया । यह फैसला किया गया कि 1979 के आरम्भ में भारत में 'उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर अंतःदेशीय कार्यकारी दल' की बैठक होनी चाहिए जिसमें गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के प्रतिनिधि भाग लें । बैठक में भारत में स्थापित किए जाने वाले विज्ञान और प्रोद्योगिकी के लिए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के प्रस्तावित केन्द्र की संविधि पर भी विचार-विमर्श किया गया । समन्वयकारी देशों ने इस बात की सिफारिश की कि जुलाई 1978 में बैल्ग्रेड में होने वाले गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाए ।

एकाधिकार गृह

451. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एकाधिकार गृहों के और अधिक विकास को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में उन्होंने वित्त मंत्री और विधि मंत्री के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति): (क) से (ख) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार वाले (एम० आर० टी० पी०) उपक्रमों को लाइसेंस / स्वीकृतियां देने तथा गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य शुरू करने हेतु किये जाने वाले अतिरिक्त उपायों के सम्बन्ध में नीति पर विचार करने के लिए उद्योग वित्त तथा विधि न्याय एवं समवाय कार्य मंत्रियों की एक बैठक 21 जून, 1978 को हुई थी । विचार विमर्श सरकारी क्षेत्र की भूमिका तथा गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिकाधिक भाग लिया जाना सुनिश्चित करने हेतु किये जाने वाले उपायों तक ही सीमित रहा । बैठक में बताये गये मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

Preparation of S.C. and S.T. Candidates for I.A.S.

452. Shri Hari Shankar Mahale : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the States which have provided facilities for preparation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates for I.A.S. and

(b) the total number of I.A.S. officers and the number among them of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, State-wise ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Pre-examination coaching for I.A.S. etc.—examinations held by the Union Public Service Commission is provided under a Centrally Sponsored Programme of the Central Government. There are seven centres one each located at Allahabad, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Patiala and Shillong which provide this facility to candidates belogning to Scheduled Castes and Scheduled Tribes covering all States and Union Territories.

(b) A statement containing the requisite information is at Annexure.

Statement

Statement giving State-wise the total number of I.A.S. officers and the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst them as on 1st January, 1978.

Sl. No.	State	Total number of IAS Officers	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1.	Andhra Pradesh	241	25	7
2.	Assam/Meghalaya	135	4	23
3.	Bihar	284	20	12
4.	Gujarat	169	14	5
5.	Haryana	132	17	1
6.	Himachal Pradesh	84	7	9
7.	Jammu & Kashmir	86	7	3
8.	Karnataka	190	21	6
9.	Kerala	114	10	1
10.	Madhya Pradesh	283	26	11
11.	Maharashtra	260	26	8
12.	Manipur-Tripura	77	2	16
13.	Nagaland	35	—	21
14.	Orissa	170	12	4
15.	Punjab	146	24	1
16.	Rajasthan	177	9	8
17.	Sikkim	2	—	—
18.	Tamil Nadu	237	28	4
19.	Union Territories	135	12	15
20.	Uttar Pradesh	351	47	5
21.	West Bengal	230	22	8
		3538	333	168

जिलाउद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

453. **श्रीमती मृणाल गोरे**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण किस प्रकार होता है;

(ख) इन केन्द्रों का कार्यकरण किस प्राधिकरण के अधीन होता है; और

(ग) इन केन्द्रों के कार्यकरण में राज्य उद्योग विभाग की क्या भूमिका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तर पर विद्यमान तथा भावी लघु स्तर के उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक स्वीकृतियां तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे ।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है । राज्य सरकार केन्द्र सरकार के समान्य मार्गदर्शन के अधीन इस योजना को कार्यान्वित करेंगी ।

(ग) राज्य उद्योग विभाग राज्यों में जिला उद्योग केन्द्रों के नियन्त्रण प्राधिकारी होंगे ।

नौगांव में भारतीय सेना की इमारतें

454. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव में भारतीय सेना की अनेक प्राचीन इमारतें खाली पड़ी हैं ;

(ख) क्या 8 अप्रैल, 1978 को नौगांव की अपनी यात्रा के दौरान वहां सेना-कालेज अथवा इसी प्रकार की अन्य किसी संस्था की स्थापना किये जाने के बारे में वहां के निवासियों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां । नौगांव में सेना की कुछ इमारतें पिछले महीनों में कुछ पुलिस यूनिटों द्वारा खाली करने के बाद उपलब्ध हुई हैं ।

(ख) उस स्थान पर रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ।

(ग) खाली की गई जगह का ठीक उपयोग किए जाने के लिए नौगांव में सेना की एक बड़ी यूनिट रखने का निर्णय किया गया है । इस बीच पुरानी इमारतों की मरम्मत की जा रही है

गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोग

455. श्री राज कृष्ण यान : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रगतिशील विकास योजनाओं और आर्थिक उत्थान योजनाओं के बावजूद गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 15 वर्ष पहले की प्रतिशतता की अपेक्षा बहुत अधिक तथा निरन्तर रूप से बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो सदैव बढ़ने वाली इस प्रतिशतता पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) गरीबी के उपलब्ध अनुमानों से यह ज्ञात होता है कि गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों के प्रतिशत में 1968-69 तक वृद्धि होने के बाद कमी हुई है । तथापि सरकार यह जानती है कि गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों की संख्या बहुत अधिक है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विकास के अगले चरण के प्रधान उद्देश्य होंगे लगभग एक दशक में गरीबी, बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को दूर करना । कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है जिनमें बेशी श्रमिकों को काम में लगाने की सबसे अधिक क्षमता है । इसके लिए विस्तारित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है ताकि गरीब लोगों के जीवन-स्तर में कुछ न्यूनतम मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके प्रत्यक्ष रूप से सुधार किया जा सके ।

लघु उद्योगों के कार्यकरण का आलोचनात्मक विश्लेषण तथा शीर्षस्थ वित्त निगम की स्थापना

456 **श्री सी० वेणुगोपाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लघु उद्योगों के आर्थिक तथा कुशलतापूर्वक कार्यकरण के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों द्वारा की गई जांच के आधार पर किया गया आलोचनात्मक विश्लेषण है,

(ख) इस विश्लेषण में कौन सी आम कमियां पाई गई हैं तथा इन उद्योगों की सक्षमता बढ़ाने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में एक शीर्षस्थ वित्त निगम स्थापित करने का है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) जी, हां सरकार को पता है कि लघु उद्योग का लाभ प्रद तथा कुशलतापूर्वक कार्यकरण अनेक तत्वों जैसे अपर्याप्त ऋण अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग बिजली की कमी कच्चे माल के संभरण की अनिश्चतता, अपर्याप्त विपणन साधन तथा संगठित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा से अवरुद्ध है । सरकार लघु क्षेत्र की जीव्यता बढ़ाने के लिए आवश्यक अभ्युपाय कर रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

बम्बई पत्तन पर अभिभार के कारण भीड़-भाड़

457. **श्री बालासाहिब विसपाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीड़-भाड़ अधिक होने के कारण बम्बई पत्तन की छवि बिगड़ गई है और इसके फलस्वरूप कई नौवहन कम्पनियों ने भीड़-भाड़ अधिभार लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नौवहन कम्पनियों ने यह अधिभार लगाया है और उसकी दर क्या है; और

(ग) वर्तमान भीड़-भाड़ से पहले सामान्यतया वहां कितने जहाज आते-जाते थे और इस समय कितने जहाज आ जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) बम्बई पत्तन में स्थिति का सही मूल्यांकन आवश्यक है। बम्बई पत्तन में वर्तमान भीड़-भाड़ के कई कारण हैं, कुछ पत्तन प्राधिकरणों के नियंत्रण के बाहर उदाहरणार्थ बम्बई पत्तन को उपयोग करने के प्रयोक्ता ऐजेन्सी की अधिसूचना ।

प्रतीक्षा समय के कारण अतिरिक्त व्यय को वसूल करने के लिए कुछ कान्फ्रेन्स लाइनों ने भीड़-भाड़ अधिभार लगाया है ;

(ख) कान्फ्रेन्स लाइनों द्वारा निम्नलिखित अधिभार लगाए गए हैं :—

कारमोहीम कान्फ्रेन्स लाइनो ने 3-10-77 से 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया है और 1-11-1977 से 7½ प्रतिशत की दर से घटा दिया है। 17-4-73 से इसे भी बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया । कान्फ्रेन्स ने 17 जुलाई, 1978 से 25 प्रतिशत तक अधिभार की दर की वृद्धि को अधिसूचत किया है। इंडिया-पाकिस्तान—बंगला देश?—मिडिल ईस्ट कान्फ्रेन्स लाइन ने 1-5-78 से 15 प्रतिशत का अधिमार लगाया। इंडिया—सीलोन—पाकिस्तान—बर्मा आउटवार्ड ट्रैड कान्फ्रेन्स ने 7-7-1978 से 30 प्रतिशत का अधिभार लगाया है ;

(ग) साधारणत : भीड़-भाड़ से पहले जहाजों का विराम काल 43.93 घंटे प्रति 1000 टन था जो अब श्रमिकों द्वारा धरा उठाई किये गए माल के लिए बढ़ाकर 50.51 घंटे प्रति 1000 टन कर दिया गया है।

CBI Enquiry regarding Rs. 40 crores Scandal by a subsidiary of N.T.C.

458. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have seen the news item published in English 'Blitz' of 27th May, 1978 about Rs. 40 crores scandal by subsidiaries of East Zone of the National Textile Corporation and if so, the reaction of Government thereon;

(b) whether CBI has made any investigation in this matter and the persons found involved in this scandal;

(c) whether public money has been misused in the name of modernisation; and

(d) the steps taken so far and proposed to be taken further in the matter by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (d) The news item in reference has been seen. The item apparently refers to release of Rs. 40.21 crores up to 31-3-1978 by the NTC (Holding Company) to the Eastern Region subsidiary of the NTC, namely, NTC (West Bengal, Assam and Orissa) NTC (Holding Company) have looked into the matter and have satisfied themselves that the allegations in the news item are baseless. The question of taking any other step, therefore, does not arise.

परमाणु चालित उपकरण के कारण गंगा नदी के जल का दूषित होना

459. **श्री पी०के० कोडियन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा नंदा देवी पर्वत परमाणु चालित उपकरण छोड़े जाने और बाद में उसके खो जाने के परिणामस्वरूप जल के दूषित होने की संभावना का पता लगाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) तथा (ख): इस समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त की है। समिति द्वारा किए गए अध्ययन का नि अभी सरका को प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या

460. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की कुल कितनी बसें चल रहीं हैं ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी नई बसें शामिल की गईं ;

(ग) चालू वर्ष (30 जून तक) के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के बसों के बेड़े में कितनी नई बसें शामिल की गईं और वर्ष के शेष भाग में कितनी और बसें शामिल करने का विचार है ;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम के वर्कशापों में कितनी बसें खड़ी हैं ; और

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम सेवा को आरामदायक और लोगों को आसानी से सुलभ कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) 30-6-78 को सड़क पर चल रहीं बसों की औसत संख्या दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत 639 निजी परिचालकों की बसों सहित 2422 थीं:

(ख)

वर्ष	नई बसें
1975-76	356
1976-77	209
1977-78	37

(ग)

जून 1978 तक नई बसें	1978-79 की अवधि के दौरान प्रस्तावित नई बस
59	306

(घ) 196 (30-6-78) को

(ङ) राजधानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में वृद्धि तु (30-6-78 के अनुसार 247 मिनी बसों सहित) दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन में 933 बसें हैं। इसके अलावा केवल व्यस्ततम समय में परिचालन के लिए दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन में 80 निजी बसें हैं। बड़े का प्रयोग 77.78 प्रतिशत पहुंच गया है। जुलाई 1977 की स्थिति की अपेक्षा प्रतिदिन लगभग 7300 अधिक फेरियां परिचालित की जा रहीं हैं। पुनर्वास बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और फेरियां परिचालित की जा रहीं हैं। नियमित और विश्वसनीय सेवा की व्यवस्था करने के लिए 1-1-1978 से 12 भागों पर नियमित सेवा प्रारम्भ की गई है।

दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े को सुदृढ करने तथा इसके प्रयोग में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं जिससे कि राजधानी में बस सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके तथा भीड़-भाड़ कम किया जा सके।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

461. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कथित आधुनीकरण और विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उससे क्या लाभ होने की आशा है;

(ख) यह कार्य हमारी अपनी प्रौद्योगिकी के आधार पर किया जायेगा अथवा विदेशों के सहयोग से और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन शर्तों पर सहमति हुई है; और

(ग) इस पर कितना नया धन व्यय होने का अनुमान है और यह कार्य कितने समय में पूरा हो जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) (ख), तथा (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 1978-83 की अवधि में लगभग 317 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। टर्बो जनरेटर सेटों, हाइड्रो सेटों, पम्प हीट एक्सचेंजरों, बायरों तथा बायलर के सहायक सामानों, वाल्वों तथा ट्रांसफार्मरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य सुविधायें बढाने का भी विचार है। संयंत्र और मशीनों पर अतिरिक्त निवेश करके स्विच गियर, मोटरों, चीनी मिट्टी के बर्तनों तथा अन्य उत्पादों के लिए वर्तमान सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए बी० एच० ई० एल० उत्तम प्रोद्योगिकी के साथ साथ काफी मात्रा में उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसका प्रौद्योगिकी ग्रहण करने के क्षेत्र में एक दशाब्दी से भी अधिक का अनुभव है, उत्पाद इंजीनियरी

तथा उत्पाद विकास का पुन : सुनिश्चय कर रहा है ताकि उत्पादों की इंजीनियरी तथा डिजाइन उपलब्ध बढिया जानकारी के अनुसार हो और विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के साथ प्रतियोगी तथा उन्नत डिजाइनों का विकास हो ।

प्रौद्योगिकी आधार में विशेष अंतरों को दोहरी कार्रवाई कार्यवाई (1) अनुसंधान तथा विकास विभाग द्वारा देशी विकास तथा (2) विशेष क्षेत्रों में वर्तमान औद्योगिकी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुखों की प्रौद्योगिकी के साथ विलय द्वारा समाप्त किया जा रहा है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड 23 विदेशी फर्मों से सहयोग समझौतों द्वारा जैसे मै० प्रोमासक्सपोर्ट (सोवियत रूस), कम्बस्टन इंजीनियरिंग (अमेरीका), एयर प्रीहीटर्स (अमेरिका) कोपस वल्कान (अमेरिका), ऐसी (स्वीडन), जनरल इलेक्ट्रिक (अमेरिका), अल्सथाम (फ्रांस) क्रयस्ट लेर (फ्रांस), नुवों पिगनान (इटली), बी० बी० सी० (स्वीटजर लैंड), यू० एस० एस० इंजीनियरिंग एण्ड कन्सलटैंटस (अमेरीका) साइमन्स एण्ड के० डब्ल्यू० यू० (पश्चिमी जर्मनी) और स्कोडा (चेकोस्लोवाकिया) अपने आप को विद्युत उत्पादन यंत्र, बायलर तथा सहायक, स्विच गियर, मोटर, कपीसीटर, ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रीयल टर्बाइन, कास्टिंग तथा फोजिंग्स. कम्प्रैस थ्रीस्टर कन्वरटर्स, पावर डायोड्स लार्ज स्टीम टर्बाइन इत्यादि के क्षेत्रमें होने वाले तीव्र प्रौद्योगिकी विकास से अपने आपको पूर्णतया परिचित रखता है।

विदेशी सहयोगियों तथा उनके विशेषज्ञों द्वारा की गई सहायता का भुगतान विदेश विनियोग बोर्ड तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

भारत हैवी इले क्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे विकासशील संगठन में नये सहयोग तथा नई प्रौद्योगिकी की खोज निरन्तर जारी है ।

शाहदरा और गाजियाबाद के बीच राष्ट्रीय राजपथ पर प्रकाश की व्यवस्था

462. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ पर (शाहदरा बार्डर से गाजियाबाद तक) प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और हजारों ट्रक यातायात रोक लेते है और शाहदरा बार्डर से साहिबाबाद के बीच का यातायात रुक जाता है; और

(ख) यदि हां, तो शाहदरा बार्डर से गाजियाबाद के बीच प्रकाश की उचित व्यवस्था करने और हजारों ट्रकों द्वारा वहां यातायात के नियमों का पालन न करने और सड़क को अपना गोदाम बना लेने के कारण यातायात में हो रही बाधा दूर करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) (क) तथा (ख) : दिल्ली सीमा सड़क से गाजियाबाद तक सड़क बत्तियों, ट्रक तथा बस ले वाइज़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। यथा स्थिति के अनुसार यह भाग गाजियाबाद शहर नगर पालिका की सीमा के भीतर होने के कारण जिसकी आबादी 20,000 से अधिक है राष्ट्रीय राजमार्गों अधिनियम के अनुसार, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है साथ ही लाल किले में यमुना नदी के ऊपर रेल एवं सड़क पुल से दिल्ली राज्य में स्थिति सड़क के साथ-साथ गाजियाबाद तक सारा भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 की स्थायी योजक सड़क के रूप में उपयुक्त नहीं हैं। इन कारणों से हुमायू मकबरे पर यातायात के लिए यमुना नदी पर एक नए पुल का निर्माण किया गया है जबकि गाजियाबाद उपमार्ग की एक कड़ी जो कि मोहन नगर से दिल्ली गाजियाबाद सड़क को मिलाती है, का निर्माण अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार साहिबाबाद को 3 किलोमीटर की लम्बाई को छोड़कर सड़क बत्तियां मौजूदा सड़क पर हैं।

मंत्रियों द्वारा शराब का पिलाया जाना

463. **श्री हितेंद्र देसाई** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा शराब पीने और पिलाने पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : **(क) तथा (ख)** नशाबन्दी के कार्यान्वयन में एक रूपता लाने हेतु गठित मंत्रिमंडल की समिति ने नशाबन्दी के कार्यान्वयन के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के लिए अन्य बातों के साथ मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों समेत लोक मत के नेताओं द्वारा व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। प्रधान मंत्री ने भी केन्द्र सरकार के सभी मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें नशाबन्दी की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रियों को व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करके ऐसा करना चाहिए और उसका अनुसरण करने के लिए अपना प्रभाव डालना चाहिए।

गौतमपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा

464. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा दिल्ली में घनी आबादी वाली यमुना पार क्षेत्र गौतम पुरी के निवासियों को आने जाने के लिए बसों की भारी असुविधा है और वहां से केन्द्रीय सचिवालय और रेलवे स्टेशन के लिए कोई भी बस नहीं हैं ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आपातकाल के दौरान इस क्षेत्र में नई बसें चलाने के लिए कहा था ;

(ग) क्या सरकार का विचार बरास्ता गांधी नगर, समीप रिंग रोड़ चुंगी आयकर कार्यालय होती हुई गौतम पुरी से केन्द्रीय सचिवालय तक बसें चलाने का है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) जी, नहीं। मुख्य मोटर योग्य सड़क से कालोनी के निवासियों के लिए बसें उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं

(ग) जी, नहीं।

(घ) गौतमपुरी को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कोई मोटर योग्य पहुंच मार्ग नहीं हैं।

मै० मोहन ओर्टमान द्वारा क्षमता का उपयोग

465. **टा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० मोहन ओर्टमान ने कितनी मात्रा में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उपयोग किया है ; और

(ख) क्या डेरी और रसों के लिए उन्होंने मशीनरी का उत्पादन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) मै० मोहन ओर्टमान को हल्के पेय, बीअर दूध, फलों का रस (बोतल धोने, भरने, इंटर मिक्स तथा एसेसरीज सहित) इत्यादि का प्रति वर्ष 15 लाख रुपये के मूल्य के 25 नग क्षमता तक पूर्ण स्वचालित बोतल संयंत्र का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। कारखाने ने नवम्बर, 1977 में ही उत्पादन शुरु किया तथा नवम्बर, 1977 से मई 1978 की अवधि में केवल 31.17 लाख रु० के मूल्य का उत्पादन किया है। चूंकि यह परियोजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है इसलिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन करने में इसे कुछ समय लगेगा।

(ख) जी, नहीं।

Production sale and complaints of H.M.T. Watches

466. Shri Anant Ram Jaiswal : Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) whether the demand for H.M.T. watches increasing year by year and that the number of complaints of disorder in the working of watches after their sale is also on the increase due to lack of proper technology;

(b) if so, the number of watches of each type produced during 1977-78 and the number of complaints received by HMT within the guarantee period about the defects in the proper working of watches;

(c) whether the defective watches are sent to Bangalore for repair purpose and delivered back to the customers after 20-25 days; and

(d) if so, whether Government will consider the proposal that the post sale service in respect of complaints should be made available to the customers immediately ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Yes, Sir. The demand forHMT watches is increasing year by year. The standards of efficiency have been maintained. The number of complaints of defects in the HMT watches is less than 1% of the sales and the percentage of complaints is not on the increase.

(b) The requisite information is given below :—

Type of watches	Production	Sales	Complaints about defect	Percentage
	Nos.	Nos.	Nos.	
Hand wound	17,28,387	16,33,768		
Automatic .	1,38,707	1,64,452		
	18,67,094	17,98,220	6,038	0.34

(c) & (d) In the case of hand-wound watches, after-sales service facilities have already been built up in various parts of the country and are being continuously expanded to meet customers' requiremets. Only in the case of automatic watches, in the initial period, watches had to be sent to Bangalore for service and were returned to the customers after about 20-25 days. Facilities have now been established at 10 of HMT's own showrooms and six authorised servicing agents at different parts of the country and automatic watches are being serviced there itself. These facilities are being extended further.

Closure of Narvapahar and Bhatin Uranium Mines in Singhbhum District

467. Shri R.L.P. Verma : Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether the working of Narvapahar and Bhatin Uranium mines in the Singhbhum District in Bihar was discontinued during emergency;

(b) whether crores of rupees were spent to make these mines workable but their closure has created many problems such as wastage of crores of rupees, unemployment of adivasis and acute shortage of uranium required for the Dr. Sarabhai scheme;

(c) if so, whether Government propose to start the working of these mines without any further delay with a view to meet the uranium requiements of the country; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) The work at Narwapahar and Bhatin mining, prospects in Singhbhum district, Bihar was discontinued in March, 1976 on completion of the exploratory work;

(b) (c) & (d) Regular mining and production had never commenced at Narwapahar and Bhatin and the underground developments done were the essential for a comprehensive and complete evaluation of the deposits. The expenditure incurred in this regard cannot therefore be considered as wasteful or unnecessary. It was decided to close down the exploratory operartions on technical grounds. Services of 302 workmen were discontiued in March 1976 and 90 during February, 1977 after paying them compensation and other dues as admissible under the rules.

Government do not propose to re-open the workings at Narwapahar as it is considered uneconomical. However, the feasibility of working Bhatin as an ancillary mine to Jaduguda is presently under study by the Uranium Corporation of India Limited.

Adequate plans have been drawn up to meet the uranium requirements for country's nuclear energy programmes, which include exploratory efforts in areas of the country where there are good chances of getting better grades and workable reserves.

तापीय विद्युत संयंत्रों में नियुक्त जर्मन विशेषज्ञों की राय

468. श्री डी०डी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के तापीय विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गये जर्मन विशेषज्ञों के एक दल ने इनमें उपकरणों और औजारों को पुराना और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से नीचे का पाया है;

(ख) क्या दल ने इन एककों में अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग का कारण निम्न स्तर का रखरखाव बताया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपचारी उपाय किये जायेंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के एक दल ने अक्तूबर-दिसम्बर, 1977 के दौरान भारत में तीन ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया था। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है कि इन केन्द्रों के उपस्कर तथा इंस्ट्रूमेंटेशन अप्रचलित हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों से नीचे के स्तर के हैं।

(ख) दल ने यह कहा है कि कुछ मामलों में उपस्कर की अपेक्षाकृत निम्न उपलब्धता में योगदान करने वाले कारणों में एक कारण अपर्याप्त अनुरक्षण भी है।

(ग) इन विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सिफारिशें जहाँ तक व्यवहार्य हों, वहाँ तक तत्काल कार्यान्वयन हेतु, संबंधित विद्युत केन्द्रों को भेज दी गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने के लिए तत्परता से कार्यवाही हो, इन सभी विद्युत केन्द्रों में कार्यान्वयन कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। प्रस्तावित दीर्घकालिक उपाय, कोयला तैयार करने और उसे लाभकारी बनाने तथा फोरमैन के स्तर तक के शिल्पियों को सभी विधाओं में गहन प्रशिक्षण देने के बारे में है। ताप विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालकों के प्रशिक्षण को गुणवता में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि संवर्गों को समुचित रूप से अलग-अलग करके तथा विशिष्टीकरण को बढ़ावा देकर वे ताप विद्युत केन्द्रों के प्रबन्ध में सुधार करें। विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, वरिष्ठ परामर्शदाताओं और प्रमुख उपस्करों और इंस्ट्रूमेंटेशन के सप्लाई कर्त्ताओं के बीच हुए समझौते के आधार पर तैयार किए गए समयबद्ध परियोजना नवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपस्करों और इंस्ट्रूमेंटेशन की कमियाँ दूर करने का कार्य हाथ में लिया गया है।

मोटरयान अधिनियम

469. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोटरयान अधिनियम (मोटर व्हीकल ऐक्ट) में संशोधन करने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या संशोधन करने का विचार है और इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चान्दराम) : (क) जी, हां।

(ख) विधेयक का मुख्य उद्देश्य यात्री गाड़ी परमिट, सार्वजनिक गाड़ी परमिट तथा राष्ट्रीय परमिट देने के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण करने या वरीयता देने और यात्री गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था करना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों की व्यवस्था करने का भी विचार है, जो निम्नलिखित हैं:--

(क) मोटर गाड़ी के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण या उसके स्वामित्व का हस्तांतरण होने पर इसे नया पंजीकरण नम्बर देने से पहले मोटर गाड़ी के हस्तांतरणकर्ता या स्वामी द्वारा पंजीकरण प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना

(ख) परिवहन गाड़ी से भिन्न मोटर गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि पन्द्रह वर्ष करने की व्यवस्था करना,

(ग) बसों और ट्रकों को चलाने के लिए अलग चालन लाइसेंस देना,

(घ) व्यावसायिक चालकों से भिन्न अन्य चालकों के चालन लाइसेंसों की वैधता की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करना,

(ङ) जिन व्यक्तियों को परिवहन गाड़ियाँ चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकारों को देना,

(च) राजपत्र में अधिसूचना जारी करके मोटर गाड़ियों को देने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को वर्ण-समूह आवंटित करने तथा अधिनियम से छठी अनुसूची को हटाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना,

(छ) पर्यटक गाड़ियों के लिए अखिल भारतीय परमिट देने के मामले में भारतीय पर्यटन विकास निगम, राज्य पर्यटक विकास निगमों, राज्य पर्यटन विभागों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त पर्यटक कार प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं (ट्रेवल एजेंटों) को वरीयता देने की व्यवस्था करना,

(ज) न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर देना कि वे प्रथम बार अपराध करने के बाद तीन वर्षों के भीतर दूसरी बार या उसके बाद भी वैसा ही अपराध करने पर जुर्माने की निर्धारित अधिकतम राशि के कम-से-कम एक चौथाई राशि के बराबर जुर्माना लगाएं।

2. उपर्युक्त संशोधनों को राज्य सरकारों, परिवहन विकास परिषद और सड़क परिवहन संबंधी इसकी स्थायी समिति तथा सड़क परिवहन उद्योग में और मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के संचालन में अनुभव की गई कतिपय कठिनाइयों को दूर करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संगठनों से प्राप्त सिफारिशों/सुझावों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

Facilities to Prisoners in Jail in Union Territories

470. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether facilities to under-trial prisoners of higher categories imprisoned in the jails of Union Territories especially in Tihar Jail have been increased in respect of maintenance, better food, clothing, bed, fan in summer, heater in winter, daily newspapers meeting with the family members, relatives and friends if so, full details thereof, and whether they can get Radio and Television set from their residences and use them in the jail;

(b) whether similar facilities are being proposed to be provided to women prisoners also; and

(c) whether arrangements have been made to keep the under-trial prisoners separate from those convicts who suffer from contagious, physical and mental ailments or those convicted on account of heinous crimes such as murder, fraud, dacoity, rape, theft smuggling, etc. or all the prisoners can be detained together ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a), (b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

पिछड़े जिले भण्डारा को राज सहायता

471. श्री लक्ष्मण राव मानकर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडारा जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है,

(ख) क्या सरकार से इस जिले में नये उद्योगों को 15 प्रतिशत राजसहायता अथवा 15 लाख रुपये की राजसहायता देने के लिये अनुरोध किया गया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के भण्डारा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अन्य बातों के साथ-साथ भण्डारा जिले के पाँच ब्लाकों को 15 प्रतिशत केन्द्रीय विनियोग राजसहायता योजना हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए चुना जाए। चूंकि यह प्रार्थना योजना आयोग द्वारा घोषित तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति द्वारा स्वीकृत नीति के अधीन नहीं आती थी अतः इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया था।

कर्मचारियों की बहाली

472. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को, जिन्हें भूतपूर्व सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) जैसे संगठनों के साथ सम्बद्ध रहने के कारण सेवा से निकाल दिया था, फिर से बहाल करने के लिये उपाय किये हैं; और

(ख) क्या किन्हीं अन्य राज्यों ने इस बारे में पहल की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बहाली के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी सेवाएं आन्तरिक आपातस्थिति के दौरान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), जमायेव-इस्लामी तथा आनन्द मार्ग जैसे संगठनों के साथ उनके कथित सम्बन्ध होने के कारण, समाप्त कर दी गई थीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की प्रतियाँ, सभी राज्य सरकारों के मार्ग-निर्देशन तथा सूचना के लिए अग्रेषित कर दी गई हैं। किन्तु, यह सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है कि वह समुचित कार्रवाई करने के सम्बन्ध में विचार करे।

Setting up of a Heavy Industry in Hoshiarpur

473. **Chowdhry Balbir Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Hoshiarpur district in Punjab has been declared as a backward district by Government;

(b) if so, whether Government propose to set up any heavy industry in Hoshiarpur district; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बिहार में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना और वित्त पोषण का तरीका

474. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन केन्द्रों का स्वरूप क्या है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे और इन केन्द्रों के वित्त पोषण का क्या तरीका होगा ;

(ग) क्या बिहार में किन्हीं केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) जी हाँ। लघु ग्रामीण तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को सभी सेवाएं तथा सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा सुविधाओं में उपयुक्त योजनाओं का पता लगाना, संभाव्यता प्रतिवेदनों को तैयार करना, मशीनों तथा उपकरण की सप्लाई हेतु सहायता देना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, उधार की सुविधा, विपणन के लिए सहायता करना तथा अन्य विस्तार सेवाएं शामिल हैं।

भारत सरकार इमारतें बनाने, कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर तथा गाड़ियों आदि के लिए 5 लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान तथा प्रत्येक जिला उद्योग के लिए 3.75 लाख रुपये की सीमा तक वार्षिक व्यय के 75 प्रतिशत तक आवर्ती स्थापना व्यय का वार्षिक अनुदान प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने संलग्न सूची के अनुसार बिहार में 18 जिला उद्योग केन्द्र खोले जाने के लिए सहमति दे दी है।

विवरण

उन जिलों की सूची जिनमें बिहार सरकार ने जिला उद्योग केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव किया है :—

1. संथाल परगना
2. पालामऊ
3. दरभंगा
4. समस्तीपुर
5. मधुबनी
6. मुजफ्फरपुर
7. चंपारन पूर्व
8. चंपारन पश्चिम
9. कटिहार
10. पूर्णिया
11. शाहबाद
12. रांची
13. गया
14. नवादा
15. औरंगाबाद
16. भोजपुर
17. नालंदा
18. भागलपुर।

आगरा से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र "सैनिक" का प्रकाशन बन्द होना

476. **श्री चित्त बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक पब्लिक धार्मिक न्यास द्वारा आगरा से प्रकाशित किये जाने वाले एक दैनिक समाचारपत्र "सैनिक" का प्रकाशन पाँच वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया था;

(ख) क्या श्रमिकों द्वारा उठाये गये विवाद पर निर्णय करने के लिये आगरा में श्रम न्यायालय में एक मामला पड़ा था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या श्रम न्यायालय ने इस बारे में कोई निर्णय ले लिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या निर्णय लिया गया था; और

(ङ) उक्त निर्णय की क्रियान्विति के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

बदरपुर तापीय बिजलीघर

476. **श्री पी० वेंकट सुब्बया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर तापीय बिजली घर चालू हो गया है; और

(ख) क्या 210 मेगावाट के एक अन्य यूनिट का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हाँ। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण को चालू कर दिया गया है। इसमें 100-100 मेगावाट की तीन यूनिट हैं।

(ख) जी, हाँ।

भारी पानी संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ होना

477. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **परमाणु और ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा, तूतीकोरिन, कोटा और तलचर में हमारे भारी पानी संयंत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन आरम्भ न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) देश में उत्पादन के अभाव में मद्रास और नरोरा में निर्माणाधीन हमारे परमाणु संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) भारी पानी का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी नई तथा जटिल है। बड़ौदा, तुतीकोरिन, कोटा और तलचर में लगाये जा रहे भारी पानी संयंत्रों में भारी पानी का उत्पादन करने के लिये अपनाई गई प्रक्रियाओं का प्रयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है। यह कारण, तथा स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से उपस्करों की आपूर्ति में हुआ विलम्ब, कुछेक भारी उपस्करों के परिवहन में उत्पन्न समस्यायें, उन उपस्करों में से कुछ एक का खराब होना, बिजली की सप्लाई में तथा उर्वरक-संयंत्रों से संश्लिष्ट गैस के मिलने में पड़ा व्यवधान तथा हड़ताल जैसी घटनायें, भारी पानी संयंत्रों के चालू करने में हुई देरी के मुख्य कारण हैं।

(ख) आशा की जाती है, भारत में ही तैयार किया गया भारी पानी मद्रास और नरौरा परमाणु बिजलीघरों को दिया जा सकेगा।

कर्नाटक में सीमेंट की कमी

478. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर कर्नाटक राज्य में सीमेंट की भारी कमी है;

(ख) क्या आम लोगों को सीमेंट व्यापारियों की दुकानों के आगे घंटों खड़ा रहना पड़ता है तथा खाली हाथ लौटना पढ़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) 1977-78 के दौरान 192.80 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जो अभी तक हुआ सबसे अधिक उत्पादन है। सबसे अधिक उत्पादन होने के बावजूद कृषि, मकान-निर्माण सिंचाई तथा विद्युत आदि क्षेत्रों में कार्यकलाप बढ़ जाने से सीमेंट की मांग बढ़ जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में सीमेंट की कमी रही है। अतएव कर्नाटक राज्य में सीमेंट की कमी पूरे देश की कमी का ही एक अंग है। गत पांच वर्षों में राज्य को हर तिमाही में भेजी गई सीमेंट का औसत 1.82 लाख मी ० टन है। जनवरी, 1977 से मार्च, 1978 की अवधि में भेजी गई मीमेंट का तिमाही औसत 2.15 लाख मी० टन है। अप्रैल से जून, 1978 की तिमाही में इस राज्य को 2.89 लाख मी० टन सीमेंट का आबंटन किया गया था जिसमें वे वास्तव में कारखानों द्वारा 2.34 लाख मी० टन सीमेंट भेजी जा चुकी है। सीमेंट व्यापारियों की दुकानों के सामने जनता को घंटों खड़े रहने तथा खाली हाथ वापस लौट आने के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने देश के बाजारों में सीमेंट की उपलभ्यता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जैसे विद्यमान एककों का उत्पादन बढ़ाना, विदेशों से आयात करना, नये एककों की स्थापना करना तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना शामिल हैं।

बम्बई गोदी में जहाज घाट पर लगाने के लिए स्थान का अभाव

480. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 जून, 1978 के इकानामिक टाइम्स में "टाइट बर्थ पोजीशन इन बाम्बे डाक्स-80 कार्गो लेडन शिप्सवेट एट सी" शीर्षक समाचार को ओर गया है ;

(ख) पत्तन पर भीड़भाड़ के क्या कारण हैं जिनकी वजह से जहाजों को लगभग एक महीने तक पानी में प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बिलम्ब शुल्क आदि के कारण वित्तीय घाटा सहन करना पड़ता है;

(ग) 1 मई, 1978 से विदेशी जहाजों पर विदेशी मुद्रा में कितनी बिलम्ब शुल्क की राशि का भुगतान करना पड़ा;

(घ) क्या बम्बई पत्तन पर भीड़भाड़ से बचने के लिए स्टीमरों को अन्य पत्तनों पर भेजकर और माल को चढ़ाने-उतारने की गति को तेज करके ठीक समय पर कार्यवाही नहीं की गई; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में विलम्ब शुल्क के भुगतान से बचने और भीड़भाड़ को शीघ्र समाप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) जी, हां

(ख) भीड़-भाड़ के मुख्य कारण ये हैं :—

(i) बम्बई पत्तन में आने वाले जहाजों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

(ii) बम्बई में उर्वरक, सीमेंट और खाद्य तेल के भारी मालवाही जहाजों की संख्या बढ़ गई है। इन जहाजों में माल की मात्रा अधिक होने के कारण, उनसे सामान उतारने में समय भी अधिक लगता है।

(iii) बम्बई पत्तन का उपयोग करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरणों को वरीयता।

(iv) पाइलटों और घाट मास्टरों द्वारा सीमित समय तक कार्य करना।

(v) श्रमिकों की समस्याएं ।

(ग) आम माल के जहाजों के कारण विलम्ब शुल्क नहीं देना पड़ता। विलम्ब शुल्क चार्टर किए गए जहाजों द्वारा ले जाए गए भारी माल पर व्यय करना पड़ता है। मोटे अनुमान के अनुसार 1-5-1978 से बम्बई पत्तन पर रुके खड़े उर्वरक, कच्चा फास्फेट, खाद्य तेल और गंधक से भरे विदशी ध्वज पोतों पर बिलम्ब शुल्क के रूप में विदेशी मुद्रा में 55 लाख रुपये की राशि अदा की गई।

(घ) और (ङ) यह कहना सही नहीं है कि सामयिक कार्यवाही नहीं की गई। हर क्षेत्र की सीमा होती है। जब सीमेंट और उर्वरक जैसी सामग्री की बम्बई क्षेत्र में ही अपेक्षा हो तो सामग्री-प्राप्ति का एक मात्र साधन बम्बई पत्तन ही होता है।

बम्बई पत्तन में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं :— माल को अन्य पत्तनों में भेजना, विभिन्न बड़े पत्तनों में माल का युक्तिसंगत वितरण, जहां कहीं संभव हो, पानी के बीच में ही बजरों में माल उतारना, तट पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और रेल तथा सड़क साधनों द्वारा माल भेजने की सुविधाओं में सुधार। संबंधित अभिकरणों के साथ भी उच्च स्तर पर बातचीत की गई है ताकि पत्तनों में माल उतारने और उन्हें भेजने का काम शीघ्रतापूर्वक हो सके।

मैसर्स आटो पिन्स फरीदाबाद को रक्षा सामग्री के आदेश

481. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा गत अनेक वर्षों से मैसर्स आटो पिन्स, फरीदाबाद को रक्षा सामग्री के लिए बड़ी संख्या में आदेश दिए जा रहे हैं ;

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 में आयकर/बिक्री प्राधिकारियों द्वारा मैसर्स आटो पिन्स पर मारे गये छापों के दौरान लाखों रुपये के आयकर/बिक्री कर का अपवंचन तथा 60 लाख रुपये के जाली सौदों का पता चला था;

(ग) यदि हां, तो रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा मैसर्स आटो पिन्स को बड़ी संख्या में आदेश देने के क्या कारण हैं, और

(घ) ऐसी फर्म को संरक्षण देने के क्या कारण हैं जो जाली सौदों तथा अन्य कदाचार का कार्य कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

482. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अस्वीकार कर दिया है और जब तक संसाधनों के बंटवारे संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत नहीं करती है तब तक उसने आयोग के साथ बातचीत का बहिष्कार करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों को अपनी योजना के प्रारूप के प्रस्तावों को तैयार करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि वे सामान्य रूप से राष्ट्रीय योजना के प्रारूप के अनुरूप हों। उनमें क्षेत्रीय नीतियां दी गई हैं, प्राथमिकताएं स्पष्ट की गई हैं, और कृषि, सिंचाई, विद्युत, और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में जिनमें परिशोधित न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम शामिल हैं, निष्पादन के विशिष्ट लक्ष्य बताए गए हैं।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया कि पहले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राष्ट्रीय विकास परिषद् को दिखाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा योजना के प्रारूप में बताए गए प्रमुख उद्देश्यों के अनुमोदित कर दिए जाने और योजना के प्रारूप में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए प्रस्तावों का सामान्य रूप में स्वागत किए जाने पर, अब विस्तृत राज्य योजनाएं तैयार करने के काम की ओर बढ़ना आवश्यक है और आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों से इसमें मदद मिलेगी।

Expansion of A.I.R. Station, Jabalpur

483. **Shri Sharad Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Jabalpur station of All India Radio is being expanded on large scale;

(b) if not, the time by which Government propose to consider it;

(c) whether there is any proposal to set up a Doordarshan Kendra (Television centre) in Jabalpur in future; and

(d) if not, when Government will consider such a proposal ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) and (b) A proposal for setting up a permanent Type I studio at Jabalpur has been included in the Roll on Plan (1978-83).

(c) and (d) Extension of T.V. in the country is being proposed on a modest scale because of limitation of resources and its lower plan priority. In view of this, there is no proposal at present to set up a T.V. Station at Jabalpur. It is also not possible to indicate when such a proposal would be taken up for consideration.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में तालाबंदी

484. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ में हाल में तालाबन्दी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तालाबन्दी के बाद श्रमिकों की हड़ताल हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों की क्या मांग थी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी हां।

(ख) 26 मई, 1978 के हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, लि० लखनऊ प्रभाग के एक पर्यवेक्षक कर्मचारी पर एक कामगार ने हमला किया। उस अफसर ने पुलिस में शिकायत की और कामगार को हिरासत में ले लिया गया। कामगार को हिरासत में ले लिए जाने के बाद प्रभाग के कामगारों ने 27 मई 1978 से काम न करने की (टूल्स डाउन) हड़ताल कर दी और आंदोलन शुरू कर दिया। इससे स्थिति तनावपूर्ण बनी रही चूंकि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों के जान और माल के खतरे की आशंका हो गई और देखा कि उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है इसलिए उन्होंने 4-5 जून, 1978 की आधी रात से प्रभाग में तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

इसके बाद, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और कामगारों की यूनियन के बीच द्विपक्षीय समझौता हो जाने के परिणामस्वरूप 19 जून, 1978 को पहली पाली से तालाबन्दी उठा ली गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास पत्तन में बाहरी भाग ले निर्माण के लिए परियोजना

485. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मद्रास पत्तन पर बाहरी भाग के निर्माण के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्योरा क्या है तथा उसकी पूर्ति के लक्ष्य की तारीख क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) बाहरी बाजू जिसमें 1005 मीटर की पनकट दीवार शामिल है मध्य अक्तूबर से मध्य जनवरी तक की उत्त-पूर्व मानसून अवधि के दौरान बाह्य बन्दरगाह में गहन डुबाव वाले जलयानों के प्रबन्ध के लिए आवश्यक प्रशान्त अवस्था की व्यवस्था करता है। परियोजना की अनुमानित लागत 774 लाख रुपये है और इसकी कार्य आदेश की जारी होने की तारीख से 33 महीनों के समय में पूरे होने की संभावना है।

तापीय बिजली घरों में कोयले के भण्डार की स्थिति

486. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में गत पांच-छः महीनों में विभिन्न तापीय बिजली घरों में कोयले के भण्डार की दयनीय स्थिति से ऊर्जा मंत्रालय की चिंता हो रही है ;

(ख) क्या मंत्रालय को 1978 के जून के महीने में भटिंडा, ओबरा आदि बिजली घरों सहित कम से कम 11 बिजलीघरों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या इन रिपोर्टों के अनुसार कुछ बिजलीघरों में केवल एक या दो दिनों के लिए कोयला है ;

(घ) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या ; और

(ङ) कोयला सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन,): (क) से (ग) उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ विद्युत केन्द्रों ने जून, 1978 के महीनों में कोयले के भण्डारों में भारी कमी आ जाने की सूचना दी थी। इन केन्द्रों में एक केन्द्र भटिन्डा भी था, परन्तु ओबरा नहीं था ।

(घ) इन विद्युत केन्द्रों के कोयला भण्डार कम होकर निम्न स्तरों तक आ जाने के निम्नलिखित कारण हैं :—(1) लिंक की गई कोयले की मात्रा की ढुलाई कई कारणों से न हो पाना जिसमें सिलवाड़ा कामठी तथा सिंगरैनी कोयला खानों में हड़ताल, वैगनों की कमी, कुछ विद्युत केन्द्रों द्वारा वैगनं देर से छोड़े जाने के कारण वेगनों द्वारा कम ढुलाई कार्य आदि ; तथा (2) कुछ विद्युत केन्द्रों में अधिक विद्युत उत्पादन के कारण कोयले की अधिक खपत।

(ङ) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं :—

(1) सिलवाड़ा कामठी तथा सिंगरैनी कोयला खानों में हुई हड़ताल को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के कुछ विद्युत केन्द्रों के लिए, कोयले के अतिरिक्त स्रोतों से तदर्थ कोयला लिंकों की व्यवस्था की गई थी।

(2) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों को सलाह दी गई है कि विद्युत केन्द्रों को विशेषरूप से उन विद्युत केन्द्रों को, जो कोयला खानों से 60 किलोमीटर की दूरी के अन्दर हैं, कोयला पहुंचाने में रेलवे के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करने के लिए जितना अधिक कोयला सड़क मार्ग से पहुचा सकें, पहुंचाएं।

(3) रेलवे/कोल इण्डिया लिमिटेड से अनुरोध किया गया था कि इन विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में वे उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर वृद्धि करें।

(4) विद्युत केन्द्रों के कोयले के स्टाक की समुचित रूप से मानिटर करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। हर रोज बैठकें की जा रही हैं जिनमें रेल विद्युत विभाग, कोयला विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं और जिन विद्युत केन्द्रों के पास कोयले का स्टाक कम हो उनको कोयला पहुंचाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाती है ।

विस्फोटकों की कमी के कारण कोयले के उत्पादन में कमी

487. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटों की कमी के कारण चालू वर्ष के दौरान खानों में खुदाई का कार्य रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमिगत खानों में उत्पादन कम हो गया है तथा विस्फोटकों के आयात में कठिनाइयां के कारण कोयले की कमी को दूर करने की संभावनायें धूमिल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध नें क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) व (ग) चालू वर्ष में उत्पादन में कुछ कमी, विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई के कारण हुई। कोल इंडिया लि० ने विस्फोटक पदार्थों की सप्लाई बढ़ाने के लिए इनका बाहर से आयात करने और इस प्रकार हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई की है।

बर्मा में तस्करों और नागाओं का पीछा करने का भारत को अधिकार

488. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व प्रधान मंत्री और बर्मा सरकार के बीच हुए एक समझौते की जानकारी है जिसके अनुसार भारत को बर्मा के भू-क्षेत्र में जाकर तस्करों, विद्रोही नागाओं और अन्य समाज-विरोधी तत्वों का तेजी से पीछा करने का अधिकार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिकार का उपयोग करते हुए क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री और बर्मा सरकार के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सलेक्शन ग्रेड के चपरासी

489. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** :

श्री वी०जी० होंड़े

श्री यू० एस० पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वशासी कार्यालयों ने दिल्ली में ग्रुप 'डी' के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सलेक्शन ग्रेड चपरासियों के लिये आरम्भ करने के बारे में 10 जनवरी, 1975 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यालयों/विभागों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूरी तरह लागू नहीं किया है ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में श्रेणी चार के विभागवार ऐसे कितने कर्मचारी है जो 15 वर्ष की सेवा में उसी कैडर में हैं ;

(घ) क्या कुछ मंत्रालयों ने इस कार्य के लिये शर्तें रखी हैं जैसे कि निम्नतम योग्यता मैट्रीकुलेशन निर्धारित करना ; और

(ड़) प्रत्येक विभाग द्वारा इस ग्रेड के कर्मचारियों को सलैक्शन ग्रेड दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) अनुमानतः भाग (क) का संदर्भ वित्त मंत्रालय द्वारा 1977 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों से है, न कि वर्ष 1975 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों से। सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ड़) सरकार ने आदेश जारी किए हैं और सभी विभागों से यह आशा की जाती है कि वे उन्हें लागू करेंगे।

अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रशीतन उद्योग को प्रोत्साहन

490. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या उद्योग मंत्री 26 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनिशियनों और श्रमिकों के लिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रशीतन, उद्योग की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) से (ख) वर्ष, 1977 में देश के प्रशीतन उद्योग की क्षमता की उपयोगिता 78 प्रतिशत रही है। इस उद्योग की क्षमता उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कोई अभ्युपाय या प्रोत्साहन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे कोल इंडिया तथा उसकी सहायक कम्पनिमों को अनुदेश

491. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग ने प्रतिनिधि यूनियन द्वारा दिये गये सुझावों की अवहेलन करते हुए और अपने स्वयं के लिखित बचनों का भी उल्लंघन करते हुए तथा बिना किन्हीं सिद्धांतों के कोल इंडिया तथा उसकी सहायक कम्पनियों के प्रबन्धकों को कर्मचारियों तथा सब-स्टाफ की पदोन्नति करने के अनुदेश दिये हैं जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों का अतिक्रमण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोल इंडिया के अधिकारियों तथा उसकी सहायक कम्पनियों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री० रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोल इंडिया लि० और और उसकी सहायक कम्पनियों में पदोन्नतियां, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं।

बृहत्तर बम्बई में योजनाओं को क्रियान्वित

492. **श्री बी०सी० कामले** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहत्तर बम्बई में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय बजट के अधीन कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गईं ;

(ख) बृहत्तर बम्बई में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक योजना पर वास्तव में कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) इन योजनाओं से मोटे तौर पर किस-किस श्रेणी के लोगों का लाभ मिला; और

(घ) इन योजनाओं को आम लोगों के हित की योजनाएं बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 1977-78 के लिए केन्द्रीय बजट में सभी मंत्रालयों की योजना स्कीमें शामिल थीं, जिनमें से बहुत कम इतनी स्थानिक थी कि उनसे निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार निर्धारण संभव हो सके। इनमें से कुछ स्कीमें सीधे केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निष्पादित की गई, अन्य स्कीमें केन्द्रीय प्रायोजित थी, अर्थात् जिनके लिए केन्द्र द्वारा धनराशि दी गई और जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा निष्पादित की गई। खेद है कि प्रश्न के (क), (ख) और (ग) भागों के उत्तर के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है। सभी केन्द्रीय योजना स्कीमों से बृहत्तर बंबई में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को होने वाले लाभों का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित सूचना को एकत्र करने और और उसका विश्लेषण करने में लगने वाला समय और होने वाला व्यय सूचना के महत्व के अनुरूप नहीं होगा।

कारखाने में लगे तकुओ की संख्या और उचपन के बीच अनुपात

493. **डा० सरोजिनी महषि :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखाने में अधिष्ठापित तकुओं की संख्या के लिये 'न लाभ हानि" बिन्दु (ब्रेक इवन प्वाइंट) क्या है, और

(ख) (1) गैर-सरकारी क्षेत्र (2) सहकारी क्षेत्र और (3) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में तकुओं की संख्या और उत्पादन के बीच अनुपात में कितना अन्तर है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) (क) कताई मिलों में हानि लाभ रहित स्थिति अनेक तथ्यों पर निर्भर करेगी, जैसे मिल का आकार, अधिष्ठापित मशीनों की हालत, उत्पादकता स्तर, प्रयोग में आने वाले कच्चे माल की किस्म तथा उत्पाद मिश्र। किन्तु सूत कताई मिलों के लिए 25,000 तकुवे अनुकूलतम लाभप्रद आकार माना जाता है। परन्तु इस आकार की सूत की कताई मिल में भी हानि लाभ रहित स्थिति का निश्चय अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फरक्का के साथ साथ भारी, मध्यम तथा छोटे उद्योगों की स्थापना करना

494. **श्री शशाक शेखर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय विद्युत्त प्राधिकरण तथा ऊर्जा विभाग ने फरक्का सान्याल में सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फरक्का के दोनों किनारों पर ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर भारी, मध्यम एवं छोटे औद्योगिक उपक्रमों के लिए, जो वहां स्थापित किए जा सकते हैं और जिनके लिए सुपर तापीय बिजली घर से बिजली पैदा की जा सकती है और दी जा सकती है, योजना तैयार करना प्रारंभ किया है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) और (ख) : फरक्का के सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक एककों के विकास के लिए एक नक्शा तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण उद्योगों का विकास

495. **श्री के०ए० राज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उद्योगों के बड़े पैमाने पर प्रयोजनपूर्ण विकास के लिए केन्द्र ने क्या ठोस योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) अब तक किस प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है और हाल में विकास हेतु किये गये प्रत्यनों के परिणामस्वरूप कितने मूल्य का अतिरिक्त उत्पादन हुआ हैं ; और

(ग) गत वर्ष और चालू वर्ष में ऐसी योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती (क) भारत सरकार ने ग्रामीण उद्योगों का सार्थक विकास सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी जिलों में प्रास्थाबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) चूंकि जिला उद्योग केन्द्र योजना केवल मई, 1978 से शुरू की गई है अतः इस अवधि में विकसित उद्योगों का ब्यौरा तथा उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य बताना सम्भव नहीं है।

(ग) विगत वर्ष में ग्रामीण उद्योग परियोजना योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों को 231.25 लाख रुपये का अनुदान तथा 357 लाख रु० का ऋण मन्जूर किया। जिला उद्योग केन्द्र योजना मई, 1978 से चालू हुई है। इस योजना के अधीन भारत सरकार प्रति जिला उद्योग केन्द्र को 5 लाख रु० तक अनावर्ती अनुदान तथा आवर्ती अनुदान का 75 प्रतिशत, जो 3.75 लाख रु० से अधिक नहीं हो केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी।

असाम-मेघालय सीमा-विवाद

496. **श्री पी०ए० संगना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असाम और मेघालय के बीच कोई सीमा विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मण्डल) : (क) और (ख) कामरूप और गोलपारा जिलों और असम में मुकिर पहाड़ी जिले के 1 और 2 खण्डों में गारो आबादी वाले ग्रामों को मेघालय को स्थानान्तरित करने के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। तथापि असम और मेघालय के बीच सीमा के बारे में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

Expenditure on Tours performed by Shri Sanjay Gandhi

497. Shri Hukam Deo Narain Yadav : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply to the Starred Question No. 68 on the 6th April, 1977 regarding expenditure on tours performed by Shri Sanjay Gandhi and state :

(a) whether Government propose to take action to recover money from Shri Sanjay Gandhi spent under various heads on his tours illegally; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) and (b) The expenditure under reference was incurred by the State Governments concerned and it will be for them to decide whether the amount or any part thereof is recoverable

According to information furnished by the Governments of Haryana and Himachal Pradesh the expenditure in this regard was incurred with the approval of the compnetet authority and are not recoverable. The information from the Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, U.P., West Bengal and Chandigarh Administration is awaited

लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए क्षेत्रों का आरक्षण

498. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्र उद्योगों के लिये उत्पादन के कुल क्षेत्रों के आरक्षण हेतु तथा बड़े उद्योगों द्वारा निर्यात की आवश्यकता पर ध्यान दिये जाने के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा :

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) संसद के समक्ष 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण में उद्योग के विभिन क्षेत्रों सम्बन्धी सरकार की नीति स्पष्ट है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला का उत्पादन

499. **श्री पी० एस० रामलिंगन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1977 से आज तक कोयले का कितना मासिक उत्पादन हुआ ;

(ख) गत अनेक महीनों में कोयले के अभाव के संबंध में शिकायतों के क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों में इस को सुनिश्चित करने के लिए क्या समन्वय स्थापित किया गया है कि अत्यावश्यक जरुरतों को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई ढील न हो?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन– (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

	लाख टन
जनवरी, 1977	92.08
फरवरी, 1977	100.67
मार्च, 1977	98.40
अप्रैल, 1977	77.45
मई, 1977	76.49
जून, 1977	76.88
जुलाई, 1977	76.84
अगस्त, 1977	76.82
सितम्बर, 1977	79.39
अक्तूबर, 1977	76.36
नवम्बर, 1977	79.52
दिसम्बर, 1977	91.65
जनवरी, 1978	95.13
फरवरी, 1978	99.63
मार्च, 1978	103.13
अप्रैल, 1978	78.60
मई, 1978	76.76
जून, 1978	77.50

(अप्रैल, 1977 से आगे के आंकड़े अनन्तिम हैं)।

(ख) कुछ छोटी-छोटी सीमित जगहों को छोड़कर कोयले की आमतौर से कमी नहीं है। फिर भी, पिछले कुछ महीनों में कोयले के उत्पादन और सप्लाई में कमी हुई है जिसके कारण बार-बार बिजली फेल होना,

बड़ी संख्या में कामगारों की गैरहाजिरी, विस्फोटक पदार्थों की कमी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में श्रमिकों की हड़ताल तथा कुछ कोयला क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वैगन न मिलना हैं।

(ग) रेल तथा उद्योग मंत्रालयों, बिजली विभाग, कोयला कम्पनियों तथा अन्य सम्बद्ध लोगों में निकटतम समन्वय रखा जा रहा है और जल्दी जल्दी बैठकें की जा रही हैं। इस बारे में ऊर्जा मंत्री ने पिछली बैठक 7 व 8 जुलाई, 1978 को बुलाई थी।

सड़क निर्माण योजना के द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करना

500. **श्री रागावेलू मोहरंगम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सड़क निर्माण की व्यापक योजना द्वारा रोजगार के अवसर पैदा होने की भारी संभावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सड़क निर्माण के लिए सरकार की वास्तविक योजनाएं तथा कार्यक्रम क्या हैं और इन योजनाओं में कौन-कौन से राज्य शामिल किए गए है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) समस्त देश की सड़कों के लिए 1978-83 योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 683 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था अस्थायी तौर पर से की गई हैं, परन्तु इस योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आकाशवाणी में अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाया जाना

501. **श्री पी० कानन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के ट्रांसमीटर श्रीलंका जैसे अपने पड़ौसी देशों के ट्रांसमीटरों की तुलना में बहुत कमजोर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत और पड़ौसी देशों के ट्रांसमीटरों की शक्ति और उनकी संख्या के बारे में उपलब्ध नवीनतम सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रेडियो स्टेशनों की मीडियम ट्रांसमीटर शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :--

(1) श्रीनगर ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट करना।

(2) शिलांग ट्रांसमीटर की शक्ति 1 किलोवाट से बढ़ा कर 100 किलोवाट करना।

(3) ऐजवाल ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट करना।

इसके अलावा अनवरत योजना (1978-83) के मसौदे में 12 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

19-7-78 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 501 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

मीडियम वेव ट्रांसमीटर

	1000 कि० वा०	750 कि० वा०	500 कि० वा०	300 कि० वा०	200 कि० वा०	150 कि० वा०	120 कि० वा०	100 कि० वा०	50 कि० वा०	25 कि० वा०	20 कि०वा० और कम
भारत	2	--	--	--	--	--	--	13	12	--	97
श्रीलंका	--	--	--	--	--	--	--	--	2	2	11
बांग्लादेश	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15
नेपाल	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
पाकिस्तान	1	1	--	2	--	1	2	2	--	--	11
चीन	--	--	1	4	8	3	--	65	104	--	लगभग 700

शार्ट वेव ट्रांसमीटर

	250 कि०वा०	200 कि०वा०	150 कि०वा०	120 कि०वा०	100 कि०वा०	50 कि०वा०	35 कि०वा०	20 कि०वा० और कम
भारत	2	--	--	--	7	2	--	21
श्रीलंका	--	--	--	--	4	--	4	11
बांग्लादेश	--	--	--	--	1	--	--	5
नेपाल	--	--	--	--	2	--	--	1
पाकिस्तान	2	--	--	--	5	2	--	6
चीन	सूचना उपलब्ध नहीं है ।							

रामानन्दपुरम के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

502. **श्री टी० त्यागराजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के रामानदपुरम के पिछड़े क्षेत्र के विकास में केन्द्रीय सरकार ने क्या भूमिका निभाई और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की ;

(ख) क्या सरकार ने इस जिले में प्रचुर संख्या में पाये जाने वाले पनई (पामीरा) पेड़ों से लाभप्रद वस्तुओं का निर्माण करने की भारी संभावनाओं का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्माणों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Opening of Industrial Centres in Chhattarpur, M.P.

503. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state whether the work of setting up of an industrial centre in Chhattarpur district has been started during the current year and the names of the industries started ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : Chhattarpur is one of the districts approved under the Centrally sponsored scheme of District Industries Centres in Madhya Pradesh. Earlier this District was covered under the Rural Industrial Projects Programme and a variety of small-scale & rural industries have been promoted and assisted under the RIP programmes.

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति में ह्रास

504. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम परम्परागत दक्षता तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र में पूरे देश की तुलना में गत दशक में औद्योगिक प्रगति में लगातार तेजी से ह्रास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत के औद्योगिक मानचित्र में गत दस वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल का स्थान क्या रहा है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Production of Small and Cottage Industries

505. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether small and cottage industries make production on large scale and if so, the total number of produced as also the value of the production made by them annually;

(b) the percentage of production made by the small and cottage industries of the total national industrial production; and

(c) the contribution of small and cottage industries in the total export trade of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (c)

Sector	No. of Factories			Value of production (Rs. lakhs)		
	73-74	74-75	75-76	73-74	74-75	75-76
Small Scale	53,246 (83.0)	50,370 (78.4)	54,374 (75.8)	499,150 (25.5)	571,043 (21.9)	682,293 (22.9)
Large Scale	6,255 (9.7)	6,882 (10.7)	6,149 (8.6)	1451,314 (74.2)	2003,138 (76.7)	2210,528 (74.0)
Unspecified	4,662 (7.3)	6,965 (10.9)	11,182 (15.6)	6,337 (0.3)	35,720 (1.4)	93,824 (3.1)
TOTAL	64,133 (100.0)	64,217 (100.0)	71,705 (100.0)	1956,801 (100.0)	26,09,901 (100.0)	2986,645 (100.0)

NOTE :— (1) Figures in brackets indicate percentage share to the total.

(2) Source : C.S.O. Annual Survey of Industries.

(3) The definition of Small Scale Industrial unit in operation during ASI, 1973-74 and 1974-75 was in terms of capital of Rs. 7.5 lakhs or less in original value of plant and machinery and upto Rs. 10 lakhs or less during 1975-76.

This information is based on the Annual Survey of Industries published by CSO and is latest available information in this regard. No information is available in regard to cottage industries. It may be added that the annual survey of Industries does not cover the entire small scale sector but only the factories registered under the Factoris Act.

होम गार्ड

506. **श्री अहमद हुसेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक राज्यवार भर्ती किये गये होमगार्ड के स्वयं सेवकों की संख्या के आंकड़े क्या हैं, और इस वर्ष के अन्त तक उनकी संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अपने उद्देश्यों को, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में, पूरा करने के लिये उक्त सेवकों की सेवाओं का प्रायः उपयोग करने हेतु एक योजना आरम्भ करने का है जिससे विशेषकर इस बेरोजगारी की स्थिति में स्वयं सेवक अपने परिवार के पालन के लिये उचित आय अर्जित कर सकें ; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा किये गये पत्र व्यवहार का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) अब तक, राज्यवार भर्ती किए गए होम गार्ड के स्वयं सेवकों की संख्या परिशिष्ट (क) में दी गई है। प्रत्येक राज्य में होम गार्ड की प्राधिकृत संख्या का लक्ष्य परिशिष्ट (क) के कालम 3 में दिया गया है जहां बढ़ाई हुई संख्या कम है वहां लक्ष्य तक संख्या बढ़ाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

(ख) और (ग) जी नहीं, सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है । होम गार्ड उन लोगों का स्वयंसेवी बल है जो इस संगठन के लिए अपना खाली समय देते हैं । होम गार्ड को सौंपा

गया कार्य, आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के सहायक के रूप में सेवा करना और किसी भांति के आपातकाल में समाज की सहायता करना है। इस संगठन का उद्देश्य रोजगार अथवा बेरोजगार व्यक्तियों को उपयुक्त आय प्रदान करना नहीं है। होम गार्डों को जब वे बुलाए जाते हैं, 5 रु० प्रति दिन ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। आपातकाल राहत कार्य, सामाजिक कल्याण कार्यकलापों, कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों, सीमा गश्त जब अपेक्षित हो और युद्ध और शान्ति के समय सीमावर्ती गांवों में स्थानीय सुरक्षा प्रदान करने में होम गार्डों के प्रभावी उपयोग के लिए सभी राज्य सरकारों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

परिशिष्ट "क"

होमगार्डों की बढ़ी हुई संख्या और लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य	बढ़ी हुई
1.	आन्ध्र प्रदेश	11730	7988
2.	असम	18552	18552
3.	बिहार	71825	61682
4.	गुजरात	45280	41265
5.	हरियाणा	12750	11660
6.	हिमाचल प्रदेश	7650	6444
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4021	1500
8.	मध्य प्रदेश	17000	17088
9.	मिजोरम	646	345
10.	महाराष्ट्र	51000	47089
11.	मणीपुर	3086	3086
12.	मेघालय	2308	1464
13.	कर्नाटक	17000	14905
14.	उड़ीसा	14875	14739
15.	पंजाब	31450	31289
16.	राजस्थान	25500	19793
17.	त्रिपुरा	3825	2761
18.	तमिलनाडु	10566	9592
19.	उत्तर प्रदेश	112200	122054
20.	पश्चिम बंगाल	42500	27034
21.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	595	595
22.	चंडीगढ़	1029	1026
23.	दादर और नगर हवेली	220	10
24.	दिल्ली	9350	7477
25.	गोआ, दमन और दीव	400	317
26.	लक्षद्वीप	100	—
27.	पांडिचेरी	440	422
28.	सिक्किम	660	220

कपास की घटिया किस्म की खरीद

507. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उद्योग** मंत्री 22 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र हो गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसमें कितना समय लगेगा ;

(ख) इस समय कितनी तथा कितने मूल्य का कपास उपलब्ध है तथा यह कब तक रहेगा ;

(ग) क्या कुछ मिलों में विभिन्न किस्मों के कपास को मिला दिया जाता है तथा उसका उपयोग किया जाता है ; यदि हां, तो ऐसे मिलों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में किस-किस किस्म की कपास को मिलाया जा रहा है ; और

(घ) मिलों में नियुक्त होने वाले कपास खरीद अधिकारियों की अर्हताएं क्या हैं तथा क्या उनको केवल ऐसे लोगों से कपास खरीदने का अधिकार प्राप्त है, जिनके बारे में कपड़ा निगम के अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की जाती है, यदि हां, तो क्या इन लोगों से घटिया किस्म का कपास खरीदने पर खरीद अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, यदि हां, तो कितने ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) अपेक्षित जानकारी संसदीय-कार्य विभाग को 22 जून, 1978 को ही भेजी जा चुकी है।

(ख) इस समय सहायक मिलों के पास (लगभग) 40 लाख रुपये मूल्य की लगभग 2,000 रुई की गांठें उपलब्ध हैं तथा ये करीब 7 दिनों तक चलेगी।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम, म० प्र० की सभी 7 घटक मिलों में ऐसा किया जा रहा है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:--

नम्बर (काउन्ट)	किस्म
40 एस	एच–4/100%
28 एस	1. दिग्विजय/40%+1007/60%+विसकोस/10% 2. एच–4/20%+एल--147/ए 51/9/70% +विसकोस/10%
22 एस	सी०ओ०/ए 51/9/40%जे–34/वी–797/50%+विसकोस/10%
18 एस	जे--34(आर०जी०)/वी–797/100%
14 एस	जे--34(आर०जी०)/80%+सोफ्ट वैस्ट/20%

(घ) मिलों में कपास खरीद अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। यद्यपि कुछ सहायक कपास चयनकर्ताओं को नियुक्त किया गया है । किसी भी मिल अधिकारी को कपास की खरीद के लिए व्यक्तिगत रूप से अधिकृत नहीं किया है । अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक कपास की खरीद के लिए व्यक्तियों की सिफारिश नहीं करता है । रुई को खरीदने के लिए चुनी हुई रूई के नमूनों की प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर एक समिति द्वारा सिफारिश की जाती है । समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों की तुलना में घटिया किस्म की रूई खरीदने के लिए एक सहायक कपास चयनकर्ता की सेवायें समाप्त कर दी गई थी। तीन अन्य सहायक कपास चयनकर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाई की गई है ।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का विकसित देशों से भारत को स्थानान्तरण

508. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है "अंकटाड" अध्ययन के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले 13 उद्योगों को अत्यन्त विकसित देशों से भारत में किन्हीं स्थानों पर स्थानान्तरित करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या ये समाचार ठीक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना करने अथवा प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वर्तमान संयंत्रों को विकसित देशों से ऐसे स्थानों पर, जहां प्रदूषण सहन करने का स्तर अधिक है स्थानान्तरित करना उचित समझती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे मे क्या दृष्टिकोण अथवा नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में व्यापार एवं विकास पर पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों तथा व्यापार एवं विकास पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के एक मामले का अध्ययन पेश किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन तेरह प्रकार के उद्योगों का उल्लेख किया गया था जिन्हें विकसित देशों से भारत के छः स्थानों में स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय को अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले की ढुलाई

510. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् परियोजनाओं के लिये कोयले की कम ढुलाई के कारण देश भर में कुछ विद्युत् परियोजनाओं में विद्युत् के उत्पादन में बाधा आई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिये ढोये गये कोयले की तुलनात्मक मात्रा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान कोयले की ढुलाई कम होने के कारण कुछ विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में बाधा पड़ी थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1975-76, 1976-77 और 1977-78 (मार्च, 1978 तक) के दौरान प्रभावित हुए प्रमुख विद्युत केन्द्रों के बारे में कोयले के आवंटन, उसको वास्तविक प्राप्ति और खपत दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1975-76, 1976-77 (मार्च, 1978 तक) के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों के बारे में कोंयले के आवंटन, उसको वास्तविक प्राप्ति और खपत दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

क्रम सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	आवंटन	वास्तविक प्राप्ति	खपत
1.	कोराडो			
	1975-76	760000	478403	727558
	1976-77	1305000	1089100	1102600
	1977-78	1689000	1391659	1527723
2.	खापरखेडा			
	1975-76	590000	478403	387540
	1976-77	180000	352900	375100
	1977-78	315000	350396	368399
3.	कोठागुडम			
	1975-76	1780000	1582343	1435316
	1976-77	1875000	1589900	1635200
	1977-78	1852000	6694121	1480279
4.	उकई			
	1975-76	मार्च, 1976 में चालू की गई थी		
	1976-77	420000	191500	194600
	1977-78	480000	335897	320744
5.	गांधीनगर			
	1975-76	मार्च, 1977 में चालू की गई थी		
	1976-77			
	1977-78	400000	265761	242072

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

511. श्री डी० अमात : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विश्वविद्यालय से रतन परीक्षा (हिन्दी में प्रवीणता) पास करने के उपरान्त अंग्रेग्री में मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति भारत सरकार और भारत सरकार के उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी सेवा से क्लर्क में सेवा पदोन्नति पाने के लिए पात्र है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) तथा (ख) जिस व्यक्ति ने पंजाब विश्व विद्यालय से अंग्रेजी मैट्रीकुलेशन परीक्षा और रत न (हिन्दी में प्रवीणता) परीक्षा पास की हो वह मैट्रीकुलेट नहीं होता क्योंकि दो विषयों में भाषा संबंधी प्रवीणता की पूर्णकोण मैट्रीकुलेट के बराबर नहीं

माना जा सकता । मैट्रीकुलेशन अनेक विषयों पर आधारित ज्ञान के स्तर का बोधक होता है, सामान्यतः लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिए निर्धारित अर्हता मैट्रीकेलेशन है, इसलिए मैट्रीकुलेशन स्तर की केवल दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

खनन औजारों के मामलों में सोवियत रूस के साथ समझौता

512 डा० अमात : क्या **उद्योग** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन औजारों के मामले में सोवियत रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा नाईति) : :(क) खनन औजारों के विषय में सोवियत रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन

513. श्री सुधीर घोषाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकर के अनेक कर्मचारियों को वर्खास्त किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनके मामलों पर पुनर्विचार करने और देश में परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति में उनका बहाली के आदेश करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार के थोड़े से कर्मचारियों को बर्खास्त/सेवा से निकाला गया था । इन मामलों को पुनरीक्षा कर ली गई है और अधिकांश मामलों में बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड चार के तदर्थ अधिकारियों को नियमित करना

514. श्री सुधीर घोषाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड चार के तदर्थ अधिकारियों को उस समय नियमित किया गया जिस समय स्वयं उस ग्रेड को समाप्त किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कार्यान्वित करने में बिल्लम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) गेड़ चार के तदर्थ अधिकारियों की 4 जनवरी, 1977 को नियमित किया गया था ग्रेड चार को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

शीतल पेय उद्योग में पूंजी निवेश और उसकी क्षमता

5 15. **श्री.सुरेश विक्रम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेय उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) शीतल पेय उद्योग की लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) संगठित क्षेत्र में अनुमानित क्षमता प्रतिवर्ष 17560 लाख बोतल है, और

(ग) शीतल पेय की लागत तथा सीमित मांग के कारण गत-तीन चार वर्षों में क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है ।

पत्तनों पर भीड़भाड़

5 16. **श्री सो०के० रामचन्द्रप्पन : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्याधिक भीड़-भाड़ वाले पत्तनों से खाद्य तेलों तथा उर्वरकों से लदे जहाजों को दूसरे पतनों की ओर मोडने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ख) पत्तनों पर आमतौर पर पाई जाने वाली भीड़ को देखते हुए वहां भीड़-भाड़ को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) भारी माल वाहकों को मोड़ने की दृष्टि से पत्तनों से उतराई निकासी इत्यादि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर सबसे ऊंचे स्तर पर अन्तविभागीय बैठकें की जा रहीं हैं। आयातित उर्वरकों की धरा उठाई के लिए जहां तक संभव होता है छोटे पत्तनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) बड़े पत्तनों पर माल के युक्तिसंगत वितरण के लिए नौवहन और परिवहन रेलवे और अन्य मंत्रालयों, भारतीय नौवहन निगम तथा नौंवहन हितों के प्रतिनिधियों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है ।

Setting up of Agro-Industries in backward Districts especially in Junagadh, Jamnagar Rajkot

517. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of the agro-industries schemes approved by the Government of India in Gujarat, district-wise, for the industrially backward districts and since when they have been approved; the amount actually spent so far or likely to be spent on each scheme;

(b) whether Government propose to set up big and small scale industries in Junagadh, Rajkot and Jamnagar where groundnut, cotton, mangoes and bananas are produced in abundance;

(c) if so, the names of places where such industries will be set up and the nature thereof; when these will be established and the estimated amount likely to be invested therein;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) whether any programme has been chalked out for setting up industries in these three districts; if not, the reasons therefor and the time by which the programme wo uld be chalked out ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Assistance for Improvements in Diesel Oil Engines being manufactured in Rajkot

518. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken to give financial assistance or whether any assistance has been given to the Prototype Training Centre at Rajkot to make improvements in the diesel oil engines being manufactured in Rajkot and other cities of Saurashtra region of Gujarat;

(b) if so, the amount and nature of the financial assistance given during 1978-79 alongwith the date on which it has been given; and if it is proposed to be given, the time by which it will be given and the purpose and amount thereof ;

(c) whether arrangements will be made in the Prototype Training Centre to affix a mark so that the diesel oil engines manufactured at Rajkot and other cities of Saurashtra could be sold in all the States and it could get recognition from Land Development Banks; and

(d) whether Government propose to get cooperation of Rajkot Engineering Association in this regard and if so, details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes, Sir.

(b) With a view to expanding & continuing the existing testing facilities at the Prototype Development & Training Centre, Rajkot so as to be of better service to the Industry in developing Diesel Engine manufacturing units in Gujarat and adjacent areas, an amount of Rs. 20 lakhs was sanctioned on 27-4-1978 by the Government of India in favour of Prototype Development & Training Centre, Rajkot who will utilise this amount partly for Diesel Engine development and partly for other activities.

(c) With a view to taking immediate remedial action, the Board of Directors of the National Small Industries Corporation Limited approved a rroposal for setting up a Diesel Engine Development Laboratory at Prototype Development and Training Centre, Rajkot. The Laboratory has earned the recognition of the DGS&D and the Export Inspection Council etc. and is considered as one of the competent Test House as per recognition by I.S.I.

(d) Yes, Sir, Rajkot Engineering Association is consulted from time to time.

Memoranda by Porbandar Chamber of Commerce

†519. **Shri Dharmasinghbhai Patel :** Will the Minister of **Shipping and Transpot** be pleased to state :

(a) whether a memoranda containing 13 demands was presented to the Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport on behalf of the Porbandar Chambers of Commerce at Porbandar in Saurashtra region in Gujarat on the 16th June, 1978;

(b) if so, the demand-wise details thereof; and

(c) the action proposed to be taken either by the Central Government or the Gujarat Government thereon and when and how this action will be taken ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Demand-wise details are given below :—

1. Advertising Opening of Porbandar Port :

The Government must take immediate steps to advertise in Foreign Papers about the opening of Porbandar Port.

Special facilities must be given to this Port such as afforded to Kandla Port so as to attract traffic at this Port.

2. Diverting Steamers from Bombay :

Bombay Port at present is having about 75 steamers waiting berth and we feel that those steamers must be diverted at Porbandar Port for relieving congestion at Bombay.

3. Bulk Cargo :

Bulk Cargo like Cement, Bauxite, Salt, Chemical etc. must have facility near berth for storing so that when steamer arrives shipment can be made without causing any dely.

4. Traffic for Porbandar Port :

Port is now ready, but due to Govt. restriction our usual traffic of Cement, Groundnut extraction, hand picked selected ground nuts, (HPS) etc. are banned items so that there cannot be any export. Presently Cement, Oil, Chemicals, etc. which are imported by the Govt. and Semi-Government Institution must be call upon to import these items through this Port.

Food Corporation of India is importing many foreign commodities, which may be imported through this Port.

5. Passengers Service :

Formerly there was passenger Steamer Service from Bombay, Veraval Porbandar, Okha and there was good traffic of passenger and small cargo. We request the Government must take-up the matter to introduce this steamer service so as to remove congestion on railway.

6. Shortage of Railway Wagon and Non-availability of Coal at Porbandar :

Railways are not in a position to supply wagons thereby causing shortage of coal affecting industries adversely. So coal must be brought through this Port.

Special concessional wharfage Charges :

The Government must introduce special concessional wharfage so as to attract traffic.

8. Security :

Port area must have security arrangement and on the main gate there must be check post etc. so as to avoid theft of the cargo.

9. Office Accommodation :

Office accommodation for shipping companies, Clearing Agents etc. and Telephone facilities must be provided.

10. Import of Oil :

Presently oil is imported through Kandla Port which should be diverted to this Port.

11. Transit Godown :

Huge godowns must be constructed for storing transit cargo.

12. Storage Tank for Oil :

Facility for storing of imported oil must be provided.

13. Bus Service :

The New Port is very far from the city hence city bus service is essential.

Kindly arrange to settle the above problems on the spot for the benefit of trade and industry.

(c) The responsibility for the development of the ports other than Major Ports vests with the State Government concerned. The Memorandum has been forwarded to the State Government for appropriate action. Diversion of vessels from one port to another depends upon size of the ship, facilities available at the Port for handling cargo and its inland clearance etc.

हुगली नदी में नौका सेवा

520. श्री सुधार घोषाल : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर में परिवहन की वर्तमान पद्धतियों में वृद्धि के लिए हुगली नदी में नौका सेवाएं प्रारंभ करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) और (ख) हुगली नदी में फेरी चलाने की पश्चिम बंगाल सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1974 में स्वीकृत की गई । राज्य सरकार ने योजना के संशोधित अनुमान के लिए स्वीकृती मांगी है ।

(ग) योजना में हावड़ा की ओर अचल जेटी, कलकत्ता में तिरते जेटी का निर्माण और उपयुक्त यात्री पोत की कलपना की गई है ।

जन सेवकों (पब्लिक सर्वेन्ट्स) द्वारा आस्तियों को घोषण के लिये कानून

521. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जन सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा के लिए कानून बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चालू सत्र में आवश्यक कानून लायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील): (क) जी नहीं श्रीमान । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जन सेवकों (पब्लिक सर्वेन्टस) द्वारा आस्तियों की घोषणा की उन्हें शासित करने वाले आचरण नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

522. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाओं के निम्नलिखित प्रत्येक संवर्गों में इस समय कुल कितने अधिकारी हैं तथा इनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा,

(दो) भारतीय पुलिस सेवा,

(तीन) भारतीय विदेश सेवा,

(चार) भारतीय वन सेवा,

(पांच) श्रेणी एक और दो को प्रत्येक केन्द्रीय सेवा में पृथक-पृथक ;

(ख) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त सेवाओं में कितने आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त किया ग है तथा गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरा गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सेवाओं में पिछले बचे हुए आरिक्षित पदों को न भरके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ घोर अन्याय किया जाता है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुचित जनजातियों को देय सेवाओं में पिछले कोटे को पूरा करने के लिये अब तक सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटिल) : (क) दिनांक 1-1-1978 को तीन अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :—

सेवा का नाम	अधिकारियों की संख्या		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जन जाति
(i) भारतीय प्रशासन सेवा . . .	3538	333	168
(ii) भारतीय पुलिस सेवा	2098	188	69
(iii) भारतीय वन सेवा	1194	61	34

केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनारक्षित किए गए पदों की संख्या :

(i) भारतीय प्रशासन सेवा — 4 अनुसूचित जनजाति
(ii) भारतीय पुलिस सेवा — शून्य
(iii) भारतीय वन सेवा — शून्य

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती में कोई पिछली बची हुई रिक्तियां नहीं हैं ।

गत तीन वर्षों के दौरान इन तीन अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए कोई भी आरक्षित रिक्ति बिना भरी नहीं रह गई थी । फिर भी, किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के लिए यदि कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसे अग्रेनीत किया जाता है और बाद की परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भरा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है कि जहां तक सम्भव हो, किसी भी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित न किया जाए।

Allocation for Tribal development programme in Madhya Pradesh

523. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Central Government have sanctioned some amount under a scheme for tribal development programme in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) & (b) For the year 1978-79, the tribal sub-plan of Madhya Pradesh envisages an outlay of Rs. 63.54 crores out of State funds for various programmes, namely agriculture, horticulture irrigation, cooperation, education, health, nutrition, etc. In addition the Central Government will be giving special Central assistance of Rs. 18.46 crores for these programmes. Out of this allocation, the first instalment of Rs. 4.61 crores has been released.

हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म फैक्टरी द्वारा फिल्मों का उत्पादन

524 : **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म फैक्टरी का वार्षिक उत्पादन फिल्म उद्योग को ब्लैक एण्ड व्हाइट पाजीटिव फिल्म की मांग से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं, फिल्म उद्योग की मांग कितनी है और यदि निर्यात किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म का भारत में गेवा कलर और ओर्वो कलर फिल्मों की सप्लाई करने में एकाधिकार है ;

(घ) गेवा और ओर्वो के जम्बो रोलों को फिल्म उद्योग के लिए किन मानकों के अनुसार कीमत निर्धारित की जाती है ;

(ङ) क्या भारतीय फिल्म उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें सीधे आयात करने की अनुमति दी जाये, क्योंकि वह हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म द्वारा वितरित फिल्मों की अपेक्षा सस्ती और बेहतर किस्म की होगी ; और

(च) क्या उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म को एक घाटे वाले और आवश्यक संगठन होने के कारण बंद कर देंगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अामा माईति) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म फैक्टरी सिने पोजिटिव और सिने साऊण्ड नेगेटिव (ब्लेक एण्ड ह्वाइट) फिल्मों को समूची मांग को पूरा कर रहा है तथा उसका पर्याप्त स्टाक भी रख रहा है। इसने पिछले तीन वर्षों में इन वस्तुओं का उत्पादन निम्न प्रकार किया :-

वर्ष	ब्लेक एण्ड ह्वाइट पोजिटिव	साऊण्ड नेगेटिव
1975-76	1,38,438	30,266
1976-77	1,92,966	38,549
1977-78	1,85,970	38,872

बाजार में पिछले तीन वर्षों में इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं हुई।

वर्ष 1977–78 में सिने पोजिटिव और सिने साउण्ड (ब्लेक एण्ड वाइट) फिल्मों का 3.66 लाख रुपए का निर्यात किया गया था जबकि इससे पहले के वर्षों में कोई निर्यात नहीं हुआ था।

(ग) केवल हिन्दुस्तान फोटो–फिल्म फैक्टरी द्वारा ही जम्बो रोलों और गेवा तथा ओर्वो रंगीन पोजिटिव फिल्मों का आयात किया जा रहा है।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म फैक्टरी के पदार्थों के निर्धारित मूल्य वास्तविक परिवर्तन वलागत तथा उचित लाभ पर आधारित होते हैं। आयात करने पर वितरकों को जहाज से माल उतरने के बाद की लागत पर लगभग 10 प्रतिशत लाभ दिया जाता है।

(ङ) हाल ही में फोटो-फिल्म उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान फोटो–फिल्म फैक्टरी द्वारा परिवर्तित (कन्वर्टेड) सिने कलर पोजिटिव की कीमतें आयातित फिनिस्ड फिल्मों से अधिक होती हैं। अतः इन पर विचार किया जा रहा है। आयातित तथा हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म फैक्टरी द्वारा परिवर्तित रोलों की किस्म में अन्तर होने का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि दोनों तरह के रोल बनाने में एकसा सामान प्रयोग होता है। विदेशों द्वारा और या हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म फैक्टरी द्वारा वर्ष 1977 में की गई इस उत्पाद की बिक्री की तुलना में शिकायतों का स्तर 0.4 प्रतिशत से कम रहा है।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म फैक्टरी को बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरेनियम के निक्षेप

525, **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के भागों में यूरेनियम मिलने की संभावनाओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन क्षेत्र में यूरेनियम मिलने की आशा है उनमें भूमितल खोज, आंतरिक छिद्रण और भूमिगत विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) इन नये स्थानों से कितना यूरेनियम मिलने का अनुमान है; और

(घ) क्या सरकार ने अन्य राज्यों तथा भू-वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी क्षेत्रों में यह खोज कार्य आरम्भ किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख), (ग), और (घ) जी, हां। दूसरे राज्यों की भांति मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में भी क्रोडवेधन तथा/ या भूमिगत कार्यों द्वारा यूरेनियम की खोज करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। इन स्थानों पर मिले निक्षेपों में यूरेनियम की मात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है।

टी० वी० ग्लास बल्ब

526. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० ग्लास बल्ब का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन आयातित बल्बों की संख्या और उनके मूल्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस मद का निर्माण करने के लिए अनेक भारतीय उद्यमियों और राज्य सरकार के उपक्रमों ने सरकार से आवेदन किया है;

(ग) क्या टी० वी० ग्लास बल्बों का निर्माण करने के लिए कोई लाइसेंस दिया गया था; और यदि हां, तो कब और किसको;

(घ) क्या इस मद का निर्माण करने के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० को लाइसेंस दिया गया था, परन्तु उन्होंने इसे लाभप्रद नहीं पाया; और यदि हां, तो इसके क्या करण हैं;

(ङ) 50 से० मी० आकार की टी० वी० ट्यूब को भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० द्वारा जोड़े जाने वाले प्रत्येक कलपुर्जों और कच्चे माल का भाड़ा बीमा सहित मूल्य कितना है और पुरी० टी० वी० ट्यूब को भाड़ा बीमा सहित कितन मल्य पर आयात किया जा रहा है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिक बाल्बों और कैथोडरे ट्यूबों में काम आने वाले प्रत्येक आयातित ग्लास के हिस्सों, पुर्जों की सी० आई० एफ० कीमत कितनी थी और कितनी भात्रा में उनका आयात किया गया;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) जी, हां, टी० वी० के आयातित कांच बल्बों (अर्थात शलों)की संख्या व मूल्यों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) टी० वी० ग्लास शेलों के निर्माण के लिए अभी तक कोई भी औद्योगिक लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

टी० वी० ग्लास शेलों के निर्माण के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को भी लाइलेंस स्वीकृत नहीं किया गया था।

(ङ) और (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा मनोरंजन आदि पर व्यय

527. **श्री बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1976-77 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय नौवहन निगम ने (1) मनोरंजन पर व्यय के रूप में लगभग 10,00,000रु० (2) यात्रा व्यय के रूप में 5,00,000रु० (3) निदेशकों के यात्रा व्यय के रूप में 5,00,000 रु० (4) टैलेक्स तार आदि पर व्यय के रूप में 1,00,00,000 रु० तथा (5) टैलीफोन व्यय के रूप में 70,00,000 रु० का व्यय किया था;

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 की अवधि के लिए उपरोक्त मदों पर व्यय संबंधी आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम के लेखों में 1977-78 वर्ष के लिए 15 करोड़ की निवल हानि होगी, और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने गैर-उत्पादन मदों पर होने वाले फालतू व्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा 1976-77 के दौरान इन मदों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

(1) मनोरंजन रु० 659,253, (2) यात्रा व्यय रु० 40,13,441, (3) निदेशकों का यात्रा व्यय रु० 3,93,535, (4) टेलैक्स और तार रु० 96,77,196 और (5) टेलीफोन व ट्रंककाल रु० 63,71,352।

(ख) वित्तीय वर्ष 1977-78 के लेखा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । परन्तु उपरोक्त मदों के अन्तर्गत दर्ज किये गये अस्थायी आँकड़े इस प्रकार है:—(1) मनोरंजन 5.87 लाख रुपये, (2) यात्रा व्यय 36.55 लाख रु०, (3) निदेशकों का यात्रा व्यय 4.48 लाख रु०, (4) तार और टैलेक्स 93.85 लाख रु०, (5) टैलीफोन और ट्रंक काल 58.82 लाख रु० । लेखा को अंतिम रूप दिए जाने और लेखा-परीक्षा होने के बाद इसमें परिवर्तन हो सकते हैं ।

(ग) चूंकि लेखा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु यह अनुमान है कि हानि 16 से 20 करोड़ रूपये के बीच होगी ।

(घ) भारतीय नौवहन नियम के प्रशासनिक खर्चों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि परिचालनात्मक आय तथा परिचालनात्मक व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय में निम्न प्रकार गिरावट आई है:—

प्रशासनिक व्यय	1974–75	1975–76	1976–77
(क) परिचालनात्मक आय के प्रतिशत के रूप में	3.55	3.48	3.30
(ख) परिचालनात्मक व्यय के प्रतिशत के रूप में	6.09	4.92	4.56

यद्यपि स्पष्टत: व्यय में बढ़ोतरी हुई है, तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय नौवहन निगम एक विकासशील संगठन है और इस अवधि में मूल्यों में भी सामान्य वृद्धि हुई है, भारी व्यय की संभावना थी । ऊपर बताई गई प्रतिशतताओं से यह स्पष्ट है कि इन मदों पर व्यय फालतू नहीं हैं । परन्तु भारतीय नौवहन निगम की विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वह अनावश्यक व्यय की मदों पर लगातार निगरानी रखे और उसमें अधिक से अधिक मितव्ययता लाए ।

नई दिल्ली में एक कम्प्यूटर केन्द्र का निर्माण

528. **श्री डी० अमात**: क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे की एक फर्म ने नई दिल्ली में भारत सरकार के लिये एक बड़े कम्प्यूटर केन्द्र के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस देश के लिए एक परियोजना शामिल की है । उन्होंने यंत्र-सामग्री (हार्डवेयर) की खरीद के लिए तथा हमारे तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय के लिए 43.9 लाख डालर का प्रावधान किया है । उन्होंने भारत सरकार के साथ परामर्श करके नार्वे की एक फर्म को इस काम के लिए नियुक्त किया है ताकि परियोजना को निष्पादित करने के बारे में उसके तकनीकी तथा करार सम्बन्धी पहलुओं पर उन्हें सहायता मिल सके ।

भाषा के प्रश्न पर दक्षिण भारतीय राज्यों को भय

529. **श्री वयालार रवि** :

श्री धमवीर वशिष्ठ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के मुख्य मंत्रियों ने भाषा के प्रश्न पर अपना भय प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां; तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) भारत सरकार के ध्यान में यह आया है कि तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में दिनांक 16 जुलाई, 1978 को मद्रास में हुई एक बैठक में कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं।

(ख) भारत सरकार का विचार कि ये आशंकायें गलत हैं क्योंकि 1967 में यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन सभी राज्यों की विधान सभाओं द्वारा जिन्होंने हिन्दी को अपनी राज भाषा के रूप में अंगीकार नहीं किया है; अंग्रेजी भाषा को जारी न रखने के संकल्प पारित न कर दिये जायें और जब तक उक्त संकल्प पर विचार करने के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इसे जारी न रखने का प्रस्ताव पारित न कर दिया जाये।

पटना में टेलीविजन केन्द्र

530. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 29 जून, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना में एक टेलीविजन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) पटना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और उत्तर बिहार के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए मुजफ्फरपुर में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर 14 जून, 1978 को चालू किया गया है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इन सुविधाओं का विस्तार करना या पटना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना सभंव नहीं है।

सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचारपत्रों के चयन के संबंध में ज्ञापन

531. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय ने आपात स्थिति के दौरान सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचारपत्रों के चयन के लिए प्रसाद ज्ञापन नामक कोई ज्ञापन जारी किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या वह ज्ञापन अब भी लागू है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने मंत्रि-मण्डल के एक निर्णय के अनुसरण में 23-6-1976 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था;

(ख) उस ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी मंत्रालयों से यह कहा गया था कि वे अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों और अन्य संगठनों को ये निदेश दें कि वे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची और विज्ञान दरों का अनुसरण करें। यह ज्ञापन अभी भी लागू है, किन्तु विभिन्न संसदीय समितियों की सिफारिशों की रोशनी में मामले का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों की मांग

532. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा हाल में रखी गई मांगों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मागें है तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने सूचित किया है कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों का संबंध वेतनमानों के परिशोधन के कारण 1-4-72 से 30-9-73 तक की अवधि की बकाया राशि के भुगतान और प्रति वर्ष अनुग्रहीत आश्वासित भुगतान के बारे में है। ये मांगें दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम प्रबन्ध और डी० एस० ई० कर्मचारी यूनियन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप तय की गई थी। दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम प्रबन्ध और डी० एस० ई० कर्मचारी यूनियन के बीच हुए दूसरे समझौते के परिणामस्वरूप साइकिल भत्ते में वृद्धि, समय-मान पदोन्नतियां, सवारी भत्ता देने में समानता, अनुशासन संहिता का कार्यान्वयन, 14 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले वापस लेने जैसी मांगें और शेष मांगों पर पारस्परिक रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा तथा तय की जाएगी।

डा० धर्म तेजा का देश से बाहर जाना

533. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री राघव जी :

श्री जी० एम० बनतवाला

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा० धर्म तेजा जून, 1978 में गैर-कानूनी तरीके से भारत छोड़कर चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके इस प्रकार से बाहर जाने में किसी अन्य देश का हाथ है ;

(ग) क्या इस मामले में सरकार ने इस बीच कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार डा० तेजा ने एक वैध पासपोर्ट पर गत 22-2-77 को भारत छोड़ा था।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तकनीकी जानकारी का निर्यात

534. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी० एम० बनतवाला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्वी अफ्रीकी देशों को ग्रामोद्योग क्षेत्र संबंधी अपनी तकनीकी जानकारी का निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) जी हां। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने तंजानिया को कुम्हारी हाथ से बने कागज गोबर गैस, चूना, धानी तेल तथा फल संरक्षण के संबंध में तकनीकी-जानकारी का निर्यात किया है तथा वहां भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये अपने तकनीकी कार्मिक भेजे हैं। तंजानिया सरकार द्वारा प्रायोजित 5 प्रशिक्षणार्थी आयोग द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। घाना की पांच महिला नेत्रियों ने भी आयोग के प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इथोपिया मारीशस तथा लाओस को नये माडल के चर्खे तथा उन्नत किस्म के करघों के बारे में तकनीकी जान कारी का भी निर्यात किया गया है। किन्तु इसके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि तकनीकी जानकारी विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

सरकारी सेवाओं में भर्ती के मामले में प्राथमिकता

535. **श्री एस० एस० सोमानी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में भर्ती करते समय उन युवकों को सरकार प्राथमिकता दे सके जिन्होंने आपात स्थिति के सबंध में मार्च 1974 से 1977 तक जेल काटी या अन्य तरह से हानि उठाई और

(ख) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटिल): (क) इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 'सेमीकंडक्टर तरीकों के लिये विकसित प्रौद्योगिकी

536 **श्री एस० एस० सोमानी**: क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिलानी (राजस्थान) स्थित केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान सस्थान संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 'सैमीकंडक्टर' तरीकों के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है; और

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र ने इस संस्थान के लिये कुछ राशि उपलब्ध कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यु०एन०डी०पी०) ने अपने बजट में इस परियोजना के लिये कुल 9,97,213 डालर का प्रावधान किया है। इसमें उपस्कर के लिये 4,66,660 डालर, विशेषज्ञों की सेवा के लिये 2,93,980 डालर, अध्येतावृत्ति (फैलोशिप तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के लिये 2,05,955 डालर और विविध व्यय के लिये 30,618 डालर शामिल हैं।

नागाओं द्वारा पिसाओ के निकट सेना की एक गश्ती टुकड़ी पर गोली चलाना

537. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत नागाओं के एक ग्रुप ने मई के अन्तिम सप्ताह में बर्मा की सीमा पर स्थित जिला त्वेनसांग में पिसाओ के निकट सेना की एक गश्ती टुकड़ी पर गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के हताहत होने वालों की संख्या क्या है ; और

(ग) उक्त प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मई के अन्तिम सप्ताह में नागालैंड के त्वेनसांग जिले में पिसाओ के निकट भूमिगत नागाओं के एक ग्रुप ने असम राइफल्स की एक गश्ती टुकड़ी पर गोली चलाई थी ।

(ख) किसी पक्ष की ओर से हताहतों का समाचार नहीं था ।

(ग) नागालैंड और मणिपुर में पूरी भारत बर्मा सीमा पर सतर्कता रखी जा रही है ।

पंजाब में तापीय विद्युत संयंत्र

538. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली की कमी को पूरा करने के लिये पंजाब में एक तापीय विद्युत् संयंत्र लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन,) (क) से (ग) पंजाब में इस समय विद्युत् की कोई कमी नहीं है । पहले से ही स्वीकृत की गई परियोजनायें विद्युत् की मांग में 1982-83 तक की प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिये पर्याप्त है । 1983-84 से 1988-89 तक की अवधि में विद्युत् की मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिये कई विकल्पों की जांच की जा रही है । रोपड़ में एक वृहत् ताप विद्युत् संयंत्र का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है ।

देश में कृत्रिम रेशमी धागे की उत्पादन क्षमता

539. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम रेशमी धागे की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या इस समय देश में इष्टतम क्षमता पर उत्पादन हो रहा है ;

(ग) क्या जितना कृत्रिम रेशमी धागे का उत्पादन होता है उससे बुनाई उद्योग की मांग पूरी हो जाती है; और

(घ) कृत्रिम रेशमी धागा बनाने वाले कताई एककों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) देश में नकली रेशम के रेशों और धागे के उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता लगभग 180,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है।

(ख) अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 98 प्रतिशत ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 25 एकक नकली रेशम फिलामेंट धागों के उत्पादन में लगे हुए हैं । नकली रेशम धागों से निर्मित कता धागा प्रत्येक कताई मिल के उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार या तो विशुद्ध होता है या मिश्रित । नकली रेशम के धागों का उपयोग करने वाली मिलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) नकली रेशम कताई मिलें	24
(2) सूती कताई मिलें	327
(3) सूती धागा मिश्रित मिलें	389

जालन्धर में टेलीविजन केन्द्र

540 **डा० बलदेव प्रकाश :**
चौधरी बलवीर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक जालन्धर में टैलीविजन केन्द्र खोला जायेगा ;

(ख) क्या जालन्धर टैलीविजन केन्द्र के लगाये जाने वाले कुछ उपकरणों को श्रीनगर टैलीविजन केन्द्र में भेज दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन उपकरणों को वहां भेजे जाने के कारण जालन्धर में टैलीविजन केन्द्र आरम्भ करने में कितना विलम्ब होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) पहले उम्मीद यह थी कि जालन्धर केन्द्र इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेगा । तथापि. बहुत से आवश्यक उपकरणों की सप्लाई में देरी होने के कारण अब केन्द्र के मार्च, 1979 तक लागू होने की संभावना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Strike by Employees of N.D.M.C.

541. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the employees of electricity department of the New Delhi Municipal Committee observed a strike recently in support of their demands;

(b) whether the employees indulged into subversive activities causing losses worth lakhs of rupees by damaging power stations;

(c) the demands behind these activities; and

(d) the legal action taken against them ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) (a) Yes, Sir.

(b) A number of installations in thc sub- stations, switching stations, feeder pillars and road lighting system were found to have been interfered with and put out of action. An attempt had also been made to drain out the transformer oil while the transformer was in service and to cut the High Tension Cable feeding transformer. Name-plates of a large number of H.T. and medium voltage switage board had been erased, their operating handles removed, and a number of feeder pillars completely defused.

(c) the Nai Delhi palika Vidyut Pradaya Karamchari Sangh made 24 demands but the salient demands related to payment of ex-gratia for the year 1971-72, payment of ex-gratia for the year 1977-78, formation of a separate cell for the electricity workers, payment of motor -cycle/scooter allowance at the rate of Rs.150 P.M. without maintenance of Log Book and payment of Cycle allowance at the rate of Rs.15/ P.M. and promotion of junior Engineers (Electric) to the post of Assistant Engineer (Electric) Class II by departmental promotion.

(d) Criminal cases were lodged with the Police against those suspected of having indulged in acts of sabotage as a result of which 12 persons ere arrested. Departmental action was also taken against 27 employees of the N.D.M.C.

Telecasting of popular programmes from Delhi Doordarshan Centre

542. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government had given an assurance that good films and popular programmes will be telecast from Delhi Doordarshan Centre;

(b) if so, the reasons why there is still resentment among the common men that interesting programmes are not telecast from Delhi Doordarshan Kendra; and

(c) the arrangements proposed to be made by Government for telecasting more popular programmes from Doordarshan in future ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a), (b) and (c) Government is aware of the reactions of the public to the programmes telecast by Doordarshan. Every effort is being made, within the available resources, to improve the quality and popular appeal of the programmes. Efforts are also being made to fulfil the objective of presenting only good and wholesome entertainment including films fit for family viewing.

कोयले का उत्पादन और उसका भेजा जाना तथा मूल्य

543. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से दो वर्ष पूर्व और उसके बाद के उत्तरवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष कोयले के उत्पादन, भेजे जाने और मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1-5-72 से तथा अकोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1-5-73 से किया गया था। उत्पादन और प्रेषण के 1970-71 और उसके बाद के वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन	प्रेषण
1	2	3
1970-71	72.95	62.26
1971-72	72.42	65.52
1972-73	77.22	70.16
1973-74	78.17	68.59

1	2	3
1974-75	88.41	84.88
1975-76	99.68	91.96
1976-77	101.02	94.98
1977-78	101.00	99.51
1978-79 (अनन्तिम) (अप्रैल-जून)	23.30	23.60 (अनन्तिम)

24-7-67 से 31-7-75 तक कोयले की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं था। अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय औसत खान महाना कीमत 37.42 रु० प्रति टन थी।

1-4-74 से केन्द्र सरकार द्वारा औसत कीमत 47.42 रुपये प्रति टन नियत की गई। केन्द्र सरकार ने 1-7-75 से संशोधन करके वह कीमत 92 रुपये प्रति टन कर दी है और यह अभी तक लागू है।

Cloth Manufactured by seven Textile Mills in Madhya Pradesh for Export

544. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the varieties of cloth manufactured by the seven textile mills under Textile Corporation (Madhya Pradesh) for exporting abroad during the period January, 1976 to June, 1978;

(b) the names of the countries to which this cloth was sold indicating the quantity and value thereof in each case as also the names of the parties through which this cloth was sold during the aforesaid period and whether full payment thereof has since been made and if not, the names of the parties against whom payment is outstanding indicating the amount thereof in each case; and

(c) whether the cloth sold to the traders was lifted by them with much delay and if so, the expenditure incurred by the Corporation on demurrage, bank interest and transportation ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (c) Information will be collected and furnished.

(b) It will not be in public interest to furnish reply to this part of the Question.

Stocks of Loose Processed and unprocessed cloth lying with seven Textile Mills under NTC in Madhya Pradesh

545. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the stocks of losses processed and unprocessed cloth lying with each of the seven textile mills of Madhya Pradesh being run by the Textile Corporation for the period January, 1976 to June, 1978;

(b) the present baled stock with each of the above mills;

(c) the quantum of cloth millwise sold so far to each cloth merchant and the payment received so far as well as the amount yet to be received; and

(d) whether the cloth sold was not lifted by the traders as a result of which the Textile Corporation had to take back the consignment and if so, the amount it had to incur by way of interest, transportation charge, demurrage etc. on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (b) The bales of cloth stock with each of the mills as on 30th June, 1978 is as follows :

1. New Bhopal Textile Mills	1783
2. Swadeshi Cotton & Flour Mills	4741
3. Hira Mills	4020
4. Burhanpur Tapti Mills	2259
5. Indore Malwa United Mills	4621
6. Kalyanmal Mills	5176
7. Bengal Nagpur Cotton Mills	6553

The information of parts (a), (c) and (d) of the Question can be compiled and furnished but this will be voluminous in nature and it will take considerable time for such compilation. Under the circumstances, the Hon'ble Member may like to seek any specific information for which reply will be furnished.

Cloth Sold and Exported by National Textile Industry Corporation, Madhya Pradesh

546. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 275 on the 22nd February, 1978 and state :—

(a) the quantity, quality and value of the cloth sold and exported by the National Textile Industry Coproration, Madhya Pradesh during January, 1976 to June, 1978 and the names of the parties to whom it was sold and exported;

(b) the names of the mills which produced the cloth and the parties through which the export was made and the period of export;

(c) whether the parties to whom the cloth was exported have not yet made payments and if so, their names and dues to be paid by them and when they will pay; and

(d) the names of the parties for whom Corporation had to bear interest, commission and rent for not exporting the lifted cloth from mills ?

The Minister of State in the Ministry of Industry : (Shrimati Abha Maiti) (a) to (c) : The information sought is voluminous in nature and it will taken considerable time to furnish such informations. Under the circumsances, the Hon'ble Member may like to seek any specific infomation for which reply will be furnished.

Maharashtra Karnataka Boundary Dispute

547. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the proposals submitted to the Centre by the concerned State Governments for the solution of Maharashtra-Karnataka border dispute;

(b) whether a resolution was adopted at the full session of the Janta Party held at Pune on 8th June, 1978 about the said border dispute and made recommendation to the Centre; and

(c) the reaction of Union Government in regard to solution of the dispute ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) (a) No such proposals have been received by Government from either State Government in the recent past.

(b) No such resolution appears to have been received by Government.

(c) The Central Government would not like to impose any solution as it is of the view that an abiding solution of the dispute can emerge only through the willing co-operation of and consensus between the two State Governments. The Central Governments could assist these Governments in arriving at such a settlement.

गोपनीय रिपोर्टों का लिखा जाना

548. **श्री राम कृष्ण डाल**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहली सरकार द्वारा अपनाई गयी सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को लिखे जाने की वर्तमान प्रक्रिया इस प्रकार की है कि उसमें रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को कुछ कर्मचारियों की और इससे सरकारी तन्त्र को सम्पूर्ण कार्य-अनुचित लाभ देने का मौका मिल जाता है कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐस कदाचारों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटोल): (क) जी नहीं, श्रीमान्, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने की प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर और विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयो सें बिचार विमर्श करने के बाद तैयार की गयी है, जिससे कि रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन की वस्तुनिकष्ठा को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए कसौटी

549. **श्री राम मूर्ति**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 19 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7426 और 10 मई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 1051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्गीज कमेटी ने सभी विशेषज्ञों के लिए एक ही संवर्ग रखने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र निदेशक और सहायक केन्द्र निदेशक के पदों पर विभागीय पदोन्नति के मामले में प्रोड्यूसरों को साक्षात्कार के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता है, जबकि ये भी विशेषज्ञ होते हैं ;

(ग) क्या आकाशवाणी में केन्द्र निदेशकों को विभागीय पदोन्नति लगातार दी जा रही है, हालाँकि उनमें कोई विशेष योग्यता नहीं होती हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्गीज कमेटी की रिपोर्ट क्रियान्वित किए जाने तक इस प्रकार की पदोन्नतियों को रोके रखना चाहेगी जिससे विशेषज्ञों के साथ न्याय हो सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) : वर्गीज समिति ने पाँच अलग संवर्गों अर्थात् कार्यक्रम, इंजीनियरी, वित्त, कार्मिक तथा सूचना/श्रोता अनुसंधान की सिफारिश की थी।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि स्टाफ आर्टिस्टों सहित कार्यक्रम कर्मचारियों को एकल एकीकृत संवर्ग में लाया जाना चाहिए।

(ख) वर्गीज समिति की सिफारिशों पर निर्णय अभी लिया जाना है। फिलहाल प्रोड्यूसरों के बारे में सहायक केन्द्र निदेशक और केन्द्र निदेशक के रैंक में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भर्ती नियमों के अंतर्गत वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, प्रोड्यूसरों के लिए पदोन्नति के अपने चैनल हैं अर्थात् उप मुख्य प्रोड्यूसर और मुख्य प्रोड्यूसरों।

(ग) जी, नहीं। पदोन्नितियां भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं।

(घ) और (ङ) काम के हित में रिक्तियों को खाली रखना उचित नहीं होगा।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारियों द्वारा लिये गये यात्रा/दैनिक भत्ते

550. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) मार्च, 1977 से जून, 1978 तक केन्द्र शासित अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारियों अर्थात् विभाग अध्यक्ष, जिनमें मुख्य आयुक्त और सचिव भी शामिल हैं, कन्द्रशासित क्षेत्र अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने दिन उपस्थित रहे और अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह से छुट्टी अथवा सरकारी ड्यूटी पर विभागवार कुल कितने समय तक बाहर रहे; और

(ख) यात्रा तथा दैनिक भत्ते अथवा किराये/विमान किराये के रूप में विभागवार ड्यूटी और छुट्टी पर कुल कितनी धन राशी व्यय हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अधिकारी का पदनाम	उन दिनों की कुल संख्या जिन दिनों अधिकारी			अधिकारी के यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते/यात्रा/ विमान भाड़े पर हुआ कुल व्यय जबकि वह	
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित रहा	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बाहर रहा		ड्यूटी पर था रु०	छुट्टी पर था रु०
		छुट्टी पर	ड्यूटी पर		
1	2	3	4	5	6
मुख्य आयुक्त . .	375	45	67	21,885	2,020
मुख्य सचिव . . .	103	—	14	4,343	—
विकास आयुक्त तथा विकास सचिव	260	60	118	23,808	1,010

1	2	3	4	5	6
वित्त सचिव	302	97	88	10,233	2,020
न्यायिक सचिव . .	392	—	95	18,797	—
विशेष कार्य अधिकारी (लेखा) .	316	—	36	6,703	—
मुख्य वन-पाल तथा सचिव (वन) .	354	72	61	11,353	3,649
मुख्य अभियंता तथा सचिव (लोक निर्माण) . . .	441	—	46	10,242	—
वि० का० अधि०/मुख्य विकास तथा पुनर्वास आयुक्त . .	369	24	94	11,459	1,010
उपायुक्त, अंडमान जिला	365	3 (आकस्मिक छुट्टी पर)	119	5,002	—
उपायुक्त निकोबार जिला	406	76	5	2,511	2,075

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और पश्चिम जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी साईमन्स के बीच समझौता

551. **श्री सी० के० चन्द्रअप्पन**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ सहयोग के पश्चिम जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी साइमन्स के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ सहयोग के बारे में सरकार और साइमन्व के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है । फिर भी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, चेको-स्लोवाकिया की फर्मों के साथ कई सहयोगों को सरकार ने मंजूरी दी है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साइमन्स के बीच विद्यमान सहयोग करार निम्नलिखित है:—

(1) हाई स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव टर्बाइन-21-6-1974 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए ।

(2) थाईरिस्टर कन्वर्टर, एसोसिएट, कंट्रोल तथा एप्लीकेशन इंजीनियरिंग-28-7-1975 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए ।

(3) थाईरिस्टर, पावर डायोड तथा मोनो क्रिस्टलाइन सिलीकोन-28-10-1975 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए । तथा

(4) 200 से 1000 एम० डब्ल्यू० के लार्ज स्टीम टर्बाइन जनरेटर-24-8-1976 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे विकासशील संगठन के लिए नई प्रौद्योगिकी एवं सहयोग की तलाश एक क्रमिक प्रक्रिया है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड साइमन्स व अन्य विभिन्न संगठनों के साथ अपनी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए बातचीत कर रहा है ।

जे० सी० बी० में तकनीकी सहायकों के काम पर आने की तारीख

'552. **श्री महीलाल** : क्या रक्षा मंत्री 10 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9932 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थायी आधार पर काम कर रहे 12 तकनीकी सहायकों (जी० डी०) को किस तारीख को जे०सी०बी० में लिया गया था; और

(ख) गत 20 से 25 वर्षों तक जे०सी० बी० में काम कर रहे विभिन्न श्रेणियों के विभागीय कर्मचारियों को विशेषाधिकार/छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि उपर्युक्त 12 अस्थायी तकनीकी सहायकों (जी०डी०) को दी गई है और उनके बारे में वर्ष 1973 में अध्ययन दल ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उस पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जिन संबंधित 12 तकनीकी सहायकों को जिस तारीख से प्रारम्भ में तदर्थ आधार पर और बाद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, वर्ग इस प्रकार हैं :—

नाम	नियुक्ति की तारीख	
	तदर्थ	नियमित
1. श्री एस० के० पंज	8-10-68	22-4-78
2. श्री सत्यपाल रामपाल	9-10-68	22-4-78
3. श्री बी०सी० मरवाह	9-10-68	22-4-78
4. श्री एच० एस० सोलंकी	10-10-68	22-4-78
5 श्री एच०बी० अरोड़ा	10-10-68	22-4-78
6 श्री जे० पी० सिंह	26-10-68	22-4-78
7 श्री आर०सी० शर्मा	26-10-68	22-4-78
8 श्री एच०आर० गुप्त	26-10-68	22-4-78
9 श्री जे० पी० भूटानी	26-10-68	22-4-78
10. श्री एस०के० सेन	26-10-68	22-4-78
11. श्री के० सुरेन्द्रन	18-11-68	22-4-78
12. श्री एस० एस० कंवर	23-11-68	22-4-78

(ख) चूंकि उपर्युक्त कर्मचारियों ने तकनीकी सहायकों (तदर्थ) के रूप में 9 वर्षों से अधिक की संतोषजनक सेवा कर ली है इसलिए उनके मामले में नियमों में छूट देकर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी । जे०सी०बी० में ऐसे कोई अन्य कर्मचारी नहीं हैं जिन्हें तदर्थ आधार पर ऊंचे ग्रेड में नियुक्त किया गया हो और ऐसी लम्बी अवधि से कार्य कर रहा हो कि इस प्रकार की छूट देनी पड़े । फिर भी, नियमों में छूट दे कर तदर्थ नियुक्ति को नियमित करने में औचित्य के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

तदथ नियुक्ति के कुछ अन्य मामले भी हैं । कुछ दिन पहले, उप-निदेशकों में से एक तदर्थ उप-निदेशक को पद के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के अन्तर्गत नियमित किया गया था ।

अन्य ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" राजपत्रित पदों में कुछ रिक्त स्थानों पर तदर्थ नियुक्तियां हैं और इन रिक्त स्थानों को शीघ्र ही नियमित आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है । इनके अतिरिक्त, अराज-

पत्रित ग्रुप "ख" में भी कुछ तदर्थ नियुक्तियां हैं और इन नियुक्तियों पर नियमित व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श कर संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन करने के बाद, पदोन्नति द्वारा किया जाएगा।

अध्ययन दल जे०सी०बी० में तदर्थ नियुक्तियों और ऐसी तदर्थ नियुक्तियों के नियमन पर विचार नहीं करता है।

जे० सी० बी० लैटर प्रैस के रीडिंग कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान

553. **श्री महो लाल:** क्या रक्षा मंत्री लेटर प्रेस जे०सी०बी० के कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में दिनांक 12 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जे०सी०बी० में काम करने वाले रीडर ग्रेड 1 तथा कापी होल्डरों के वेतनमानों का तत्काल संशोधन करने के आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये कर्मचारी अपने वेतनमानों में असंगति को दूर करने के लिये जनवरी 1974 में अभ्यावेदन देते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन वर्गों के कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तिथि अर्थात् 1 जनवरी, 1973 से संशोधित वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) वेतन आयोग ने जे०सी०बी० में रीडर ग्रेड-1 और कापी होल्डर के पदों के लिए 380-560 रुपए के तथा 260-350 रुपए के वेतन मानों की सिफारिश की थी। सरकार ने उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद हाल ही में इन वेतन मानों में और सुधार करने के पश्चात् इन्हें 425-600 रुपए तथा 260-400 रुपए कर दिया है। चूंकि यह सरकार द्वारा लिया गया एक नया निर्णय है और तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित नहीं है इसलिए इस निर्णय को सरकारी आदेश होने की तारीख से प्रभावी बनाया गया है।

जयपुर उद्योग लिमिटेड के प्रबंध को अधिकार में लेना

554 : **श्री के० ए० राजन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक संसद सदस्यों ने उनसे जयपुर उद्योग लिमिटेड के प्रबन्ध को अधिकार में लेने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी में दीर्घावधि से कुप्रबन्ध व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अामा भाईति) : (क) से (ग) जयपुर उद्योग लिमिटेड राजस्थान राज्य में सवाई माधोपुर, प्रतिवर्ष 10 लाख मी० टन की क्षमता से सीमेंट के उत्पादन के लिए लाइसेंसीकृत है। वित्तीय कठिनाईयों के कारण सितम्बर, 1975 से अप्रैल, 1976 तक की अवधि के दौरान कम्पनी का उत्पादन बन्द रहा और केन्द्र तथा राज्य सरकारों से उत्पादन पुनः चालू करने के लिए सहायता मांगी। कम्पनी में प्रबन्ध के कारण उत्पादन में मुख्यतः कमी आई जिसका कि कारण आवश्यक

निवारक रख-रखाव और वर्षों से मरम्मत के कार्य की उपेक्षा कम्पनी के भूतपूर्व सोल बिक्री एजेन्टों की मार्फत धनराशि के विपणन के कारण धन की कमी तथा बिक्री, खरीद और व्यय के क्षेत्रों में प्रबन्धकीय कदाचार थे । प्रबन्ध ने कम्पनी के हितों के विरूद्ध नीतियों और व्यवहार को अपनाया । राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और स्टेट बैंक आफ इंडिया की इकमुश्त सहायता से कम्पनी ने अप्रैल, 1976 के अन्त से उत्पादन पुनः चालू किया ।

कम्पनी का प्रबन्ध सरकारी अधिकार में लेने के लिए संसद सदस्यों की ओर से समय-समय पर अभ्यावेदन दिये गये हैं। रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी नीति में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के तत्वावधान उनके पुनर्वास की योजना तैयार करना तथा इन संस्थानों द्वारा पुनर्वास के लिए आवश्यक समझे गये जैसे परिवर्तनों को लागू करने में सहायता प्रदान करना है । पुनर्गठित प्रबन्धक मण्डल के 11 सदस्यों में से सात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि हैं । सरकार द्वारा कम्पनी के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाती है जिससे आवश्यक समझे गये समुचित उपाय किये जा सकें।

रुग्ण एककों को बड़े व्यापारिक गृहों के स्वस्थ एककों में मिलाया जाना

555. **श्री के० ए० राजन**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बड़े व्यापारिक गृहों से रुग्ण एककों को उनके स्वस्थ एककों में मिलाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा भाई) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72क के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकरण ने अभी तक 17 आवेदनपत्र प्राप्त किये हैं, इनमें से कुछ आवेदन पत्र बड़े व्यापारिक घरानों से भी हैं । आवश्क विवरण देने वाला एक विवरण संलग्न है । इन प्रार्थना पत्रों पर उचित पद्धति के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्रमांक	विलयित कंपनी का नाम	विलय होने वाली कंपनी का नाम	क्या एकाधिकार प्रबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन पंजीकृत है
1.	मै० लक्ष्मी कं० लि० कोयम्बटूर (वस्त्र)	मै० कोयम्बटूर काटन मिल्स लि०, कोयम्बटूर (टैक्सटाइल) (वस्त्र)	दोनों कंपनियां एम० आर० टी० पी० ऐक्ट के अधीन पंजीकृत हैं
2.	मै० चेज ब्राइट स्टील लि० बंबई (चमकीली इस्पात की छड़ें)	मै० इंडियन ब्राइट स्टील कं० लि० मद्रास (चमकीली इस्पात की छड़ें)	नहीं–
3.	मै० दन्कन एग्रो इंडस्ट्रीज लि० कलकत्ता (चाय और तम्बाकू)	मै० नैशनल तम्बाकू कंपनी लि० कलकत्ता (सिगरेटें)	दोनों कंपनियां एम०आर०टी०पी० ऐक्ट के अधीन पंजीकृत हैं।
4.	मै० क्रुमटन ग्रीव्ज लि० बम्बई (बिजली की मोटरें)	मै० तोशीबा आनंद लैम्पस् लि० एर्नाकुलम् (जी०एल० एस० लैम्पस्)	विलोन की गयी कंपनी एस० आर० टी० पी० ऐक्ट के अधीन हैं/पंजीकृत है ।

1	2	3	4
5.	शालीमार वायर्स लि०, कलकत्ता (स्टील की तारें)	मै० ग्रनिल स्टील वायर्स लि०, कलकत्ता (इस्पात की तार)	—नहीं—
6.	मै० पोयासा इंडस्ट्रियल कं० लि०, कलकत्ता (धातु के डिब्बे)	मै० कोलरिज लि०, कलकत्ता (कोलेप्सिबित ट्यूब्स)	—नहीं—
7.	मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, बंबई (जीपें)	मै० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० (इ०) लि०, बंबई (ट्रैक्टर)	विलीन की गयी दोनों कंपनी एम० ग्रार० टी० पी० ऐक्ट के ग्रधीन दोनों कंपनी रजिस्टर्ड हैं।
8.	मै० डालमिया सीमेंट भारत लि०, नई दिल्ली (सीमेंट)	मै० टेलीसाउंड लि० इंडिया लि०, बल्लभगढ़ (रेडियो)	विलीन की गयी कम्पनी एम० ग्रार० टी० पी० एक्ट के ग्रधीन रजिस्टर्ड है ।
9.	मै० जे० के० सिंथेटिक टैक्सटाइल लि०, कानपुर (वस्त्र)	मै० जे० के० स्टील एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, कानपुर (इस्पात उत्पाद)	दोनों एम० ग्रार० टी० पी० एक्ट के ग्रधीन रजिस्टर्ड हैं ।
10.	मै० पायेन टैलब्रोस लि०, नई दिल्ली (गैसकेट्स)	मै० ए० ई० डब्ल्यू० जैन्सनस लि०, नई दिल्ली (साँक एब्जर्बर्स)	—नहीं—
11.	मै० फाल्टन शुगर वर्क्स लि०, बंबई (चीनी)	मै० हैवरो इंडस्ट्रीज लि०, बंबई (ड्राई सैल)	—नहीं—
12.	मै० मैक्डोवल्स एण्ड कं० लि०, मद्रास (ग्रलकोहल)	हिन्दुस्तान पोलीमर्स लि०, विशाखापत्तनम् (पोलीमर प्लास्टिक)	दोनों एम० ग्रार० टी० पी० एक्ट के ग्रधीन रजिस्टर्ड हैं ।
13.	रेमण्ड वूलन मिल्स लि०, बम्बई (ऊनी वस्त्र)	मै० जे० के० ग्रायरन एण्ड. स्टील इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता (लौह एवं इस्पात वस्तुएं)	दोनों एम०ग्रार० टी० पी० एक्ट के ग्रधीन रजिस्टर्ड हैं ।
14.	मै० कमला शुगर वर्क्स लि०, ग्रमरावती नगर, (चीनी)	मै० त्रि थिरुपूर्ति मिल्स लि०, ऊद्मालपेट (वस्त्र)	दोनों कंपनी एम० ग्रार० टी० पी० ऐक्ट के ग्रधीन रजिस्टर्ड हैं।
15.	मै० एटलस साईकिल्स इंडस्ट्रीज़ लि०, सोनीपत (बाईसिकल)	मै० एटलस ग्राटो इंडस्ट्रीज लि०, सोनीपत (ग्राटो साइकिल्स)	—नहीं—
16.	पण्यम सीमेंट एण्ड मिनरल इंडस्ट्रीज लि०, कुरनूल (सीमेंट)	मै० ढक्कन वायर्स लि०, बंगलौर (तार)	—नहीं—
17.	मै० नवभारत एन्टरप्राइजेज लि०, प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद-4 (निर्यात)	मै० विजय दुर्गा कॉटन ट्रेडिंग लि०, गुन्टूर (सालवेंट एक्स-क्ट्रशन)	—नहीं—

औद्योगिक विकास दर

556. **श्री के० ए० राजन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में 7 से 8 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने नीति संबंधी अनेक पैकेज उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाने की नीति में निम्नलिखित प्रमुख तत्व निहित हैं :—

(1) महत्वपूर्ण उद्योग यथा; विद्युत शक्ति कोयला, इस्पात, उर्वरक तथा अलौह धातुओं के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति;

(2) कुछेक प्रमुख उद्योग जिनमें अधिक मांग द्वारा अधिक उत्पादन की आवश्यकता सिद्ध हो जाती है उनमें ऊंचे उत्पादन लक्ष्यों का रखा जाना । इनमें कागज, सीमेन्ट, वाणिज्यिक, गाड़ियां, वैगन तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा शामिल है।

(3) आवश्यक निवेशों के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिये कि एक या दो एककों में उत्पादन के गिर जाने से उद्योग में होने वाला उत्पादन विश्रृंखलित न हो जाये आयात की अग्रिम योजना बनाना तथा उनका बफर स्टॉक करना ।

(4) उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मोनीटोरिंग तथा समन्वय करना।

बम्बई पत्तन में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उपाय

557. **श्री के० ए० राजन :**

श्री यादवेन्द दत्त :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों के दौरान बंबई पत्तन में भीड़-भाड़ चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पत्तन पर भीड़-भाड़ कम करने और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) यह सच है कि बंबई पत्तन पिछले कुछ महीनों से विभिन्न कारणों से भीड़-भाड़ का सामना कर रहा है ।

(ख) घाट की प्रतीक्षा करने वाले जहाजों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1-1-1978	4
1-2-1978	7
1-3-1978	14

1-4-1978	16
1-5-1978	24
1-6-1978	30
1-7-1978	30
17-7-1978	21

बम्बई पत्तन में मौजूदा भीड़-भाड़ के मुख्य कारण नीचे दिये गए हैं:—

1. बंबई पत्तन में आने वाले जहाजों की संख्या बढ़ रही है।

2. उर्वरकों, सीमेन्ट तथा खाद्य तेल में भारी मालवाही जहाजों की संख्या में वृद्धि, जो माल-उतराई में अधिक समय लेते हैं।

3. मौजूदा समस्याओं के बावजूद बंबई पत्तन का उपयोग करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरणों की वरीयता।

4. पाइलटों और घाट मास्टरों द्वारा सीमित समय तक कार्य करना;

5. श्रमिकों की समस्याएं।

(ग) बंबई पत्तन में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं: माल को अन्य पत्तनों में भेजना, विभिन्न बड़े पत्तनों में माल का युक्तिसंगत वितरण, जहां कहीं संभव हो, पानी के बीच में ही बजरों में माल उतारना, तट पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और रेल तथा सड़क साधनों द्वारा माल भेजने की सुविधाओं में सुधार। संबंधित अभिकरणों के साथ भी बातचीत की गई है ताकि पत्तनों में माल उतारने और उन्हें भेजने का काम शीघ्रतापूर्वक हो सके।

गांवों का विद्युतीकरण

558. **श्री सी० आर० महाटा:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिनमें अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) भारत में, 5,74,936 गांव है। 31-3-1978 तक इनमें से 2,17,388 गांव (37.7%) विद्युतीकृत किए गए थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार गांव के विद्युतीकरण पर बहुत जोर देती है। पंचवर्षीय योजना-1978—83 को रूप-रेखा में देश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1450 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह राशि 300 करोड़ रुपये की उस राशि के अलावा है जोकि वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। योजना में एक लाख अतिरिक्त गांवों के विद्युतीकरण की संकल्पना है।

विवरण

विद्युतीकृत आबाद गांव—1971 की जनगणना

क्र० सं०	राज्य	गांवों की कुल संख्या	31-3-1978 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	31-3-1978 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	27,221	14,652*	53.8
2.	असम	21,995	2,176	9.9
3.	बिहार	67,566	18,695*	27.7
4.	गुजरात	18,275	8,121	44.4
5.	हरियाणा	6,731	6,731	100.0
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	7,753	45.9
7.	जम्मू और कश्मीर	6,503	4,014	61.7
8.	कर्नाटक	26,826	15,160	56.5
9.	केरल	1,268	1,224	96.5
10.	मध्य प्रदेश	70,883	16,350	23.1
11.	महाराष्ट्र	35,778	21,480	60.0
12.	मणिपुर	1,949	235	12.1
13.	मेघालय	4,583	396	8.6
14.	नागालैण्ड	960	236	24.6
15.	उड़ीसा	46,992	14,161	30.1
16.	पंजाब	12,188	12,126†	100.0
17.	राजस्थान	33,305	10,009	30.1
18.	सिक्किम	215	48	22.3
19.	तमिलनाडु	15,735	15,522	98.6
20.	त्रिपुरा	4,727	410	8.7
21.	उत्तर प्रदेश	1,12,561	35,026	31.1
22.	पश्चिम बंगाल	38,074	11,669	30.6
	जोड़ (राज्य)	5,71,251	2,16,194	37.8
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4,685	1,194	25.5
	जोड़ (अखिल भारत)	5,75,936	2,17,388	37.7

(*) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(†) 62 गांव गैर-आबाद घोषित कर दिए गए हैं।

विवरण

विद्युतीकृत आबाद गांव—1971 की जनगणना

क्रम सं०	संघ राज्य क्षेत्र	गांव की कुल संख्या	31-3-1978 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवो	31-3-1978 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	390	68	17.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,973	110*	3.7
3.	चण्डीगढ़	26	26	100.0
4.	दादरा और नगर हवेली	72	49	68.1
5.	दिल्ली	243	243	100.0
6.	गोवा, दमन और दियु	409	346	84.6
7.	लक्षद्वीप	10	9	90.0
8.	मिजोरम	229	10(ख)	4.4
9.	पांडिचेरी	333	333	100.0
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		4,685	1,194	25.5

(*) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) 28-2-1978 की स्थिति के अनुसार ।

भारतीय पटसन निगम में कदाचार

559. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम खरीद के समय पटसन को घटिया दिखाना, कम तोलना, नमी के कारण उसमें कटौती करने आदि जैसे विभिन्न कदाचारों में लगा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसे कदाचारों के आरोप हैं जिन पर भारतीय पटसन निगम द्वारा जांच-पड़ताल करने के बाद उपयुक्त कार्रवाई की गई है । इन कदाचारों को रोकने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा संलग्न टिप्पण में दिया गया है ।

विवरण

भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन की खरीद (क) अपने विभागीय क्रय केन्द्रों (1977-78 में 100) जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा के पटसन उगाने वाले राज्यों के माध्यम से तथा (ख) संबंधित राज्यों की विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करता है। पटसन कलकत्ता के अलावा अन्य बाजारों से, जिसमें ग्रामीण हाट भी शामिल हैं, कलकत्ता में मुख्यालय

द्वारा निर्धारित कीमतों पर बिना छंटी हालत में खरीदा जाता है। व्यापार की प्रकृति तथा खरीद केन्द्रों के स्थान पर बिखरे होने के कारण कर्मचारियों को पटसन की खरीद करने में कदाचार करने का अवसर मिल जाता है। ये कदाचार निम्नलिखित क्षेत्र में सम्भव है:—

(1) विक्रय के लिए लाई गई बिना छंटी पटसन की किस्म तथा नमी का निर्धारण करते समय;

(2) तोलते समय;

(3) निश्चित की गई कीमतों का भुगतान करते समय;

(4) अपनी पसन्द के विक्रेताओं के साथ विशेष रूप से जब अधिक प्रस्ताव आये हैं, तरजीह देने वाला व्यवहार करना।

2. निरोधात्मक उपाय :

उपर्युक्त क्षेत्रों में कदाचारों को रोकने की दृष्टि से विस्तृत पद्धतियां निर्धारित की गई हैं। विक्रताओं के नामों, खरीदे गये प्रत्येक ढेर (प्लाट) की अनुमान लगाई गई ग्रेड की रचना दी गई कुल राशि, भुगतान का ढंग (चैक द्वारा अथवा नकद) तौल का विवरण, आदि जैसे ब्यौरों का विस्तृत रिकार्ड रखे जाने की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त विवरण खरीद बिल (तीन प्रतियों में) रिकार्ड किया जायेगा तथा भुगतान करने से पहले विक्रेता के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिये। इसके अलावा लेखे के कई रजिस्टर तथा किताबें रखी गई हैं। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी बड़े बोर्डों पर पटसन के विभिन्न ग्रेडों की कीमतों को दर्शाया गया है। पटसन के विभिन्न ग्रेडों के नमूने भी प्रदर्शित किये गये हैं ताकि विक्रेताओं को भारतीय पटसन निगम द्वारा बढ़िया किस्म का माल खरीदने का पता चल सके। विभागीय खरीद केन्द्रों में शिकायत एवं सुझाव पुस्तकें भी रखी गई हैं। क्षेत्र (फील्ड) कर्मचारियों को जल्दी-जल्दी बदल दिया जाता है ताकि वे स्थानीय व्यापारियों के साथ अथवा आपस में अवांछनीय संपर्क स्थापित न कर सकें।

3. पर्यवेक्षण :

कड़ी निगरानी रखने की दृष्टि से खरीद केन्द्रों को 14 क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया है जो क्षेत्रीय प्रबंधकों के अधीन है तथा वे खरीद मौसम में व्यवहारिक रूप से, प्रतिदिन एक अथवा अधिक केन्द्रों का निरीक्षण करते हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धकों से स्थानीय अधिकारियों तथा जन कार्यकर्त्ताओं से संपर्क भी रखने को कहा गया है। मौसम के दौरान वे मुख्यालय को नियमित रूप से निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

4. सतर्कता व्यवस्था :

मुख्यालय में सचिव की देखरेख में एक सतर्कता प्रकोष्ठ है तथा सचिव ही मुख्य सतर्कता अधिकारी है। इस प्रकोष्ठ में एक पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी तथा आवश्यक कर्मचारी है। उनका कार्य शिकायतों की जांच-पड़ताल करना तथा कदाचारों के सम्बन्ध में आवश्यक निरोधात्मक तथा दण्डात्मक उपायों के बारे में प्रबन्धकों को सलाह देना है।

जनता में प्रति वर्ष शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें आमतौर पर खरीद कर्मचारियों द्वारा किस्म का निम्न कोटि का निर्धारण करने तथा कम कीमत दिये जाने के बारे में होती हैं। जहां भी कहीं पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है वहां सब सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्रवाई की जाती है। निगम से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुछ समय पहले 7 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी थीं तथा कई अन्य कर्मचारियों की इस प्रकार के काम करने की कम गुंजाइश वाले क्षेत्रों में भेज दिया गया है।

Licences to Birla Group

560. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Janta Government have sanctioned licenses worth about Rs. 170.46 crores to monopoly houses upto December, 1977 for the setting up of new industries and whether most of these licences have been given to Birla group of companies and then to J.K. Singhania, Thapar, Shri Tata and Shri Ram group of companies;

(b) whether it is also a fact that new industries will be set up with only Rs. 93.79 crores out of it and the remaining sum of Rs. 76.67 crores will be spent on the expansion of their old establishment; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether a statement showing the details of the licences of those 23 companies will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) (a) to (c) : Presumably the information sought for is in respect of approvals granted under the provisions of the MRTP Act. Department of Company Affairs have reported that 29 proposals of MRTP undertakings involving a total project cost of Rs. 170.78 (as indicated by the applicants in their applications) were approved under the provisions of the MRTP Act during July—September '77. A statement showing details of these approvals is enclosed.

[Placed in Library *See.* No. L.T. 2409/78]

संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए श्रीमती गांधी को मताधिकारी से वंचित किया जाना

561. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री:**

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार श्रीमति इंदिरा गांधी को जो कि भारत के संविधान के उपबन्धों का घोर उल्लंघन करने की दोषी पायी गयी हैं, मताधिकार से वंचित करने के लिये कोई वैधानिक उपबन्ध करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मेघालय में जनजातीय तथा गैर-जनजातीय लोगों में बढ़ता तनाव

562. **श्री एफ०एच० मोहसिन:** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेघालय में जनजातीय तथा गैर-जनजातीय लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा है;

(ख) इस तनाव के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस तनाव को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मेघालय सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ तनाव देखा गया है।

(ख) कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा क्षेत्रीय भावनाओं के शोषण के कारण तनाव पैदा हुआ है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मेघालय के मुख्य मंत्री और उप-मुख्य मंत्री ने भी राज्य विधान सभा को आश्वासन दिया है कि मेघालय में गैर-जनजातियों के हित की रक्षा की जायेगी। केन्द्रीय सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

563. **श्री एफ० एच० मोहसिन :**

श्री रामानन्द तिवारी :

श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के किसी प्रस्ताव पर बिचार कर रही है;

(ख) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का यह वक्तव्य सही है कि दिल्ली को इस वर्ष अगस्त तक राज्य का दर्जा मिल जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) तक : सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद् बनाने का निर्णय किया है। आवश्यक विधान संसद में शीघ्र ही पेश करने का प्रस्ताव है।

श्री शैलम परियोजना

564. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान श्री शैलम परियोजना के लिये कोई राशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि कितनी है; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी कर ली जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि श्री शैलम परियोजना के लिए, चालू पंच वर्षीय योजना की अवधि अर्थात् 1978–83 में 1.30 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। उनके अनुमान के अनुसार परियोजना का प्रथम चरण दिसम्बर, 1981 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

मिट्टी हटाने वाली मशीनों का निर्माण

565. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिट्टी हटाने वाली मशीनों का निर्माण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ये मशीनें कहां बनाई जा रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के निम्न-लिखित तीन एकक मिट्टी हटाने वाली मशीनों का निर्माण करते हैं। उनके स्थापना स्थल के बारे में भी नीचे बताया गया है:—

(1) मैं० भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कोलार गोल्ड फील्ड्स, बंगलौर।

(2) मैं० भारी इंजीनियरी निगम, रांची।

(3) मैं० जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/बोर्डों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली

566. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/बोर्डों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली के लिए भू-राजस्व वसूली अधिनियम किन-किन राज्यों में लागू किया जा रहा है, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को इस अधिनियम को लागू करने के लिए परामर्श देगी।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61वां) के खण्ड 19(ख)(1) में एक वैधानिक उपबन्ध विद्यमान है जो जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर सारे देश में लागू होता है, उसके अनुसार अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अथवा अन्यथा किसी भी तरह से किये गये किसी करार के अधीन आयोग को देय किसी भी प्रकार की राशि, जिस ढंग से बकाया भू-राजस्व वसूल किया जाता है उसी तरह से वसूल की जाएगी। बम्बई उपनगर जिला, जिसमें आयोग का मुख्य कार्यालय स्थित है, उसके कलक्टर द्वारा जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों को विभिन्न राज्यों में सभी संबंधित जिला कलैक्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

Workers removed from service in Suraj Textile Mill, Malot (Punjab State)

567. **Shri Madan Tiwari** : Will the Minister of **Industry** be plased to state:

(a) the total number of workers removed from service in Suraj Textile Mill, Malot, district Faridkot (Punjab) during the emergency;

(b) whether these workers have been reinstated as in the case of nationalised textile mills;

(c) if so, when they were reinstated and if not, when these workers will be reinstated; and

(d) whether criminal cases were also filed during the emergency against the workers removed from service which are still pending?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Fourteen.

(b) Nine workers have been reinstated.

(c) Five workers were reinstated on 8th June, 1977 and four on 4th March, 1978. Another worker who was also offered to join the mill on 4th March, 1978, has not joined so far. The remaining four workers who were involved in an assault on the Factory Manager on 30th July, 1976, have been convicted by the Court of Law. As such they have not been taken back in service.

(d) Criminal cases were filed against five workers by the State Government. Four workers have been convicted by the Court of Law and no case is pending.

'सत्यम शिवम् सुन्दरम्, चलचित्र की सेंसर का प्रमाण पत्र जारी किया जाना

568. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' नामक चलचित्र को सेंसर बोर्ड ने पास किया था;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस चलचित्र में अनेक नग्नतापूर्ण अश्लील मुद्राओं वाले दृश्य दिखाए गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि चित्रपट पर चुम्बन के दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने चित्रपट पर अश्लील दृश्यों का प्रदर्शन न करने सम्बन्धी कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर रखे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस चलचित्र को पास करते समय उन सिद्धांतों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस चलचित्र से चुम्बन तथा नग्न दृश्यों का प्रदर्शन रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) "सत्यम् शिवम् सुन्दरम्" नामक फिल्म को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 22 मार्च, 1978 को प्रमाणीकृत किया गया था।

(ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) फिल्म सेंसर बोर्ड को जो मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं उनके अंतर्गत उसको यह सुनिश्चित करना होता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता के ऐसे दृश्य न हों जो मानविक संवेदनशीलताओं को क्षुब्ध करें। इस फिल्म में जो कामुक दृश्य और मानव रूप के जो आंशिक नग्न शाट हैं उनको इस प्रकार की संवेदनशीलताओं को क्षुब्ध करने वाला नहीं समझा गया। इस फिल्म को केवल व्यस्कों के लिए निर्बन्धित लोक-प्रदर्शन के लिए प्रमाणीत किया गया।

Production of Janta Dhotis and Sarees in Handloom Sector

569. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the target set by Government for production of Janata dhotis and sarees in the handloom sector and the extent to which the target has been achieved;

(b) whether Government propose to provide some special facilities to this sector for producing other varieties of cloth besides dhotis and sarees; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The target set by the Government for production of Janata dhotis and sarees in the handloom sector upto March, 1978 was 100 million metres. A production of 82 million metres has actually been achieved by the end of March, 1978.

(b) and (c) The major share of the production is in the form of dhotis and sarees due mainly to more demand in respect of these items. Lungies, to a very limited extent, are also being produced under the Janata Cloth Scheme. However, the inclusion of other varieties in lower as well as in higher counts is being considered.

आपात स्थिति के दौरान "मीसा" और भारत रक्षा नियमों के अधिन बन्द हुए लोगों के आश्रितों को पेंनशन

570. **श्री यादवेन्द्र दत्त:** :

श्री डी० अमात: :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आपात स्थिति के दौरान भारत रक्षा नियमों तथा "मीसा" बन्दियों के आश्रितों को पेंशन की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) जी हां, श्रीमान। दो योजनायें हैं, एक मीसा आदि के बन्दियों के आश्रितों के लिए और दूसरी भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम के अधीन गिरफ्तार किये गये उन व्यक्तियों के लिये जिनकी आपात स्थिति के दौरान मृत्यु हो गई थी।

(ख) स्कीमों का ब्यौरा अनुलग्नक क्रमश : i और ii में दिया गया है।

बम्बई पत्तन पर निष्प्रयोजन खड़े जहाज

571. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंबई पतन पर अत्यधिक भीड़-भाड़ हो गई है और यदि हां तो, वहां कितने जहाज निष्प्रयोजन खड़े हैं और एक जहाज को वहां स्थान का आबंटन पाने में कितने दिन लगते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : पिछले कुछ महीनों से बंबई पत्तन में जहाजों की भीड़-भाड़ हो गई है।

17 जुलाई, 1978 को 21 जहाज बंबई में धाट की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिन्सेज और विक्टोरिया गोदियों में जहाजों को धाट मिलने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। इन्दिरा गोदी में प्रतीक्षा अवधि लगभग 5 हफ्ते हैं।

महाराष्ट्र का बेरोजगारी भत्ते का विधेयक

572. **श्री पी० के० कोडियन** :

डा० बापु कातदाते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित बेंरोजगारी भत्ता विधेयक को अपनी स्वीकृति न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निर्णय राज्य सरकार को भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) (ख) (ग) तथा (घ) मामले पर विचार किया जा रहा है।

विभिन्न मिलों का पटसन का स्टाक

573. **श्री सुशील कुमार धारा**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मिलों के पटसन के स्टाक में समानता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर, 1977 में जारी किए गए पटसन नियंत्रण आदेश के, विशेषकर भारतीय पटसन निगम की व्यापार स्थिति के संबंध में, अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं, और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) कच्चे पटसन की उपलब्ध मात्रा का मिलों के बीच और अधिक युक्तियुक्त वितरण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए पटसन आयुक्त ने पटसन (लाईसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 9 के अधीन 9-12-1977 को एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी पटसन मिलों को ये निदेश दिये गये थे कि वे निर्दिश्ट तारीखों के अन्दर अपने पास मौजूद कच्चे पटसन के भण्डार को कम करके 8 सप्ताह की खपत के स्तर तक ले आये। पटसन के मूल्य तथा उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने पर मिलों द्वारा कच्चे पटसन का अधिकतम भण्डार रखने की कानूनी सीमा को उत्तरोत्तर कम करके 4 सप्ताह की खपत के स्तर तक कर दिया गया है। इस अभ्युपाय के फलस्वरूप उच्च स्तर तक का भण्डार रखने वाले अनेक पटसन कारखानों ने अपना भण्डार धीरे-धीरे कम कर दिया है और कच्चे पटसन का कम भण्डार रखने वाले कारखाने पटसन की वस्तुओं के उत्पादन को चालू रखने के लिए उन्हें बाजार से पटसन का भण्डार आमतौर पर प्राप्त हो जाता है। इस अभ्युपाय का भारतीय पटसन निगम की व्यापारिक गतिविधियों में सुधार करने से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

हल्दिया पत्तन का औपचारिक रूप से खोला जाना

574. **श्री राजकृष्ण डान**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया पत्तन जो परीक्षार्थ फरवरी, 1977 से खोल दिया गया था अभी तक औपचारिक रूप से नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पत्तन को घोषित स्तर तक पूर्णतः नौवहन योग्य बनाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ अन्य पत्तनों पर एकत्र हुए जहाजों से माल उतारने में अत्यधिक विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क के रूप में अत्यधिक सरकारी राशि व्यर्थ खर्च की जा रही है, और

(घ) हल्दिया पत्तन को सुधारने के लिए और विलम्ब शुल्क के रूप में हो रहे सरकारी खर्च में कमी करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम): (क) चूंकि हल्दिया के लिए विचारित सभी सुविधाएं अभी चालू नहीं हुई हैं अतः हल्दिया गोदी पद्धति के चालू करने का कोई सरकारी उद्घाटन समारोह नहीं हुआ है, परन्तु हल्दिया में अयस्क, कोयला तथा सामान्य माल धाट 28-12-1977 से चालू है।

(ख) घोषित नौगम्म गहराई की प्राप्ति के लिए हल्दिया को जाने वाले नौवहन जलमार्ग का निकर्षण 1973 में शुरु किया गया और तब से जारी है। मुहाने में गहरा नदी साध कार्य शुरू किया गया है। जलमार्ग की गहराई के सुधार पर, भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर इस समय कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा अध्ययन किया जा रहा है

(ग) और (घ) सरकार पत्तनों में जहाजों से माल उतारने में विलम्ब से होने वाले धन की हानि से परिचित है। इस स्थिति से निपटने के लिए विचाराधीन उपायों में यातायात को दूसरे पत्तनों को मोड़ना, जहां कहीं व्यवहार्य हो मध्यधारा में नौकाओं में सामान का उतारा जाना, तट श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और रेल और सड़क से निकासी सुविधाओं में सुधार, शामिल है। पत्तनों में माल के उतार और निकासी में शीघ्रता करने के लिए रेल राज्य व्यापार निगम तथा अन्य प्राधिकरणों जैसी संबंधित एजेंसियों के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर विचार विमर्श किया गया।

दुर्गापुर कलकत्ता राजपथ

575. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चिर-प्रतीक्षित एक महत्वपूर्ण दुर्गापुर-कलकत्ता राजपथ के निर्माण कार्य में गत पांच वर्षों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है हालांकि इसके लिए भूमि का अधिग्रहण तथा अन्य औपचारिकताए बहुत पहले ही पूरी करली गयीं थी,

(ख) इसके निर्माण कार्य में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) सम्भवतया माननीय सदस्य दुर्गापुर-कलकत्ता एक्सप्रेस के कलकत्ता-पालसित खण्ड का उल्लेख कर रहे हैं जिसका जुलाई 1975 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के भाग के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया है। चूंकि परियोजना पर भारी निवेश की आवश्यकता की संभावना है अतः वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस भाग में कार्य शुरू करना सभंव नहीं हुआ है। इसका शुरू किया जाना और पूरा किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

शाह आयोग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई

576. **श्री कंवर लाल गुप्तः** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो में बनाये गये विशेष सैल के रूप में नियुक्त प्रमुख विशेष अधिकारी के क्या दायित्व हैं;

(ख) शाह आयोग के प्रतिवेदन पर जो सरकार को कुछ मास पूर्व प्राप्त हो गया था अब तक कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(ग) शाह आयोग की श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में प्रत्येक सिफारिश के बारे में विधि मंत्रालय का क्या मत है;

(घ) सरकार का लोगों में फैले इस विश्वास को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि सरकार उस पर कार्रवाई करने के प्रति उत्सुक नहीं है; और

(ङ) उन सरकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार का विभागीय और आपराधिक कार्रवाई करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विशेष एकक न्यायमूर्ति श्री जे०सी० शाह की अध्यक्षता में जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से उत्पन्न मामलों जिनमें जांच/छानबीन अपेक्षित है, की जांच/छानबीन करने, उनसे निपटने तथा सभी आवश्यक कार्रवाई करने और उनसे सम्बन्धित अथवा ऐसी जांच/छानबीन के दौरान ध्यान में लाये जाने वाले सभी

मामलों और ऐसे सभी मामलों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर इस एकक को भेजे जाएं, की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। यह एकक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में काम करेगा।

(ख), (ग) तथा (घ) यह कहना गलत है कि सरकार शाह आयोग की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने में अनिच्छुक रही है। छः प्रथम सूचना रिपोर्टें 10-7-78 को दर्ज की गई हैं। प्रत्येक मामले की अलग-अलग परीक्षा करने के बाद नियमों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार प्रशासनिक तथा अन्य कार्रवाई की जा रही है। जिन मामलों में विधि मंत्रालय की सलाह ली गई थी, उसे लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ङ) शाह आयोग की रिपोर्टों के आधार पर दर्ज किये गये मामलों की जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही इसे तय किया जा सकता है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में समयोपरि भत्ते के रूप में व्यय

577. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में समयोपरि भत्ते पर व्यय को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये गये हैं;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी धनराशि की अदायगी की गई;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में अधिकारियों द्वारा अधीक्षण की कमी के कारण किसी वर्ष में भी उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका; और

(घ) इस बात को रोकने के लिए सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है कि उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किए जायें और प्रत्येक मामले में उत्पादन लागत को कम किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनात्मक योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप समयोपरि अदायगियां घट गई है।

(ख) लगभग 174 लाख रुपए।

(ग) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कार्य की जांच करने पर मालूम हुआ है कि 1975-76 और 1977-78 में मिग-21 विमान और 1976-77 में अजीत विमान को छोड़ कर उत्पादन के अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

1975-76 में उत्पादन में जो गिरावट आई उसका कारण नासिक प्रभाग में संगठनात्मक कमियां और 1977-78 में प्रभाग में श्रमिक अशांति का होना है। अजीत के उत्पादन में गिरावट का कारण विकास संबंधी समस्याएं हैं।

(घ) नासिक प्रभाग में जो संगठनात्मक कमियां थीं उनकी पूर्ति सरकार द्वारा स्थापित समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन आयोजन, सामान की प्राप्ति, प्रबंध सूचना प्रणाली और दूसरे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सुधार कर, कर दी गई हैं। अजीत विमान से संबंधित विकासात्मक समस्याओं पर काबू पाया जा रहा है और 1977-78 के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं।

प्रशासनात्मक और विधायी दोनों प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि उत्पादन ठीक हो और श्रमिकों तथा प्रबन्ध के मध्य औद्योगिक संबंध ठीक बने रहें।

प्रिवी पर्स का समाप्त करना

578. **श्री कंवर लाल गुप्तः** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रिवी पर्स समाप्त करने के कारण सरकार को कितनी धनराशि की बचत हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राजाओं और नवाबों को किसी न किसी रूप में अभी भी कुछ धनराशि अदा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त राजाओं और नवाबों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि अदा की जाती है; और

(घ) उक्त राजाओं और नवाबों को अब भी धनराशि अदा करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 जिस प्रिवी पर्स समाप्त किये गये थे, के लागू होने के समय भारत के भूतपूर्व राज्यों के नरेशों को 4.67 करोड़ रुपये की कुल धनराशि वार्षिक अदा की गई थी। फिर भी, भारत सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में एक मुश्त नकद राशि देने का निर्णय किया था ताकि वे बदली हुई परिस्थितियों में अपने आपको व्यवस्थित कर सकें और कठिनाइयों को कम कर सकें। वर्ष 1974 से 1978 (14 जुलाई, 1978 तक) के दौरान अब तक 276 में से 271 भूतपूर्व नरेशों को 10.26 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। शेष पांच मामलों में लगभग 21 लाख रुपये की अदायगी अभी की जानी है। इन भूतपूर्व नरेशों को अन्य कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Probe into Working of Transport Unit Doordarshan.

579. **Shri T.S. Negi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to reply given to USQ No. 4049 on 22-3-78 and state:

(a) what action has been taken so far about the transport unit of Doordarshan for which a question was asked previously on 22-6-1977;

(b) whether it is a fact that this matter has been delayed deliberately in order to save the guilty officers and to implicate some innocent officers ; and

(c) the time likely to be taken to complete the final action, and if it has been completed, the findings thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Action in regard to departmental proceedings in this case is in progress;

(b) No. Sir.

(c) Efforts are being made to complete the proceedings expeditiously but no specific time limit can be given, as the detailed procedure laid down in the Rules has to be followed.

पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

580. **श्री भगत राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1977 से जून, 1978 तक भिन्न-भिन्न राज्यों में पुलिस ने कितनी बार गोली चलाई और कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने घायल हुए; और

(ख) गोली बारी की प्रत्येक घटना के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनाज उतारने के कार्य संबंधी योजना

581. **श्री भगत राम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सचिव ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा जनवरी, 1976 में प्रस्तावित अनाज उतारने के कार्य संबंधी योजना को इस तथ्य के बावजूद स्वीकृति प्रदान की थी कि उक्त योजना बोर्ड निदेशकों द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम):(क) अनाज उतारने के कार्यों के लिये केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० कलकत्ता के प्रस्ताव का निगम के निदेशकों के बोर्ड द्वारा जनवरी, 1976 में सरकुलेशन से अनुमोदन किया गया। निगम ने कुछ परिवर्तन के साथ उक्त योजना के मोटे ब्यौरे की स्वीकृति के लिये इस मंत्रालय को टेलेक्स संदेश भी भेजा और उसकी स्वीकृति भेजी गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सी० आई० ए० की गतिविधियां

582. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मई, 1978 के "फ्री प्रेस जर्नल" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि महेश योगी सी०आई०ए० की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) क्या यह सच है जैसा कि आरोप लगाया गया है महेश योगी नन्दा देवी पर परमाणु उपकरण लगाने में अन्तर्ग्रस्त था;

(ग) क्या विदेशी गुप्तचर एजेंट जैसाकि आरोप लगाया गया है योगी के शिष्यों के वेश में हिमालयी क्षेत्र में जासूसी कार्य करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो भाग (क), (ख) और (ग) को देखते हुए क्या सरकार का विचार देश की सुरक्षा के हित में योगी तथा उसके शिष्यों की गतिविधियों पर निगाह रखने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग)) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए सतत सतर्कता बरती जा रही है।

ब्लाक स्तर पर योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में रिपोर्ट

583. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **योजना** मंत्री ग्रामों के लिए समेकित विकास परियोजना के बारे में 15 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा ब्लाक स्तर पर योजना के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने हेतु बनाये गए कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2411/78]

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर में छंटनी

584. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 23 मई, 1969 को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर, कापर सेलर ब्रांच को अपने अधिकार में लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी के साथ क्या शर्तें की गई थी जिनसे कर्मचारी प्रभावित होते थे;

(ग) क्या कंपनी के कर्मचारियों के साथ सम्पन्न समझौते में इस आशय के उपबंध थे कि ऐसे कर्मचारियों, जिनके नाम 23 मई, 1969 को वेतन चिट्ठे में दर्ज थे, सेवा में बने रहने दिया जाएगा;

(घ) 23 मई, 1969 को इस कंपनी को अपने अधिकार में लेने से पूर्व यहां कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे, वेतन चिट्ठे अथवा उपस्थिति रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि का ब्यौरा क्या है तथा कितने व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया गया है और कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है,

(ड़) क्या तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने 744 व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया था,

(च) क्या बाद में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त किया गया था, जिनकी संख्या इस समय 3500 है जिनमें छंटनी किए गए पुराने स्थायी कर्मचारी नहीं हैं;

(छ) कर्मचारियों की छंटनी कर तथा बाद में की जाने वाली नियुक्तियों में छंटनी किए गए स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं तथा क्या मंत्रालय इन परिस्थितियों की जांच करने और दोषी अधिकारियों को दंड देने पर विचार कर रहा है; और

(ज) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित दी टैनरी एण्ड फुटीनयर करपोरेशन आफ इण्टिया लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी ने 23 मई, 1969 को ब्रिटिश इण्डिया कारपोशन लिमिटेड, कानपुर की दी कूपर एलेन और नार्थ वेस्ट टैनरी शाखाओं को अपने हाथ में लिया था।

(ख) दोनों शाखाओं के कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली शर्तों के बारे में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा 22 मई, 1969 को किये गये अनुबंध के उद्धरण संलग्न (अनुबंध) हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इन दोनों शाखाओं की वेतन नामावली पर 22-5-1969 को कुल 2590 कर्मचारी थे। इनमें से टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 1935 कर्मचारियों को अपने यहां ले लिया। इन व्यक्तियों की वेतन नामवली की सत्यापित प्रतिलिपि तथा छंटनी या नौकरी से हटाये गये व्यक्तियों की सूची ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन से प्राप्त की जा रही है और वे सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) उन 655 व्यक्तियों की, जिन्हें टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया में नहीं लिया गया था, ब्रिटिश इंडिण्या कारपोरेशन द्वारा या तो छंटनी कर दी गई थी या वे सेवानिवृत हो गये थे और या उन्होंने ब्रिटिश इंण्डिया कारपोरेशन से त्यागपत्र दे दिया था।

(च), (छ) और (ज) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने विज्ञापनों या आवश्यक अधिसूचना रिक्त स्थान अधिनियम के अधीन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से 23-5-1969 के बाद समय-समय पर लोगों की अतिरिक्त भर्तियां की हैं। नई भर्तियों के समय छंटनी किये गये व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया था। वस्तुतः टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ-इण्डिया ने कुछ उन व्यक्तियों को, जिन्हें पहले संविलीन नहीं किया जा सका था, भर्तियां भी की थीं। निगम में जून 1978 में 3021 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। इस स्थिति में इस मामले में कोई जांच कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

यह करार एक हजार नो सो उनहत्तरवें वर्ष के 22वें दिन ब्रिटिश इंण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913 के अधीन निगमित की गई एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एथस्लैड हाउस रामपुर (जिसे एतद् पश्चात् 'वेन्डरो' (विक्रेता) कहा जायेगा) एक और तथा दूसरी ओर टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया, डि० जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित की गई एक कंपनी है, जिसका पंजीयित कार्यालय 13/399 सिविल लाइन्स, कानपुर (जिसे एतद्पश्चात् 'बेन्डी' ('क्रेता' कहा जायेगा के बीच किया गया।

* * *

(3). (क) क्रेता सहमत है कि विक्रेता के अधीन इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों को जैसा कि क्रेता सर्वथा ही अपने स्वविवेक से आवश्यक समझे इस प्रकार के कर्मचारियों को "एतद्पश्चात् उक्त कर्मचारी" के नाम से बताये गये) सेवा में ले लेगा। इस प्रकार सेवा में लिए गए कर्मचारी निरंतर सेवा का उपभोग करते रहेंगे और जिसे अन्तरण से बाधित हुआ नहीं माना जाएगा। बाद में छंटनी होने की स्थिति में उक्त कर्मचारी क्रेता से निरंतर तथा अबाधित सेवा के आधार पर कानून प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। इस प्रकार सेवा में लिए गए कर्मचारी क्रेता से अपना अर्जित अनुदान (ग्रेज्युटी) भी पाने के हकदार होंगे तथा उन्हें बनने वाली छुटटी जिसके वे हकदार , का लाभ भी मिलेगा। उक्त कर्मचारियों के बारें से अथवा विक्रेता के अधीन नियोजन से उत्पन्न सभी अन्य शेष धनराशि, जो तारीख तक देय होंगी विक्रेता द्वारा भुगतान कर दी जाएगी और उसके संबंध में क्रेता की किसी भी प्रकार की देयता शेष नहीं रह जायेगी।

(ख) क्रेता विक्रेता को 23 मई, 1969 के पूर्व यह बतायेगा कि विक्रेता के किन कर्मचारियों की सेवाएं क्रेता ग्रहण करेगा। इस प्रकार सेवा में लिए गए कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूर क्रेता द्वारा इस तारीख से भुगतान की जाएगी जिस दिन क्रेता द्वारा कर्मचारियों के नाम विक्रेता को बताये जायेंगे।

(ग) विक्रेता के उन सभी कर्मचारियों की सेवायें जो क्रेता द्वारा ग्रहण न की जाएगी, विक्रेता द्वारा समाप्त कर दी जायेंगी और उनकी कानूनन बकाया रकम का विक्रेता द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा इस प्रकार की बकाया रकम तथा देयताओं के संबंध में विक्रेता की कोई भी देयता शेष नहीं रह जायेगी।

* * *

(13) सभी बकाया रकम तथा देयताएं जो भी हों तथा कर्मचारियों की बकाया राशि, भविष्य निधि, 'कर्मचारी' राज्य बीमा, बिक्री का, आयकर, बिजली, डाक प्रभार, म्यूनिसिपल कर, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रभार, वेतन, मजदूरी, ग्रेच्युटी आदि सहित बेचे जाने के लिए सहमति प्राप्त सम्पत्ति विषयक

निर्गम, जहां तक क्रेता द्वारा इस प्रकार की देयतायें जो विशेष रूप से स्वीकार की गई हों उनके अलावा, ये सभी प्रेजेन्टस विक्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे और क्रेता उनके लिये जिम्मेवार नहीं होगा और यदि क्रेता को ऐसी कोई देयता पूरी करनी पड़ी तो वह उन्हें विक्रेता से वसूल कर लेने का हकदार होगा। इसी प्रकार इन (प्रेजेन्ट्स) के अंतर्गत देय तथा 23 मई, 1969 के पश्चात् बनने वाली उपर्युक्त सभी देयताओं का वहन क्रेता द्वारा किया जायेगा और यदि विक्रेता से ऐसा कोई भुगतान अथवा व्यय वसूल किया जाता है तो विक्रेता/क्रेता द्वारा प्रतिपूर्ति करा लेने का हकदार होगा।

* * *

Death of the Son of Investigating Officer in 'Kissa Kursi Ka' Case

585. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a son of the Superintendent of C.B.I. investigating 'Kissa Kursi Ka' case was run over by a jeep driven by unidentified persons and died;

(b) whether it is a fact that some political persons have a hand in this incident; and

(c) the outcome of the inquiry conducted by Government into this matter and the action against the officers concerned?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) :(a), (b) and (c) On 12-5-1978, the son of a C.B.I. officer was knocked down by a jeep on the M-Avenue. He was admitted to the Safdarjang Hospital where he succumed to the injuries on 15-5-1978. A case FIR No. 406 u/s 279/304A IPC was registered at P.S. .R.K. Puram. The j eep involved in the accident was traced on 15-5-1978 and the driver surrendered on 16-5-1978. Two other persons who were travelling in the jeep were also arrested on 16-5-1978 u/s 201/202/297/304-A. Investigation conducted so far does not disclose any foul play.

एलगिन मित, कानपुर द्वारा मुआवजे का दावा

586. **श्री दयाराम शाक्य:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की एलगिन मिल के मालिकों ने 650 रुई की गांठों के लिए बीमा कंपनी से मुआवजे के लिए दावा किया है, जिनमें 11–12 मई, 1978 को आग लग जाने से नष्ट हो जाने की बात कही गई है;

(ख) क्या 650 गांठों के लिए दावा किया गया है, जबकि उनकी संख्या कम थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की जायेगी और इससे अनुमानत: कितनी हानि हुई है।

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) 11–12 मई, 1978 की रात में एलगिन मिल्स में लगी आग के परिणामस्वरूप रुई के भण्डार में रुई की 685 गांठें जलने की क्षति का अनुमान लगाया गया था। रूई का मूल्य 11,09,000 रु० लगाया गया है। ओरिएन्टल जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी नामक बीमा कम्पनी के सर्वेक्षक ने नष्ट होने से बचाए गए रूई के शेष 52.5 प्रतिशत मूल्य की रूई की हानि होने का अनुमान लगाया है। इसी आधार पर मिल के प्रबन्धकों ने बीमा कम्पनी के पास 5,?6,890 रुपए का दावा पेश किया है। यह सही नहीं है कि आग से जलने वाली 685 गांठों के पूरे मूल्य के लिए दावा पेश किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Regular Appointments in A.I.R.

587. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 4050 on the 22nd March, 1978 and state

(a) the action taken on the assurance given in reply to the above mentioned question regarding ad-hoc appointments;

(b) the reasons for not regularising the persons who are working on ad-hoc basis or for not making regular appointments in their places;

(c) the reasons for not taking any action despite assurance and asking repeated questions although more than one year has passed; and

(d) the time by which action will will be taken thereon?

The Minister of Informtion and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) A statement is laid on the Table of the House. The information regarding Central Informations Service posts and in respect of Group 'C' and 'D' posts is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b), (c) and (d) As would be seen from the information given in col. 5 of the attached statement, some of the appointments are being treated as ad-hoc pending disposal of court cases. In the case of some of the posts steps have already been taken to convene the Departmental Promotion Committees for regular appointments. In the remaining cases DPC has already been held and regular appointments are expected to be made shortly or the cases are pending for the amendment of Recruitment Rules. While all possible steps are being taken to make these appointments on a regular basis as quickly as possible, it is not possible to fix a time limit. [Placed in Library. See No. L. T. 2412/78]

Implementation of Verghese Committee Report

588. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether action will be taken on the report of the Verghese Committee in near future;

(b) whether the Verghese Committee has recommended only one Cadrein the All India Radio, so that frictions may be removed which exists between Producers working on contract basis and Programme Executives and A.S.Ds. ;

(c) if so, the reasons for departmental promotions of the regular officers, i.e. Station Directors;

(d) the reasons for not giving departmental promotions to the producers who are experts by creating new posts; and

(e) whether Government propose to give immediate promotions to the Producers by withholding departmental promotions of the regular officers?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) to (e) The Verghese Committee Report which is under the consideration of Government has recommended five separate cadres and suggested, *inter alia*, that staff artistes be made regular employees of the proposed NBT. Until the existing policy is changed in the light of the

decisions that may be taken on the report of the Verghese Committee, vacancies have to be filled in accordance with the existing Recruitment Rules. It would not be possible to create new posts merely to give departmental promotions to producers. It wouldalso not be in the interest of work to keep regular senior administrative posts unfilled. In any case, merely withholding the promotion of regular officers will not enable the producers to get their promotions.

Hindi Teaching Scheme

589. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will be Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the post of Joint Director in the Hindi Teaching Scheme has been filled by promoting a Deputy Director under the scheme; and

(b) whether the officer has received any formal training in orgainsation and method like other Deputy Directors?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes Sir.

Training Centres of Hindi Teaching Scheme

590. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of trainees admitted in various training centres of Hindi Teaching Scheme working in Delhi during the session which commenced in January, 1978;

(b) whether it is a fact that such industrial employees as not covered under the Hindi Teaching Scheme have also been admitted in various courses during this sesstoin;

(c) whether such employees have been admitted to increase the number of various Hindi classes and to continue the Hindi Instructors in services already appointed on ad-hoc basis; and

(d) if so, the reasons for not taking appropriate action to stop such waste ful expenditure of public money?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) 2197.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

लघु क्षेत्र को कानूनी संरक्षण के लिए भट्ट समिति की सिफारिशें

591. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची का और विस्तार किया है और नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार लघु क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादन के क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण देने संबंधी भट्ट समिति की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और

(ग) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र में लघु उद्योग आरक्षण अधिनियम लाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां। पुन: वर्गीकृत सूची में मदों की संख्या 807 है जो 26 अप्रैल, 1978 को जारी की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

छठी योजना में जनजातिय विकास

592. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठी योजना के दौरान जनजातीय विकास के लिए सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या पांचवीं योजना की उसी नीति को अपनाया गया है अथवा किसी अन्य नीति का पालन किया जा रहा है; और यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) क्या जनजातीय विकास के लिए अधिक मात्रा में धन खर्च करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) मध्यकालिक योजना 1978–83 में पांचवी योजना के दौरान प्रारम्भ किये गये रक्षात्मक उपायों के लाभों को ठोस रूप से संचित करने का प्रस्ताव है। पांचवी योजना के दौरान सामाजिक सेवाओं विशेषत: जनजातीय क्षेत्रो में शिक्षा ने नियत अग्रता प्राप्त नहीं की। इस लिए इस असंतुलन को ठीक करने और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं को उच्चतर अग्रता देने का निर्णय किया है। पूर्ण रोजगार भी नई योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य के समान ही स्वीकृत किया गया है ।

उपयोजना-क्षेत्र को 1978–83 के दौरान उन छोटे क्षेत्रों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जिनकी जनसंख्या दस हजार से अधिक हो और जहां 50 प्रतिशत अथवा अधिक जनजातियां बसी हों। आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम के अधीन पर्याप्त अतिरिक्त जनजातीय जनसंख्या आ जाएगी।

1978–83 की जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 350 करोड रूपये रखी गई है जबकि पांचवी योजना के दौरान 190 करोड रूपए थी। राज्य सरकारों से भी 1978–83 के अपने राज्य योजना प्रस्तावों में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए आबंटन में उच्चतर महत्व देने का अनुरोध किया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय की 1978–83 की योजना जो उनके क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित हो, में जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए। ये परिव्यय केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट में अलग से दिखाये जाएंगें और निर्धारित किये जायेंगे। इसलिए यह आशा की जाती है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए वित्तीय परिव्यय में अब पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 का चौड़ा किया जाना

593. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर से सीमिया (धाट क्षेत्र) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 43 राष्ट्रीय राजमार्ग के विशिष्ट विवरणों के अनुसार पर्याप्त रूप से चौड़ा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे चौड़ा न करने के क्या कारण हैं ताकि मोटर यातायात सुगमतापूर्वक चल सके;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चौडा कर दिया जायेगा ?

सीवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जयपुर (तेजपुर नहीं) से सुंकी (सीसिया नहीं) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का भाग इकहरी लेन यानपथ (10 से 12 फुट) का है। अभी तक इसे मौजूदा यातायात आवश्यकता के लिये पर्याप्त समझा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने घाट क्षेत्र सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुछ भागों में दो लेन के यानपथ चौड़ा करने के लिये 1974 में कुछ प्रस्ताव भेजे थे। उस समय की वित्तीय कठिनाई के कारण इन पर तब स्वीकृति के लिये विचार नहीं किया जा सका परन्तु इस खंड में यानपथ को चौड़ा करने के कार्य को चालू 5 वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जा रहा है।

नव-बौद्धों की समस्यायें

594. **डा० बापू कालदाते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-बौद्धों के समक्ष आ रही कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में कुछ संसद सदस्यों का हस्ताक्षर-युक्त कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) नव-बौद्धों के समक्ष आ रही कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में संसद सदस्यों समेत कई लोगों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। भारत सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों और समुद्रपार छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने, लड़कियों के छात्रावास आदि जैसी कुछ सुविधाएं नव-बौद्धों को दी हैं।

मालीवाड़ा परियोजना, औरंगाबाद में विदेशी नागरिकों की गतिविधियां

595. **डा० बापू कालदाते:**
श्रीमती मृणाल गोरे:
श्रीमती पार्वती कृष्णन:
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालीवाड़ा परियोजना, औरंगाबाद में कुछ विदेशी नागरिकों की गतिविधियों के बारे में 5 जून, 1978 के मराठवाड़ा, औरंगाबाद में प्रकाशित एक लेख की और सरकार ने ध्यान दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इन विदेशी व्यक्तियों को देश छोड़ देने के लिए उन्हें नोटिस दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) यह लेख सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) कुछ विदेशी जो पर्यटक प्रवेश-पत्रों पर आये थे मालीवाडा परियोजना, औरंगाबाद में काम पर लग गये थे और इस प्रयोजन कि लिए भारत में रहने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। चूंकि यह प्रवेशपत्र की शर्तों के विरुद्ध था, इसलिये उनको देश छोड़ने के नोटिस दे दिये गये हैं।

औद्योगिक केन्द्रों के लिए राज्यों का योगदान

596. **श्री डा० बापू कालदाते** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में जिला उद्योग-केन्द्र चालू करने का विचार है,

(ख) क्या इन केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिया जायगा,

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा भी कोई अंशदान किया जा रहा है ;

(घ) क्या इन केन्द्रों का प्रबन्ध किया जायेगा ; और

(ङ) इन केन्द्रों को राज्य के कम से कम हस्तक्षेप से चलाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय के भवन निर्माण, फर्नीचर फिक्सचर्स कार्यालय उपस्कर, वाहन आदि पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति उद्योग केन्द्र को 5 लाख रु० तक का अनावर्ती अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक आवर्ती स्थापना व्यय जो वास्तविक व्यय के 75 प्रतिशत तक अधिकतम 3.75 लाख रु० तक हो सकता है प्रति जिला उद्योग केन्द्र के हिसाब से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाएगा।

(ग) जी हां। राज्य सरकारें 25 प्रतिशत की दर से प्रति जिला उद्योग केन्द्र के हिसाब से आवर्ती स्थापना व्यय करेंगी। वे जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय के भवन के लिए भूमि की व्यवस्था भी करेंगी।

(घ) जी हां।

(ङ) यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। विकास आयुक्त लघु उद्योग भारत सरकार, इस योजना की प्रगति को मॉनिटर करेगा।

Opening of District Industrial Centres

597. **Shri Aghan Singh Thakur** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of centres opned so far at district level for the development of industries in the country;

(b) the number of such centres, state-wise and district-wise; and

(c) the progress achieved towards industrialisation in these centres and the number and names of the industries set up so far with the help of these centres indicating the location thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abaha Maiti) : (a) Government has apporoved the opening of 212 District Industrial Centres for the development of industries in the country so far.

(b) A Statement state-wise and district-wise is attached.

(c) Since these Centres were started as recently as in May, 1978, it is too early to indicate the progress of industrialisation in the districts as a result of this Programme.

[Placed in library see No. L.T. 2413/78]

पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पश्चिम बंगाल को मार्गदर्शी सिद्धांत

598. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार का विचार उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की उपेक्षा करने का है जो योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के बारे में राज्य को भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों का निपटान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रक्षा सेवाओं के तीनों अंगों का आधुनिकीकरण

599. **श्री अधन सिंह ठाकुर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है और किन किन मदों के खरीदे जाने और बदले जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं की संगठनात्मक संरचना, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं हथियारों और उपस्करों आदि के आधुनिकीकरण का काम एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । रक्षा संबंधी आवश्यकताओं, हमारे सामान्य सुरक्षा पर्यावरण की गतिविधियों वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हुई प्रगति और आवश्यक प्रतिस्थापन और आपूरण के अंग के रूप में सशस्त्र सेनाओं का समय समय पर आधुनिकीकरण किया जाता है । इस संबंध में हमने कुछ प्रगति की है और आगे काम किया जा रहा है । संसद में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और बजट प्रस्तावों में इसका कुछ विवरण दिया गया है । कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आप सहमत होंगे, आगे और ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा ।

Financial Assistance to Maharashtra for Power Project

600. **Shri Hari Shanker Mahale :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the names of the power projects for which Maharashtra Government have asked for Central financial assistance during the last three years and the amount asked for such projects;

(b) Government's reaction thereto; and

(c) the progress achieved in regard to these projects?

The Minister of Enegry (Shri P. Ramachandran) : (a) The Maharashtra State Electricity Board have approached the Central Government for a central assistance outside the State Plan for financing the installation of Gas Turbine units in the State. The cost of the project, both in terms of foreign exchange as well as rupees would be firmly known only after tenders forimport of sets and other terms are finalised. The extent of assistance required has not been precisely quantified, but request for meeting the rupee expenditure as well as for a loan to cover foreign exchange costs has been made.

(b) Government's views on the request of the Maharashtra Government/Electricity Board have not yet been finalised. However, normally all power projects are financed from the State's Plan to which block central assistnce is contributed by the Government of India.

(c) Orders for gas turbines have not yet been placed by the Maharashtra State Electricity Board, who have recently revised their last proposal of installing two units of 60MW each to 4 units, depending on the availability of fuel.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re. ADJOURNMENT MOTION

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री किशन चंद की हत्या कर दी गई है । पुलिस तथ्यों का पता लगा रही है । आपको मुझे नियम 60 के अन्तर्गत अनुमति देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लेना मेरा काम है । आप मुझे विवश नहीं कर सकते (व्यवधान)

श्री सौगत राय : भूतपूर्व उपराज्यपाल श्री किशन चन्द की मृत्यु रहस्यात्मक बनी हुई है । आपको सदन में यह मामला उठाने की अनुमति देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस मामले की जांच चल रही है, इसलिए मुझे मामला सदन में उठाने के लिए मना करना पड़ा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके सहायक ने मुझे सूचना दी कि चूंकि जांच चल रही है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव उठाने की अनुमति रोक ली गई है । इसका अर्थ यह हुआ कि आपको पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बातों को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी के आदेश पर नहीं चल सकता । मेरा कहना यह है कि जांच चल रही है और इसलिए सदन में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री ज्योतिमय बसु : आप निस्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहे ।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई बात सदस्य के पक्ष में नहीं होती तो वह यह कहने लग जाता है कि अध्यक्ष निस्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहा ।

**कार्यवाही वृतांन्त में शामिल नहीं किया गया ।
Not recorded.

श्री सौगत राय : क्या आप नहीं समझते कि कथित आत्महत्या का मामला महत्वपूर्ण है ?

अध्यक्ष महोदयः महत्वपूर्ण मामलों में भी हमें नियमों का पालन करना पड़ता है । जब मामले की जांच चल रही हो तब सदन में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसुः आपके पास पूरे तथ्य नहीं हैं । नियम 60 के परन्तुक 2 में यह व्यवस्था है कि यदि अध्यक्ष के पास पूरे तथ्य न हो तो वह.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास पूरे तथ्य है अथवा नहीं इसका निर्णय करना आपका काम नहीं है । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा ।**

श्री मोरारजी देसाई : अध्यक्ष के विनिर्णय के बाद सदस्य को अपनी बात कहने का कोई और साधन ढूंढना चाहिए ।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

Re. POINT OF ORDER

श्री बसन्त साठे (अकोला) : कुछ दिन पूर्व सदन में भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार के बारे में एक विशिष्ट मांग की गई थी ।..... (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने नियम 377, 184, 170 और 1930 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने की सूचना भेजी है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री वसन्त साठे: यह एक महत्वपूर्ण मामला है । हम चाहते हैं कि इसे सभा-पटल पर रखा जाए । हम तब तक चुप होकर नहीं बैठ सकते जब तक प्रधान मंत्री या सरकार पत्र व्यवहार को सभा-पटल पर रखने में सहयोग नहीं देती ।

Shri Ugra Sen (Deoria) : These Members are spoiling the time of the House. (Interruption).

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कोई धमकी देकर मेरे काम में बाधा नहीं पहुंचा सकता । मैं नियमानुसार काम करूंगा । धमकी देने से कोई लागू नहीं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी । विवाद कुछ दिन पूर्व की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है । उस दिन आपकी अनुमति लेकर मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री हमें यह बताएं कि उन्होंने किन कारणों से मंत्रियों को निकाला और वह हमें सच-सच बात बता दें । उस दिन आपने एक विनिर्णय दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि उस दिन मैंने वचन दिया था । (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि मैंने कोई वचन नहीं दिया । आप प्रमाणित करें कि मैंने वचन दिया था ।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

Not recorded.

श्री ज्योतिर्मय बसु: आप किन नियमों के अन्तर्गत उनको बोलने की अनुमति दे रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री स्टीफन ने कहा है कि मैंने बचन दिया था और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि मैंने कौनसा वचन दिया था। यदि मुझे यह याद न रहे कि मैंने वचन दिया था तो मैं सदस्य को यह अवसर दे सकता हूं कि वह यह बताए कि मैंने कैसा वचन दिया था।

श्री सी० एम० स्टीफन: मैंने 'वचन' शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया (व्यवधान)। मैं सभा की कार्यवाही में से एक विशिष्ट बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे: क्या प्रधानमंत्री व्यवहार को सभा-पटल को रखेंगे। यह मामला केवल श्री चरण सिंह या मोरारजी भाई से सम्बन्धित नहीं है बल्कि सारे देश से सम्बन्धित है। इस मामले में आप सरकार का पक्ष नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय: हर कोई यही सोचता है कि मैं दूसरे का पक्ष ले रहा हूं।

श्री बसन्त साठे: हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप बताइए कि इस प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने कुछ कहना है तो आप मेरे चैम्बर में आ जाए और इस विषय पर चर्चा कर लीजिए।

श्री बसन्त साठे: मैं इसके लिए तैयार हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का प्रश्न सभा के कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन: नियम यह है कि एक मद समाप्त होने के बाद तथा दूसरी मद शुरू होने से पूर्व व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री समर गुह: इस समय सभा का कार्य नहीं चल रहा। इसलिए माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकते। माननीय सदस्य सरकार के विरुद्ध आरोप क्यों लगा रहे हैं। यदि आप उनको अनुमति देते हैं..... (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे: मैं आरोप नहीं लगा रहा। मैं गृह मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री समर गुह: माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न किस प्रकार उठा सकते हैं ?

श्री बसन्त साठे:**

श्री सी० एम० स्टीफन: मेरा व्यवस्था का प्रश्न पिछले दिन के सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है। आपकी आज्ञा से मैंने 17 तारीख को तीन मांगे की थी। पहली यह कि मंत्री वक्तव्य दें। दूसरी यह कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें और तीसरी यह कि पत्र व्यवहार सभा पटल पर रखा जाए। इस पर आपने विनिर्णय दिया था कि मैं मंत्रियों को वक्तव्य देने के लिए विवश नहीं कर सकता। मंत्रियों की इच्छा है कि वे वक्तव्य दें अथवा न दें।

**अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया
Expunged as ordered by the speaker.

मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 199 को लागू करने के बारे में है ।

श्री समर गुह : आप किस आधार पर उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे रहे हैं । पहले कभी भी इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई । यदि अनुमति दी जाती है तो प्रत्येक सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न सुनने के बाद ही उसे अस्वीकार किया जा सकता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे आपकी बात सुनकर दुःख हुआ । आपको कहना चाहिए था कि व्यवस्था का प्रश्न सुनने के बाद ही उस पर निर्णय दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया वह संदर्भ देंगे जिस संदर्भ में मैंने बात कही थी ।

श्री समर गुह : कल आपने माननीय सदस्य को नियम 199 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी थी । लेकिन आज आप उस नियम के अन्तर्गत अनुमति कैसे दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बोलने के लिए नहीं कहा ।

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य आपके विनिर्णय देने पर ही बोल रहे हैं और नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then Adjourned till Fourteen Hours of the Clock

लोक सभा मध्यान भोजन के पश्चात् 2 बज कर 2 मिनट पर पुनः समवेत हुई :

The house Re-assembled after lunch at two minutes past Fourteen of the Clock

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में—जारी

POINT OF ORDER—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : मैं अपील करता हूं कि सदस्य सभा की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दे ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने सभा में तीन मांगे रखी थी । इस पर आपने विनिर्णय दिया था कि आप भूतपूर्व मंत्रियों को वक्तव्य देने के लिए विवश नहीं कर सकते । मेरे विचार से आपने मेरी तीनों मांगे स्वीकार कर ली है । अब दो प्रश्न उठाए गए हैं । पहला यह कि यह व्यवस्था का प्रश्न किस प्रकार है और दूसरा यह व्यवस्था का प्रश्न किस प्रकार संगत है । यह व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है कि इस प्रश्न का उठाने का यही एक समय है । मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री को प्रश्न काल और अगली मद के बीच में वक्तव्य देना चाहिए । परम्परा भी ऐसी ही रही है । जब प्रश्न काल के तुरन्त बाद मंत्रियों को परिचित कराया जा सकता है तो मंत्रियों को निकालने के बारे में घोषणा भी की जा सकती है । इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न उचित है ।

प्रधानमंत्री सदन के समक्ष जवावदेह हैं । जब कोई सदस्य यह प्रश्न उठाता है कि प्रधानमंत्री हमें यह बताएं कि उनकी मंत्रि-परिषद् में कौन कौन से हैं तो प्रधानमंत्री को हमें बताना चाहिए । यदि कोई मंत्री त्याग पत्र देता है तो सभा को पता लगना चाहिए कि त्याग पत्र कैसे दिया गया । यह तभी पता चल सकेगा जब पत्र व्यवहार को सभा-पटल पर रखा जाए । इसलिए मेरा प्रश्न संगत है ।

आपका काम विनिर्णय देना है, विनिर्णय की व्यवस्था करना सदन का काम है न कि आपका । विनिर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री को पत्र-व्यवहार सभा-पटल पर रखना पड़ेगा अन्यथा यह समझा जाएगा कि संविधान समाप्त हो गया है और मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व नहीं रहा । यदि पत्र व्यवहार को आज सभा-पटल पर नहीं रखा गया तो मैं यह समझूंगा कि पत्रों को बदल दिया जाएगा । ऐसा नहीं होना चाहिए . . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने 17 तारीख को सदस्य को नियम 199 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने या मांग करने की अनुमति दी थी । नियम 199 त्याग पत्र देने वाले मंत्री द्वारा विवरण देने तक सीमित है । यदि श्री सी० एम० स्टीफन ने इसके अतिरिक्त कोई मांग की है तो वे मांगे स्वीकार नहीं की जा सकतीं दूसरे श्री सी० एम० स्टीफन द्वारा दिया गया तर्क नियम 376 के उप नियम (2) के अन्तर्गत निषिद्ध है । . . . . (**व्यवधान**)

श्री माठे ने यह तर्क दिया है कि मैं उनके उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दूं जो उन्होंने सचिव को भेजें है । मामला मेरे विचाराधीन है । अतः इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । (**व्यवधान**)

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री वयालार रवि : मेरा प्रश्न विशेषाधिकार के हनन के बारे में है । पहले ऐसा पूर्वोदाहरण रहा है कि श्री गौरी शंकर राय द्वारा दिए गए विशेषाधिकार के प्रस्ताव को सीधे ही विशेषाधिकार समिति को भेज दिया । मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा संसद सदस्य श्री के० पी० उन्नीकृष्णन के चरित्र को चुनौती देने के बारे में है ।

जैसाकि मैंने पहले भी बताया था नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत टिप्पणी की जा सकती है । परन्तु श्री चरण सिंह ने आरोप का कभी खण्डन नहीं किया . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब विशेषाधिकार का मामला किसी वर्तमान सदस्य के विरुद्ध होता है, तब उक्त सदस्य की टिप्पणी मांगी जाती है, जोकि मैंने मांग रखी है और मामले पर निर्णय उसके बाद किया जायेगा । (**व्यवधान**)

श्री सौगत राव (बैरकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 357 के अधीन किसी भी सदस्य से, यदि उसके विरुद्ध कोई शिकायत हो, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है । इस मामले में एक सदस्य ने सभा के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए प्रेस को वक्तव्य दिया है, जोकि एक गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने उनका स्पष्टीकरण मांगा है ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : क्या आप मुझे स्पष्टीकरण का अवसर देंगे ?

कल मैंने पूछा था कि क्या श्रीमती गांधी का दूत चौधरी बंसी लाल चौधरी चरण सिंह से मिला था । उन्होंने उत्तर में बताया कि मैं वह कई अन्य व्यक्तियों को भी मिल रहा है । चौधरी चरण सिंह ने न तो इनकार किया है और न कोई टिप्पणी की है ।

श्री ज्योतिमय बसु (डीदमंड हार्बर) : मैंने श्री किशन चन्द की मृत्यु के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । आपने कहा था कि मामले की जांच हो रही है ।

परन्तु इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है इस लिए यह सभा इस पर चर्चा कर सकती है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है अतएव आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

अध्यक्ष महोदय: मामले की जांच हो रही है इस लिये मेरा निदेश कायम है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I have a pint of order in regard to the point of order by Shri Sathe wherein he has made allegations against the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन अंशों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया है।

श्री बसंत साठे (अकोला) : मैंने प्रधान मंत्री पर कोई आरोप नही लगाया अपितु यही कहा है कि श्री चरण सिंह ने कुछ आरोप लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: सभी अपमानजनक टिप्पणियां मैंने कार्यवाही वृतान्त से निकाल दी हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त: आप यह सुनिश्चित करें कि सभी अपमानजनक टिप्पणियां कार्यवाही वृतान्त से निकाल दी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय: आपके द्वारा की गई टिप्पणियों सहित।

Shri Kanwar Lal Gupta : He has made defamatory remarks about the Prime Minister that.....

अध्यक्ष महोदय: मैंने कार्यवाही वृतान्त देखा है। श्री साठे ने केवल उद्धृत किया था तो भी उसे वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के व्यक्तियों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की.....

अध्यक्ष महोदय: इसे रिकार्ड न किया जाये।**

श्री सी० एम० स्टीफन: मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था कि संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न ही नहीं उठता।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें, तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1978

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो शेर सिंह): श्री जगजीवन राम की ओर से मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसैनिक औपचारिकता सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति-जो दिनांक 17 जून 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 183 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2339/78]

लघु उद्योगों के लिये विज्ञान का प्रारूप तैयार करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

लघु उद्योगों के लिये विधान का प्रारूप तैयार करने सम्बन्धी समिति अगस्त 1972 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 2340/78]

राष्ट्रीय राजमार्ग, के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच समझौता तथा भारतीय निकर्षण निगम लि० का प्रतिवेदन तथा समीक्षा

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पर्क सड़कों के विकास और रख-रखाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच हुए दिनांक 31 मार्च 1978 के समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 2391/78]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 3292/78]

दिल्ली पुलिस अध्यादेश तथा केन्द्रीय औद्योगिक बल के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 की धारा 71 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त की कतिपय शक्तियों के बारे में सां० आ० 422(ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) दिल्ली के क्षेत्रों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों की कतिपय शक्तियों के बारे में सां० आ० 423 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 2393/78]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 697 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 10 जून, 1978 के भारत के राजपत्र—अधिसूचना संख्या सां०आ० 1648 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 2394/78]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 6 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 584 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 696 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 10 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 730 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 753 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा०सां० नि० 755 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 756 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 757 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी०-2395/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा दलसाधक (जब्त सम्पत्ति) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं :

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1978, जो दिनांक 22 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 322 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 4 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 355(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2396/78]

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (जब्त सम्पत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ०197(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि-पत्र जो अधिसूचना संख्या सा० आ० 250(ङ) (अंग्रेजी संस्करण) और सा०आ० 251 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-2397/78]

श्री बो० पी० मंडल (मधेपुर) खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बी० पी० मंडल : जब सभी के लिए समान नियम है कि व्यवस्था का प्रश्न उसी मामले पर हो तो जिन पर सभा में चर्चा हो रही है, तब एक सदस्य को दो घंटे नष्ट करने का अवसर क्यों दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति जब्त करना) अधिनियम मार्च 1976 को पारित हुआ। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ सदस्य इसे शीघ्र लागू करना चाहते थे। पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे कानून को शीघ्र लागू किया जाये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): मैं इस बारे में कल स्थिति स्पष्ट करूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टिड्डी दल के हमलें से फसलों को हुई क्षति का समाचार

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : I draw the attention of the hon. Minister of Agriculture and Irrigation to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement :

"Reported damage to crops by locusts invasion".

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the chair.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): इस वर्ष जून 1978 में टिड्डी दल ने पश्चिम से भारत पर हमला किया.....

Shri Mani Ram Behari : I have given notice in Hindi. The Hon. Minister may reply Hindi or Puunjabi (Interruption)

Shri Surjit Singh Barnala : This year a few exotic locust swarms invaded India from the outside and it rapidly spread to Gujarat, Rajasthan and Haryana.

धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी में भी उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि प्रश्न श्री बागड़ी जी का है अतएव वह हिन्दी में उत्तर दे रहे हैं ?

Shri Surjit Singh Barnala : I am answering in both the languages.

As soon as we received information from F.A.O. in Februray-March, 1978 that locus may attack India, we deputed a team of officers of Ministry of Agriculture to verify as to whether to sufficent pesticides are available there to fight the Lecust menace. We also established contact with Pakistan Government.

A senior officer of the Government of India went to Tehran to attend a session of F.A.O. so that locust could be checked in the deserts of South West Asia. Some central operation were undertaken. Locust warning organisation sent message to affected states. Th entire staff of locust Warning organisation including these persons who were on leave, were put on the job. Bilateral talks were also held between plant protection advisers of India and Pakistan. I also wrote letters to Chief Ministers of Rajasthan and Gujarat to mobilize resources.

The position upto 18-7-78 is that there has been no fresh movement of locust. So far there has been no damage to the crops. Every efforts are being made to check the locusts.

Shri Mani Ram Bagri : It appears from the reply given by the Minister of Agriculture that the matter has not been fully investigated. What compensation has been given to these persons where crops have been damaged by locusts. It is due to negligence. That locusts which entered India from Rajasthan could reach Haryana and Punjab. There has been a lot of damage in the states of Haryana and Punjab. The Centre has sent only two aircrafts to fight locusts and only one officer has been deputed. The loss of farmers is the loss of the nations and it ought to be compensated by the government or the nation.

Will the Government see that eggs laid by locust are destroyed on war footing.

Shri Surjit Singh Barnala : Locusts entered India through Gujarat. It cannot be exactly stated as to from which route it entered because the area is largely desert. Some of the farmers spread a over different areas, which some could be controlled. From one s warm they converted into many swarms. Some of them invaded Haryana and Punjab We are providing all the requisites to the states concerned to check the spread of locust. In Haryana, power dusters, land dusters, hand operators and sprayers were supplied. In Jodhpur Jasilmer two aircrafts of Central Directorate of Agricultural Aviation were sent, 100 tonnes of B.H.G. was also supplied. In case we received information regarding laying of eggs by locusts, we shall immediately destroy them.

Shri Mani Ram Bagri : My question regarding payment of compensation has not been replied to.

Shri Surjit Singh Barnala : I have furnished the information which we received from the states.

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : The loss to the farmers is the loss of the nation. I want to know whether Government will help the farmers for the loss caused to them by locusts.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) टिड्डियों से विश्व के कुछ भागों में भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए इसे प्लेग का नाम दिया गया है। अफ्रीका में टिड्डियों के 50 दल होने की आशंका है और वहां से ये टिड्डियां भारत और पाकिस्तान आ रही हैं। 16 वर्षों में टिड्डियों का यह सबसे बड़ा आक्रमण है इथियोपिया में टिड्डियों के 33 दल भारी हानि पहुंचा रहे हैं। टिड्डियों सिलन वाले क्षेत्रों में अधिक होती हैं। सरकार को इनको बढ़ने से रोकने के लिए सभी संसाधन उपयोग में लाने चाहिएं। पांच या सात वर्षों के बाद टिड्डियों का आक्रमण हो जाता है। 1962 में टिड्डियों ने लगभग 4,000 हेक्टर भूमि में कपास की फसल नष्ट कर दी थी। बाड़मेर तथा जैसलमेर में टिड्डियों के झुंड देखे गए हैं। वर्षा ऋतु के बाद तो स्थिति भयकर हो जायेगी और फिर नियंत्रण पाना असम्भव हो जायेगा। अतः सरकार को इसके लिए आवश्यक उपाय करने चाहिएं।

एक टिड्डी 200 से 800 तक अंडे देती है। इनके अंडे ही समाप्त कर दिये जाने चाहिएं। इस स्थिति का सामना करने के लिए पड़ोसी देशों से सम्पर्क किया जाना चाहिए।

टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए एफ० ए० ओ० के 13वें अधिवेशन के क्या निष्कर्ष निकले। मरूस्थल टिड्डी नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों की संख्या कितनी है। यदि आवश्यक हो तो सेना, अर्द्ध सेना, वायु सेना आदि की सहायता भी ली जानी चाहिए।

कीटानाशी (डीलड्रिम) दवाइयों की कितनी मात्रा है। इस संकट का सामना करने के लिए कितने रसायन मोटरगाड़ियों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था की गई है। इसका सामना करने के लिए पाकिस्तान के साथ जो बातचीत हुई है, उसका ब्यौरा क्या है। टिड्डी पूर्व चेतावानी संगठन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि मंत्रालय के अधिकारी मरूस्थल टिड्डी स्थलों का दौरा करेंगे। क्या उन्होंने उन स्थानों का दौरा कर लिया है। उनकी रिपोर्ट क्या है? क्या सरकार इस संकट का सामना करने के लिए युवकों तथा छात्रों की सेवा लेने पर विचार कर रही है?

ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस समस्या के प्रति उदासीनता दिखा रही है। टिड्डियों के अंडे ही समाप्त कर दिए जाने चाहिएं अन्यथा बाद में उन पर नियंत्रण पाना असम्व हो जाता है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: जैसा कि मैंने पहले ही बताया है टिड्डियां मरूस्थल वाले क्षेत्रों में होती हैं और कई कारणों से उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। वहां वर्षा भी होती है जिससे वहां सीलन हो जाती है और फिर टिड्डियां अंडे दे देती हैं। इस तरह उनकी उत्पति होती रहती है।

जब हमने यह सुना कि टिड्डियां भारत की ओर आ रही हैं तो हमने तैयारियां शुरू कर दी। 15-16 वर्षों से हमारे देश में टिड्डियां का आक्रमण नहीं हुआ। मैंने आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का पता करने के लिए अपने अधिकारी भेजे। इस संकट का सामना करने के लिए रसायनों तथा कीटनाशी दवाइयों का भी प्रबन्ध किया गया।

टिड्डी पूर्व सूचना संगठन के बारे में पूछा गया है। हमारे पास पौध सुरक्षा निदेशालय है। वह 141 तकनीकी कर्मचारी, 8 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा 173 सामान्य सेवा के कर्मचारी हैं। वैसे यह संख्या पर्याप्त नहीं है। उनके पास 47 भारी गाड़ियां, 91 मशीनें, छिड़काव करने वाली 72 मशीनें, 156 पावर डस्टर, 8,128 हैंड डस्टर आदि हैं। 3 हेलिकोप्टर सरकारी क्षेत्र में, 18 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। हमारे पास कीटनाशी दवाइयां भी हैं।

हमने अपेक्षित प्रबन्ध कर लिए हैं। हमने विभिन्न संगठनों की सहायता भी ली है। रक्षा, सीमा सुरक्षा बल आदि का सहयोग भी लिया है। हम इस संकट का सामना करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

Shri Nathu Singh (Dausa) : I warned the Government through a calling attention motion during the cast session and thereafter I raised this matter under rule 377. At that time millions of locusts were heding towards India. Had we taken some steps to combat this menace at world level, this situation would not have arisen.

The locusts first of all enter Rajasthan and Gujarat and then from there they spread in other states. There are widespread deserts in Rajasthan and therefore, there is no locust control organisation. There fore, if necessary, the assistance of army can be sought to combat this menace. The locusts lay eggs in a very large number and therefore it is essential that their eggs should be destroyed so that they may not increase the number of locusts. If arrangements at large scale are not be made to destroy them, they will devastate our crops and we will have suffer heavy loss. Assistance should be sought from U.N.O. to liquidate the locusts. The state Governments should be given adequate assistance to tide over this problem. I want to know whether Government have asked U.N.O. for assistance to Control the locusts. What steps are being taken to liquidate the swarms of locusts ? Some permanent solution should be evolved to control the locusts.

Shri Surjit Singh Barnala : As soon as we received information that locusts swarms are heading towards India, we started making arrangements and preparations. Many outposts are working to checked there locusts. Necessary chemicals snd pesticides, machinery and other equipments are being made availbale to check these locusts. The Schools Colleges, Police, Army Airforce etc. have been requested to help us in this matter. Al efforts are being made at a war footing to check the spread of locusts. We are trying to kill those locusts wnich have entered our country so that we may not suffer heavy losses.

Shri Nathu Singh : The hon. Minister has not replied to my question about seeking help from U.N.O.

Shri Surjit Singh Barnala : We have not asked for any funds from U.N.O. we are aking help other than financial assistance from them so that we can kill them.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE BILLS AND RESOLUTIONS

20वें प्रतिवेदन

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : Sir, I beg to lay on the table 20th Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions.

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय परामर्श समिति

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): श्री जगजीवन राम की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं।

"कि राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और उस के अधीन बनाये गयें नियमों के अन्य

उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय केडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है "कि राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन राष्ट्रीय केडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) **थोक व्यापारियों को किसानों द्वारा** गेहूं की मजबूरन बिक्री समाचार है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस मौसम की गेहूं की भारी फसल किसानों के लिए अलाभप्रद रही है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम या सहकारी खरीद एजेंसियों को माल बेचने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं जिससे उन्हें मजबूर होकर थोक व्यापारियों को गेहूं बेचना पड़ता है। अनेक बहाने लगाकर उनकी फसल को घटिया ग्रेड की बता दिया जाता है। थोक व्यापारी उनके माल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर खरीदते हैं। उ० प्र० के कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना है कि उन्हें विपणन की समस्याएं आ रही हैं। इसलिए सरकार को भारतीय खाद्य निगम के खरीद केन्द्र बढ़ा देने चाहिए और गेहूं का ग्रेड नियत करने सम्बन्धी भी पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए और मंडियों का विकास किया जाये ताकि गेहूं की भारी फसल सम्भाली जा सके। खाद्य निगम के केन्द्र या राज्य सरकार की खरीद एजेंसियां गांव की मंडियों से माल खरीद लें।

(दो) राज्य व्यापार निगम द्वारा मूंगफली के ऐसे तेल के आयात का समाचार, जो अब मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रह गया है।

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni) : The State Trading Corporation had imported 17,000 tons of groundnut oil in the last October to meet the needs of public distribution in varions States, at the cost of Rs. 14 crores. This oil had still not reached the consumers as it was lying at Bombay and it had become unfit for human consumption. Government are incurring a loss of Rs. 5 crores in this matter. Government should pay attention to this matter.

(तीन) दिल्ली में स्कूटर ड्राइवरों के दुर्व्यवहार और इस संबंध में पुलिस के असहयोगपूर्ण रवैया का मामला

श्री ए० के० राय (धनबाद): नई दिल्ली स्टेशन पर स्कूटर ड्राइवरों ने मुझे बहुत परेशान किया और वे जाने से मना करते रहे। लगता है कि पुलिस के साथ मिल कर इन लोगों ने कृत्रिम कमी पैदा कर दी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

(चार) दिल्ली में तीसहजारी स्थित न्यायालयों के वकीलों द्वारा हड़ताल का समाचार

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : The S.H.O. and the police Sub-inspector of the Paharganj Police Station in New Delhi misbehaved with an advocate of Tis Hazari Court, Shri Om Praksh Sharma on the 15th July, 1978 at the police station when he went there in connection with a quarrel. Such kind of misbehaviour is totally against the law and it indicates the authoritarianism and highandedness of police. It has led to suspension of all work in Courts at Tis Hazari and Patiala House as the Bar Association as resolved to resort to strike. Government should immediately intervene in the matter and take steps to institute a special enquiry in to the high handedness of police.

आन्तरिक सुरक्षा निरसन विधेयक--जारी

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (REPEAL BILL)—contd.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : It is a matter of great satisfaction that Government has brought forth a Bill to repeal the lawless lawof the MISA. There is no justification to enforce this law in 1971 because the conditions existing at that time in the country did not require it. The Janata Government deserves all congratulations for bringing forth a Bill to repeal the MISA. The law of MISA is immoral, inconstitutional and undemocratic. Only the weak and inefficient Administration resorts to the use of such laws. In fact, it is alike for misrule. The Government which had used MISA or PDA for running the day to day administration smacked of dictatorship and authoritarianism and it was an incompetent, inefficient and undemocratic Government. Such laws as go to destroy the democratic structure must be repealed in the interest of maintaining the democratic set-up in the country.

It is alleged that the common law of the land does not contain provision to deal with violent and divisive elements. But it is not a fact because various provisions have been made by law makers in the other legislations to deal with such elements. An inefficient Administration resorts to MISA or PDA. Efficient administration can maintain law and order under the present laws. Congratulate the Government for scrapping this back law.

श्री के० मायाथेवर (डिंडीगुल): मैं इस आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम निरसन विधेयक का स्वागत करता हूं । जनता सरकार सीधे तौर पर इसका पूरी तरह निरसन नहीं कर सकी और वे इसका अप्रत्यक्ष रूप से निरसन कर रहे हैं । ये इसका निरसन आंशिक रूप से कर रहे हैं क्योंकि आंसुका निवारक नजरबन्दी अधिनियम से रूप में अभी चल रहा है इस निवारक नजरबंदी अधिनियम का प्रयोग मुख्यतः राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध किया गया था । किंतु जनता सरकार को इसका प्रयोग श्रीमती गांधी के विरुद्ध नहीं करना चाहिये । यद्यपि आपातकालीन स्थिति के दौरान उन्होंने आंसुका का प्रयोग कई मंत्रियों तथा नेताओं के विरुद्ध बिना किसी नैतिक औचित्य के किया था । जनता सरकार को निवारक नजरबदी अधिनियम का प्रयोग करके वही गलती नहीं दोहरानी चाहिये । किन्तु देश में समाजविरोधी तत्वों पर नियंत्रण पाने के लिये तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने हेतु कतिपय कानून या अधिनियम नितांत आवश्यक है । स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत आजादी के नाम पर सरकार को तस्करों आदि को खुला नहीं छोड़ना चाहिये । सरकार को तमिलनाडु के उन लोगों के विरुद्ध निवारक नजरबंदी अधिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिये जो कि अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिये आंदोलन कर रहे हैं ।

अधिनियम में कहा गया है कि नजरबदी को कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि वकील उसका प्रतिनिधित्व करे । किंतु यहां सलाहकार बोर्ड को समक्ष वकीलों के माध्यम से नजरबंदी को

सुनने का अधिकार दिया जना चाहिये । निवारक नज़रबंदी अधिनियम को बुरी नियत के आधार पर चुनौती देने का अधिकार होना चाहिये । अपने चुनाव घोषणा-पत्र में जनता पार्टी ने आंसुका को पूरी तरह समाप्त करने का वचन दिया था । किंतु सरकार यहां आंसुका को लघु रूप में जारी रखना चाहती है । यही कारण है कि मैं इस विधेयक को अपने दल का आंशिक समर्थन दे रहा हूं । केवल भारत के लोगों की व्यक्तिगत आजादी को पुन: कायम करने के लिये ही मैं समर्थन दे रहा हूं ।

Shri Ram Krishna (Bharatpur): The Janata Party and the Government deserve congratulations for bringing forth a Bill which seeks to repeal the Maintenance of Internal Security Act. It is a matter of appreciation that the Janata Party Government has not used MISA against their opponents. Since the Janata Party has made a promise in their election manifesto to remove this black law. This bill is a step in the direction of fulfilling that promise. It is a remarkable event in the history. This Bill will lead to strengthening the democratic forces in the country.

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

Shri N.K. Shejwalkar in the Chair

It is said that the use of MISA has brought down the prices in the country. Those who said so are supporting the dictatorial regime in this country. The question of prices should not be linked with MISA. If one views the trends of prices in a proper context, one will come to the conclusion that unless the entire capitalist system of our economy is changed, the loot by traders will continue in this country. Therefore, in order to set things right, the entire economy system has got to the changed, with these words, I would like to congratulate the Janata Party once again for bringing forth this Bill for repealing MISA.

It is very strange that our economy programmes have not been implemented by Janata Party with desirable speed. My submission is that this work should be expedited. The Janata Government should persue the policies based on socialism and equality with utmost speed.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर): यह विधेयक पेश करने के लिए जनता सरकार बधाई की पात्र है । इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में दिए गए वचनों में से एक वचन है, जिसे वे ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं ।

आंसुका का जन्म 1950 से 1969 तक निवारक नजरबन्दी अधिनियम के रूप में हुआ था । 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आंसुका लाया गया । सितम्बर, 1974 में एक संशोधन किया गया जो कि स्पष्ट तौर पर तस्करों के खिलाफ प्रयोग में लाया गया था किन्तु उसके बाद आंसुका का काला इतिहास आरम्भ हो गया। 1975 के बाद एक साल में इसमें चार संशोधन किए गए। हमने उस समय उनका विरोध किया था । अच्छी बात है कि अब यह कानूनहीन कानून समाप्त किया जा रहा है । किन्तु जब हम यह कहते हैं कि आंसुका समाप्त होना चाहिए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि राजनीतिक असंतोष लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिये । इसे कभी भी हिंसक, अव्यवस्था पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए ।

यद्यपि जनता सरकार ने 1977 के बाद किसी राजनीतिक विरोधी को नजरबन्द करने के लिए आंसुका का प्रयोग नहीं किया है, तथापि आज भी कई असंतुष्ट राजनीतिक जेलों में पड़े हुए हैं । यह विधेयक पारित करके हमें उन नजरबन्दियों के मामलों पर विचार करना चाहिये जो कि जेलों में हैं और जिन्हें बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए जेल भेजा गया है। उन्हें एक एक करके जेल से रिहा करना होगा ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : (सम्बलपुर) आंसुका का निरसन करने सम्बन्धी विधेयक का स्वागत है। समूचा राष्ट्र इस विधेयक का, जो अत्यन्त ही खराब है, निरसन करने के लिए जनता सरकार को बधाई देती है।

जहां तक आज के समाज में आंसुका जैसे विशेष कानून के उद्देश्य का सम्बन्ध है अभी भी देश में असामान्य स्थिति में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए किसी प्रकार के विशेष कानून का होना आवश्यक है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश में पारिवारिक शासन स्थापित करना चाहती थी जिसके कारण वह इस प्रकार का कानून पास करने तथा उसे निष्ठापूर्वक लागू करना चाहती थीं। परन्तु हमारा समाज ऐसा है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व अवश्य मौजूद रहते हैं। उनसे निपटने के लिए कुछ विशेष कानून होना चाहिए। बिना विशेष कानून के हम जनता पर नियंत्रण नहीं रख सकते और व्यक्तियों तथा ग्रुपों के जीवन तथा सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं की जा सकती। अतः कुछ विशेष कानून का होना आवश्यक है और शायद यह सरकार ऐसा कानून लाने में डर रही है। इस प्रयोजनार्थ कुछ विशेष कानून आवश्यक है और यदि स्थिति ऐसी पैदा हुई तो सरकार को इस प्रकार विधेयक लाने तथा उसे पास करके अधिनियम बनाने में पीछे नहीं रहेगी।

Shri D.D. Gawai (Buldhana) : I welcome this Bill which has been brought forward to repeal MISA. The Home Minister deserves congratulations for bringing forth a measure which will restore the democratic right to our countrymen. This Bill will certainly strengthen the Parliamentary System and democratic forces in the country. There cannot be two opinions that laws like MISA must be removed.

My other submission is that the administrative machinery must be streamlined to protect the rights accorded to citizens. It is essential to curb the activities of anti-social elements and smugglers. The laws that deal with these activities should be made more and more stringent. It is further suggested that deterrent punishment should be given to those who violate these provisions.

Chowdhury Balbir Singh (Hoshiarpur) : The Congress Government imposed MISA with the assurance that will apply to the anti-social elements and it will not be used against politicians. The Janta Government has fulfilled its promise of abolishing MISA. This black law should not remain in this country. You can deal with the anti-social elements with the help of normal law. The MISA was indiscriminately used against innocent citizens during emergency.

I again congratulate the Government for abolishing MISA. It should never be imposed again in any form.

श्री वसंत साठे (अकोला) : आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम आपातकालीन स्थिति की पैदावार नहीं थी। सरदार पटेल ने कहा था कि जब लोग कानून का उल्लंघन करें; जब कुछ लोग गैर-संवैधानिक तरीका अपनाकर सरकार को उलटना चाहें, उसी स्थिति में असाधारण उपाय किये जा सकते हैं।

आपातकालीन स्थिति एक सामान्य समय नहीं होता। आप याद करें कि उस समय बिहार और गुजरात किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। कांग्रेस की हर मिटिंग में पथराव होता था। रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम भी इस पथराव से नहीं बच सके। निर्वाचित विधायकों से हस्ताक्षर लेते समय बुरी तरह व्यवहार किया गया; उन्हें घसीटा गया, उनके सिर मूंडे गये तथा उनके बच्चों को जलाने तक की धमकियां दी गयीं।

दुनिया के किसी भी देश में उस समय तक तानाशाही नहीं आ सकती जब तक राजनैतिक दल सेना पर नियंत्रण न करे । हिटलर की नाज़ी पार्टी ने भी ऐसा ही किया। मूसोलिनी ने भी ऐसा ही किया । कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कोई माउवादी सरकार इस देश में सत्ता ग्रहण कर ले तो कोई अन्य दल नहीं रहेगा ? ये लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं । ये लोग प्रजातंत्रीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखते । तानाशाही की बात करते हुए आपको यह बात भी याद रखनी चाहिए कि श्रीमती गांधी देश को चुनाव की ओर ले गयी और उसके परिणामों को सहर्ष स्वीकार किया । श्रीमती गांधी ही प्रजातंत्र की वास्तविक रक्षक हैं (**व्यवधान**) । सत्ता में आने के बाद भी ये लोग अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ सके हैं। श्रीमती गांधी के जलूसों पर भुवनेश्वर तथा मदुराई में पूर्वनियोजित ढंग से पथराव किये गये हैं ।

श्री बीजू पटनायक: श्रीमती इंदिरा गांधी को बचाने के लिये उड़िसा सरकार ने हर प्रकार के कदम उठाये हैं । हमारी उदारता का दुरुपयोग न करें।

श्री वसंत साठे : 'आंसुक' का उपयोग उसी समय किया गया जब आंतरिक सुरक्षा खतरे में थी। अब हम विपक्ष में हैं । हम हिंसा से सरकार को उलटने का प्रयास नहीं करेंगे । मैं आपको बधायी देता हूं कि आप आंसुका को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि पहले की तरह विपक्ष से आंतरिक सुरक्षा के लिये कोई खतरा नहीं है ।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): मैं श्री साठे को सूचित करना चाहता हूं कि इन सब बातों का निर्णय करने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जा रहा है ।

श्री वयालार रवि: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री बीजू पटनायक जो केन्द्रीय मंत्रीमंडल के सदस्य हैं, जो कुछ भी कहना हो, एक उचित वक्तव्य देकर ही कहना चाहिये । मंत्री को अपना वक्तव्य नियम 372 के अन्तर्गत देना चाहिये ।

श्री बीजू पटनायक: मैं इस बारे विवाद में नहीं पड़ना चाहता । मैंने सरकार की ओर से कहा है कि एक विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय किया गया है...

श्री वसंत साठे : यह एक गलत वक्तव्य है । आप यह नहीं कह सकते कि आपने विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय किया है । आप यह कह सकते हैं कि आपने सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने का निर्णय किया है ।

श्री बीजू पटनायक : मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार ने विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय किया है और जिसके लिये सभा में एक विधेयक लाया जा रहा है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का अधिकार है और क्या संसदीय कार्य मंत्री ने इन्हें वक्तव्य देने के लिये कहने के बारे में आपकी अनुमति ली है ? यदि आपकी अनुमति नहीं ली गयी तो इन्हें उठकर कहने का क्या अधिकार है?

श्री कंवरलाल गुप्त : (दिल्ली-सदर) : मंत्री कोई भी महत्वपूर्ण वक्तव्य जब भी चाहे दे सकता है । इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा यह कहना है कि मंत्री जी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है । जो सूचना उन्होंने सदन को दी है वह बहुमूल्य है जिसे सभा चाहती थी । अतः इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है।

श्री वयालार रवि : यह केवल हस्ताक्षेप नहीं है । यह शाह आयोग के प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही से संबंधित है । शाह आयोग का गठन संसद ने ही किया है । इसके अलावा यह एक नीति संबंधी वक्तव्य है । यह प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से आना चाहिये । आप इस संबंध में अपना निर्णय दें ।

श्री ए० सी० जार्ज : यह मामला सर्वोच्च न्यायालय को उनकी राय जानने के लिये भेजा गया है। अतः यह एक नीति संबंधी मामला है। ऐसे नीति संबंधी मामले में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नियम 372 के अधीन वक्तव्य देना होता है या वक्तव्य देने की अनुमति लेनी होती है । इस्पात और खान मंत्री ने किस सन्दर्भ में इतने महत्वपूर्ण नीति वक्तव्य की घोषणा की है ?

श्री बीजू पटनायक : यह नीति संबंधी मामला नहीं है । यह एक तकनीकी मामला है। मैंने तो केवल सरकार का निर्णय बताया है ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हो सकता है यह नीति संबंधी मामला न हो । मैं इससे सहमत हूं । विशेष न्यायालय का गठन का औचित्य सरकार बता सकती है। मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निश्चय किया है । बाद में उनका कहना है कि यह उच्चतम न्यायालय को भेजा जायेगा । जब सरकार ने ऐसा निर्णय ले ही लिया है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की क्या तुक है ? यह उच्चतम न्यायालय का अवमान है ।

श्री बीजू पटनायक : पहले सरकार निर्णय लेती है फिर आगे की कार्यवाही करती है ।

सभापति महोदय : यह सच है कि नियम 372 के अधीन अनुमति नहीं ली गई है । मैंने कार्यालय से पता लगाया है कि यह अभी तक नहीं ली गई है । परन्तु जहां तक मंत्री के अधिकार का संबंध है, वह विवाद-विवाद में किसी भी स्टेज पर हस्ताक्षेप कर सकता है । यह आवश्यक नहीं कि यह उस समय होना चाहिये । जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो । भाषण समाप्त होने के बाद वाद-विवाद समाप्त नहीं हो जाता ; यह अभी चल रहा है । अतः वह वक्तव्य दे सकते हैं । अतः व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि देश में स्वतंत्रता तथा लोकतन्त्र की पुनःस्थापना करने के लिए आंसुका का निरसन अंतिम या उपान्तिम कार्यवाही नहीं है , हमारा काम तो अब आरम्भ हुआ है , हमें केवल औपचारिक रूप से आंसुका का निरसन ही नहीं करना वरन् हमें कानूनी व्यवस्था को, जिसे श्रीमती गांधी ने नष्ट कर दिया था, पुनः स्थापित करने के अपने व्यापक लक्ष्य को पूरा करना है जब तक हम अपने संविधान में यह उपबन्ध नहीं करेंगे कि वास्तविक आपातस्थिति के समय के अतिरिक्त किसी पर बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द नहीं किया जायेगा तब तक हम देश में कानूनी व्यवस्था कायम नहीं कर सकते ।

(श्री एस० सत्यनारायण राव (पीठासीन हुए)

(Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair)

किन्तु जब तक इस देश मे एक ऐसा संगठित राजनीतिक दल है जो कि संवैधानिक औचित्यों तथा राजनीतिक शिष्टाचारों में विश्वास नहीं करता तब तक यहां कानूनी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पायेगी और वर्तमान सरकार को बाध्य होकर निवारक नजरबन्दी कानून को प्रयोग में लाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि हमें आपातस्थिति पर गर्व है, ऐसी स्थिति में आप हमसे यह आशा नहीं कर सकते कि हम इस कानून का निरसन कर दें । आपातस्थिति की यह देन रही है कि

लोगों को स्वतंत्रता छीनी गई, निवारक नजरबन्दी का प्रयोग किया गया और हजारों निर्दोष व्यक्तियों को जेलों में रखा गया।

हम अपनी सरकार को मना रहे हैं कि निवारक नजरबन्दी अधिनियम को शांतिकाल के समय ही नहीं बल्कि आपात स्थिति के दौरान भी गैर-कानूनी करार दिया जाये और यदि कभी इसका प्रयोग करना भी पड़ जाये तो इसका प्रयोग अनुच्छेद 22 के संरक्षणों के रहते हुए किया जाये। अनुच्छेद 22 को शांति या युद्ध के समय भी निलंबित नहीं किया जायेगा। हमरा यह वचन है। किन्तु इस वचन के साथ यह शर्त है कि उन लोगों को जो इस देश की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, राजनीतिक शालीनता पुनः कायम करनी होगी। विपक्ष के नेता सभा को यह आश्वाशन दे कि उन्हें आपातस्थिति तथा इसकी ज्यादतियों का पछतावा है और यह सुनिश्चित करें कि हम किस हद तक सभी प्रकार की स्वतंत्रता पुनः स्थापित करने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। निवारक नजरबन्दी अधिनियम के बारे में यह शर्त है कि इसके बाद कोई ऐसी बात न हो जिससे कि न्यायपालिका कमजोर बने।

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने 20 मिनट ले लिए हैं। आप दूसरों को अनावश्यक क्यों भड़काते हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं उन्हें बताना चाहता हूं---(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : मैं उनके कहे शब्दों को भी रिकार्ड से निकाल दूंगा।**

श्री राम जेठमलानी : मुझे यह पता नहीं है कि इस पर सरकार का क्या निर्णय है। आपकी नीति यह रही है कि जिस मामले को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 20 मिनट में निपटाया जा सकता था उसमें 6 महीने लगाए गए।

श्री वसंत साठे (अकोला) : आप उच्चतम न्यायालय में किसी मामले पर बहस करने में कितना समय लेते हैं।.....(**व्यवधान**)

श्री राम जेठमलानी : आप लोगों में यहीं सबसे बड़ी कमी है कि आप किसी की बात नहीं सुनते कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए। आप लोग देश के विभिन्न भागों में अपराध करवा रहे हैं। आप हमें यह आश्वासन दीजिए कि आपका दल किसी प्रकार से अपराध नहीं करेगा ताकि देश में कानून और व्यवस्था बनी रहे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : विधेयक पेश करते समय मंत्री जी ने 28 मार्च, 1977 को श्री बी० डी० जत्ती द्वारा दिये गये वक्तव्य का उदाहरण दिया है कि आंसुका अधिनियम का निरसन करने के उद्देश्य से इसकी सम्पूर्ण समीक्षा किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा और इस बात की जांच की जायेंगी कि क्या आर्थिक अपराधों से निपटने तथा देश की सुरक्षा हेतु न्यायालयों में जाने के अधिकार से वंचित किये बिना वर्तमान कानूनों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है, इस वक्तव्य की दो बातें हैं---आंसुका को निरसन करना और दूसरी यह है कि या वर्तमान कानूनों को कतिपय आर्थिक अपराधों और समाज विरोधी तत्वों द्वारा किए गये अपराधों के लिए और मजबूत बनाया जा सकता है। जहां सरकार ने आंसुका को निरसन करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, वहां सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि वर्तमान कानून आर्थिक अपराधों तथा अन्य अपराधों के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। हम सरकार से इस प्रकार का आश्वासन चाहते हैं।

**सभापति के आदेश से कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमें इस सरकार को उस रास्ते पर चलने का अवसर नहीं देना चाहिए जिस पर तानाशाह चलते हैं। इस सभा में भारी बहुमत देश में तानाशाही शासन उभरने के विरुद्ध है। यदि हम वास्तव में अपने देश में तानाशाही प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहते हैं, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने आवश्यक हैं ताकि लोगों को प्रशासन में शामिल किया जा सके।

यदि हम वास्तव में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि देश में लोकतंत्र सफल रहे तो वर्तमान सामाजिक-आर्थिक प्रणाली संसदीय लोकतंत्र के ताने-बाने को सुदृढ़ नहीं कर सकती। अतः जनता राजनीति को इतिहास से सबक लेना चाहिए, यदि तानाशाही की शक्तियों से लड़ने के नाम पर उन्होंने तानाशाही शक्तियों को बनाये रखा तब उन्हें भी उन्ही घृणास्पद तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा जिसे पिछला शासन अपना रहा था।

इस सर्वोच्च सभा के लिए अब समय है कि मामले पर बिना विचारण के किसी को नजरबंद करने से रोकने के लिए संविधान में उचित संशोधन किया जाये। संविधान में इसकी मंजूरी बनाए रखना और आंशुका का निरसन साथ साथ नहीं चल सकते। अतः संविधान में से इस उपबन्ध को हटाया जाना चाहिए।

Shri Ram Vilas Paswan (Hazipur) : Sir, I rise on a point of order. We have not been given chance to speak whereas others are being given chance. You should have called the members according the list.

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : Will you call only those members who are known to you ?

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) : यदि आवश्यक समझा गया तो समय बढ़ाया जाना चाहिए, इस मामले पर सभी बोलना चाहेंगे।

Mr. Chairman ; Sometimes the Chairman uses his discretion. The time has extended by two hours.

Shri Ram Vilas Paswan : Please give us also chance.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : मेरे दल को इस पर बोलने के लिए एक भी मिनट नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : अभी कई और भी नाम हैं। मंत्री जी को भी उत्तर देना है। जब तक फिर समय नहीं बढ़ाया जाता तब तक सभी सदस्यों को बोलने के लिए अवसर देना संभव नहीं है।

Shri Ram Vilas Paswan : It is the mistake of the Chair. We can not be blamed for it (*interruption*).

***श्री ए० वी० पी० असाईथम्बी** : इस विधेयक का समूचे राष्ट्र ने स्वागत किया है। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है राष्ट्र का आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए है। यदि इसका उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता तो लोगों को कोई उज्र नहीं थी। परन्तु इसका प्रयोग एक अकेले व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया गया। इसलिए हमारा दल इसके विरुद्ध था।

खेद है कि जनता सरकार ने देश के साथ न्याय नहीं किया। हम चाहते थे कि 1977 में सत्ता में आते ही जनता सरकार उसी आंसुका में श्रीमती गांधी और उनके सहयोगी षड्यंत्रकारियों को आंसुका के उपबन्धों का दुरुपयोग करने के अपराध में गिरफ्तार करती।

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

***Hindi translation of speech delivered in Tamil based on English translation.**

कोई भी निवारक ब नजरबन्दी लोक तंत्र की भावना के विरुद्ध है । सरकार ने आंसुका के उपबन्धों को जोड़ने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के विचार को छोड़ बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । लोकतंत्र विरोधी किसी भी कार्य को जनता सरकार प्रोत्साहन न दे।

देश भर में सैकड़ों लोग जो आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए मर गए और अपने परिवार को अपने भरोसे छोड़ गए । यह प्रसंशनीय है कि आंसुका के शिकार लोगों को 500 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। परन्तु अपना कमाऊ आदमी खाने वालों के परिवारों को कुछ विशेष नहीं दिया गया। सरकार आंसुका को निरस्त करने तक ही संतुष्ट न हो तथा आंसुका और आपात काल के शिकार अभागे लोगों की वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : हमारा दल श्रीमती गांधी के साम्राज्य को बनाए रखने वाले आंसुका के विरुद्ध है । साम्राज्य लोगों पर राज्य नहीं करता वरन् जन मानस देश का भविष्य निर्धारित करता है । गुलामी जंजीरे जनबल से तोड़ दी गई हैं ।

सरकार को इस बात की बधाई है कि पिछले शासन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले हथियार अब समाप्त किए जा रहे हैं । परन्तु सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है जो जेलों में लड़े और जिनकी सम्पत्ति छीन ली गई तथा जिन्होंने उस दिन हानि उठाई ? मेरा सुझाव है कि आंसुका के शिकार लोगों की समस्याओं के हल के लिए गृह मंत्रालय में एक अलग विभाग बनाया जाये । उनके बच्चों और अन्य लोगों के लिए अवश्य ही कुछ किया जाए ।

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : Section 109 and 110 Should be removed. till it is there, you cannot give relief to the poor people.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण): क्या मंत्री महोदय 1971 और 1977 के बीच आंसुका के अन्तर्गत हुई मौतों की जांच कराना स्वीकार करेंगे।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : I welcome the wide support received by the Bill from all sections of the House. The Members have rightly given expression to a sense of relief but I would also like to caution the Members against the growing tendency among some people to take law into their own hands and against the anti-social elements which are again raising their heads and can prove a danger to the law and order situation and democracy in the country. I seek cooperation of all Members in meeting the situation.

The Janata Party is committed to removing fear from the minds of the people and for this purpose it is necessary to repeal MISA. It has been alleged by some members that the Janata Government are hesitant to repeal MISA. It is not so. It is not a matter of prestige for the Janata Party. It is for the health of democracy that the Government has been respecting and accepting the public opinion.

It has been suggested that a conference of Chief Ministers and leaders of all political Parties should be convened to consider the prevailing situation in the country. This suggestion is acceptable to the Government and such a confere; ce will be called.

It is true that the law and order situation has deteriorated in certain parts of the country. Its main reason is that the morale of police personnel has gone down, because people always criticise them. I would request all the members that a partisan attitude should not be adopted towards the law and order question and it should be taken as national issue.

Some members have stated that although MISA is being repealed but even now many persons are in jail under MISA. In this connection I would like to point out that at present there are only 86 detenus under MISA, out of whom 67 are Pakistanis in jails of Punjab and the remaining 19 are anti-social elements who are in the jails of Maharashtra.

It has been alleged that mini MISA's are in operation in many States. It is purely a State subject and it is not necessary for the States to take guidance or concurrence of the Centre in the matter. But inspite of this we have been advising the States that in cases where such legislations were enacted, necessary safeguards should also be provided therein.

We believe that oridnary law of the land will prove sufficient enough to tackle various situations that may arise, but we cannot give any commitment for the future. A watch will be kept over the overall situation and action taken accordingly.

The 45th Constitution Amen lment Bill is being introduced where in provision has been made under which it will not be possible to suspend the right to liberty and right to life by invoking Article 359 and no one will be detained for a period exceeding two months without obtaining the opinion of the Advisory Board.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय: अब हम खंडवार विचार आरम्भ करेंगे । प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was adopted to the Bill

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र, विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Dhanik Lal Mandal : I move that the Bill be passed.

श्री ज्योतियर्म बसु ने विधेयक को पास किए जाने के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा खेद की बात है कि नजरबन्दी निवारक कानून आज भी विद्यमान है । इसके कुछ उदहारण हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवारक नजरबन्दी संबंधी अधिनियम और अध्यादेश। हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि वे राज्यों को इन सभी को निरसित करने की सलाह देंगे।

अनुच्छेद 22(1) और 22(7) में संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अन्तर्गत समूचे देश को बिना सुनवाई के नजरबन्द किया जा सकता है । इन दोनों अनुच्छेदों को तुरन्त समाप्त किया जाए।

कुछ सदस्यों ने आंसुका के शिकार सभी लोगों को राहत देने की बात कही । सरकार उन लोगों को इसका आश्वासन दे जो आंसुका के गलत रूप से उपयोग किए जाने का शिकार हुए।

पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में भागर्व आयोग को अपनी बैठक गुप्त रूप में करने के निर्देश दिए हैं । यह बहुत ही अनुचित है । गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करे और आयोग को पहले के समान खुले में बिना किसी रुकावट के कार्यवाही चलाने दें।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर): जनता सरकार ने वचन दिया था कि उनके सत्ता में आने के तुरन्त पश्चात् आंसुका का निरसन कर दिया जायेगा । किन्तु शायद कुछ कारणों से वे ऐसा नहीं कर पाये।

कहा गया है कि राज्यों में नजरबन्दी निवारक अधिनियम अभी भी चल रहा है । जब तक यह अधिनियम समाप्त नहीं हो जाता तब तब स्थिति में सुधार करना संभव नहीं है ।

हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं । उन्हें शीघ्रातिशीघ्र मुक्त किया जाना चाहिये।

लोगों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पद दलितों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है । श्रमिक वर्ग, किसानों तथा हरिजनों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है । जनता सरकार, जो कि देश में सामान्य स्थिति आ जाने की बात कर रही है, को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पंतनगर, कानपुर मिल्स, ग्वालियर मिल्स जैसी घटनाएं न घटें। जब तक सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं को हल नहीं किया जाता तब तक लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता तथा अधिकार नहीं दिए जा सकते ।

Shri Dhanik Lal Mandal : Those who died in Jails, a sum of Rs. 200 per month will be given to their dependants.

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिन लोगों को आंसुका के कारण कठिनाइयां झेलनी पड़ीं, उन्हें, 1971 से लाभ मिलना चाहिए । मंत्री जी यह आश्वासन दें।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मंत्री जी ने श्री बसु तथा श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पूछी गई बात का उत्तर नहीं दिया है ।

Shri Dhanik Lal Mandal: We are advising the States to enact such laws which have adequate safeguards.

श्री के० ए० राजन : जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां आपको ऐसे अधिनियमों का निरसन कर देना चाहिए।

Shri Hukam Dev Narain Yadav (Madhubani): The Minister has said that people who suffered as a result of MISA since 1975 will be given benefit. I want that the persons who suffered since 1972 onwards should also be given this benefit.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 20 जुलाई, 1978/29 आषाढ़, 1900 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 20, 1978/ Asadha 29, 1900 (Saka)

MGIPRRND—V—23 LSS/78—4-11-78—210